खण्ड-207, अंक-4
गुरूवार, 12 भाद्रपद, शक संवत् 1881
(3 सितम्बर, 1959 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 207 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९५९

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बृहस्पतिवार, ३ सितम्बर, १९५९

विधान सभा की बैठक सभा-मंडप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य—३९१

अक्षयवर्रासिह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अतीकुल रहमान , श्री
अनन्तराम वर्मा, श्री
अब्दुल रऊफ लारी, श्री
अब्दुल लतीफ नोमानी, श्री
अब्दुस्समी, श्री
अभयराम यादव, श्री
अमरनाथ, श्री
अमरेशचन्द्र पांडेय, श्री
अमोलादेवी, श्रीमती
अयोध्याप्रसाद आर्य, श्री
अवधेशकुमार सिनहा, डाक्टर
अवधेशचन्द्रसिंह, श्री
अवधेशप्रतापसिंह, श्री
अहमद बख्श, श्री
आत्माराम पांडेय, श्री
आदिराम सिंघल, श्री
आनन्दब्रह्मशाह, श्री
आर्थर सी० ग्राइस, श्री
इन्दुभूषण गुप्त, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
इस्तफा हुसैन, श्री
उग्रसेन, श्री
उदयशंकर, श्री
उबैदुर्रहमान, श्री
उमाशंकर शुक्ल, श्री
उल्फतसिंह, श्री
ऊदल, श्री
एस० अहमद हसन, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमरुद्दीन, श्री
कमलकुमारी गोईंदी, कुमारी
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलेशचन्द्र, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
काशीप्रसाद पांडेय, श्री
किशनसिंह, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृपाशंकर, श्री
केशभान राय, श्री
केशव पांडेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशकुमारसिंह, श्री
कैलाशनारायण गुप्त, श्री
कैलाशवती, श्रीमती
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खजानसिंह चौधरी, श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री (एटा)
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गजेन्द्रसिंह, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गनेशचन्द्र काछी, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गयाबख्शसिंह, श्री
गयूर अली खां, श्री
गरीबदास, श्री

गुप्तारसिंह, श्री
गुरुप्रसाद सिंह, श्री
गुलाबसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपाली, श्री
गोपीकृष्ण आजाद, श्री
गोविन्दसहाय, श्री
गोविन्दसिंह विष्ट, श्री
गौरीराम गुप्त, श्री
गौरीशंकर राय, श्री
घनश्याम डिमरी, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रबली शास्त्री ब्रह्मचारी, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास मिश्र, श्री
चन्द्रावती, श्रीमती
चन्द्रिकाप्रसाद, श्री
चरणसिंह, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
छतरसिंह, श्री
छेदीलाल, श्री
छोटेलाल पालीवाल, श्री
जंगबहादुर वर्मा, श्री
जगदीशनारायण, श्री
जगदीशनारायणदत्तसिंह, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगदीशशरण अग्रवाल, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथप्रसाद, श्री
जगन्नाथ लहरी, श्री
जगपतिसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जमुनासिंह, श्री (बदायूं)
जयगोपाल, डाक्टर
जयदेवसिंह आर्य, श्री
जरग्राम हैदर, श्री सैयद
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जागेश्वर, श्री
जुगलकिशोर, आचार्य
जोखई, श्री
ज्वालाप्रसाद कुरील, श्री
झारखंडेराय, श्री
टाम्बरेश्वरप्रसाद, श्री
टीकाराम, श्री
टीकाराम पुजारी, श्री
डूंगरसिंह, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तारादेवी, डाक्टर
तिरमलसिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजसिंह, श्री
त्रिलोकीसिंह, श्री
दत्त, श्री एस० जी०
दशरथप्रसाद, श्री
दाताराम चौधरी, श्री
दीनदयालु करुण, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपंकर, आचार्य
दीपनारायणमणि त्रिपाठी, श्री
दुर्योधन, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवनारायण भारतीय, श्री
देवराम, श्री
द्वारकाप्रसाद मित्तल, श्री (मुजफ्फरनगर)
द्वारिकाप्रसाद, श्री (फर्रुखाबाद)
द्वारिकाप्रसाद पांडेय, श्री (गोरखपुर)
धनीराम, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मसिंह, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री (बरेली)
नत्थूसिंह, श्री (मैनपुरी)
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नन्दराम, श्री
नरदेवसिंह दतियानवी, श्री
नरेन्द्रसिंह भंडारी, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वरप्रसाद, श्री
नारायणदास पासी, श्री
निरंजनसिंह, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
पद्माकरलाल श्रीवास्तव, श्री
पन्नेराम, श्री

परमानन्द सिनहा, श्री
परमेश्वरदीन वर्मा, श्री
पहलवानसिंह चौधरी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतापबहादुरसिंह, श्री
प्रतापभानप्रकाशसिंह, श्री
प्रतापसिंह, श्री
प्रभावती मिश्र, श्रीमती
प्रभुदयाल, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
बंशीधर शुक्ल, श्री
बलदेवसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बसंतलाल, श्री
बादामसिंह, श्री
बाबूराम, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बालकराम, श्री
बालेश्वरप्रसादसिंह, श्री
बिन्दुमती दास, श्रीमती
बिशम्बरसिंह, श्री
बिहारीलाल, श्री
बुद्धीलाल, श्री
बुलाकीराम , श्री
बृजबासीलाल, श्री
बृजरानी मिश्र, श्रीमती
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजूराम, श्री
ब्रजनारायण तिवारी, श्री
ब्रजभूषण शरण, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवतीसिंह विशारद, श्री
भगौतीप्रसाद वर्मा, श्री
भजनलाल, श्री
भीखालाल, श्री
भुवनेशभूषण शर्मा, श्री
भूपकिशोर, श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मंजूरुलनबी, श्री
मथुराप्रसाद पांडेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदन पांडेय, श्री
मदनमोहन, श्री
मन्नालाल, श्री
मलखानसिंह, श्री
मलिखानसिंह, श्री (मैनपुरी)
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महमूद हुसेन खां, श्री
महादेवप्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महीलाल, श्री
महेन्द्ररिपुदमन सिंह, राजा
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मिहरबानसिंह, श्री
मुकुटविहारीलाल अग्रवाल, श्री
मुक्तिनाथ राय, श्री
मुज़फ्फर हसन, श्री
मुनीन्द्रपालसिंह, श्री
मुबारक अली खां, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुल्लाप्रसाद 'हंस', श्री
मुहम्मद हुसैन, श्री
मूलचन्द, श्री
मोतीलाल अवस्थी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह मेहता, श्री
यमुनाप्रसाद शुक्ल, श्री
यमुनासिंह, श्री (गाजीपुर)
यशपालसिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रदत्त दुबे, राजा
रऊफ जाफरी, श्री
रघुनाथसहाय यादव, श्री
रघुरनतेजबहादुरसिंह, श्री
रघुराजसिंह चौधरी, श्री
रघुवीरराम, श्री
रघुवीरसिंह, श्री (एटा)
रघुवीरसिंह, श्री (मेरठ)
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकांतसिंह, श्री
रमानाथ खैरा, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राघवराम पाण्डेय, श्री
राघवेन्द्रप्रतापसिंह, श्री

राजकिशोर राव, श्री
राजदेव उपाध्याय, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजबिहारीसिंह, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रकुमारी, श्रीमती
राजेन्द्रदत्त, श्री
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
रामअधार तिवारी, श्री
रामअभिलाख, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार वैद्य, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामकृष्ण सारस्वत, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजीसहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदीन, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामबली, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतनप्रसाद, श्री
रामरतीदेवी, श्रीमती
रामलक्षण तिवारी, श्री
रामलखन, श्री (वाराणसी)
रामलखन मिश्र, श्री
रामलखनसिंह, श्री (जौनपुर)
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशरण यादव, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह चौहान वैद्य, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामस्वरूप यादव, श्री
रामस्वरूप वर्मा, श्री
रामहेतसिंह, श्री
रामायणराय, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
रुकनुद्दीन खां, श्री
रूपसिंह, श्री
लक्ष्मणदत्त भट्ट, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मणसिंह, श्री
लक्ष्मीनारायण, श्री
लक्ष्मीनारायण बंसल, श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लक्ष्मीसिंह, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री
लुत्फ़ अली खां, श्री
लोकनाथसिंह, श्री
वजरंगबिहारीलाल रावत, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
वासुदेव दीक्षित, श्री
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विशालसिंह, श्री
विश्रामराय, श्री
विश्वेश्वरानन्द, स्वामी
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुंतलादेवी, श्रीमती
शब्बीर हसन, श्री
शमसुल इस्लाम, श्री
शम्भुदयाल, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवगोपाल तिवारी, श्री
शिवप्रसाद, श्री (देवरिया)
शिवप्रसाद नागर, श्री (खीरी)
शिवमंगलसिंह, श्री
शिवमूर्ति, श्री
शिवराजबलीसिंह, श्री
शिवराजबहादुर, श्री
शिवराजसिंह यादव, श्री
शिवराम, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिवशंकरसिंह, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री

शीतलाप्रसाद, श्री
शोभनाथ, श्री
श्याममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामलाल यादव, श्री
श्रद्धा देवी शास्त्री, कुमारी
श्रीकृष्ण गोयल, श्री
श्रीकृष्णदत्त पालीवाल, श्री
श्रीनाथ, श्री (आजमगढ़)
श्रीनाथ भार्गव, श्री (मथुरा)
श्रीनिवास, श्री
श्रीपालसिंह, कुंवर
संग्रामसिंह, श्री
सईद अहमद अन्सारी, श्री
सजीवनलाल, श्री
सत्यवतीदेवी रावल, श्रीमती
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सरस्वतीदेवी शुक्ल, श्रीमती
सियादुलारी, श्रीमती
सीताराम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुक्खनलाल, श्री
सुखरानीदेवी, श्रीमती
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दरलाल, श्री
सुरथबहादुरशाह, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेन्द्रसिंह, राजकुमार
सुरेशप्रकाशसिंह, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सूरतचन्द रमोला, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीदुल्ला खां, श्री
हरकेशबहादुर, श्री
हरदयालसिंह, श्री
हरदयालसिंह पिपल, श्री
हरदेवसिंह, श्री
हरिदत्त काण्डपाल, श्री
हरिश्चन्द्रसिंह, श्री
हरिहरबख्शसिंह, श्री
हरीशचन्द्र अष्ठाना, श्री
हरीसिंह, श्री
हलीमुद्दीन (राहत मौलाई), श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री
होरीलाल यादव, श्री

प्रश्नोत्तर

बृहस्तपतिवार, ३ सितम्बर, १९५९

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

जिला सहकारी बैंक, एटा के लिये डाइरेक्टर पद की नामजदगियों पर आपत्ति

**१--श्री रघुवीरसिंह (जिला एटा)--क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकार ने दिनांक १६ अगस्त, १९५९ के पश्चात जिला सहकारी बैंक, एटा के लिये, डायरेक्टर पद के लिए किन-किन सज्जनों को, किस आधार से, नामजद किया है ?

सहकारिता उपमंत्री (श्री वीरेन्द्र वर्मा)--सरकार ने निम्नलिखित सज्जनों को एटा के जिला सहकारी बैंक के डाइरेक्टर, के पद पर नामजद किया है :

(१) जिला सहकारी अधिकारी, एटा ।
(२) श्री छोटे लाल पालीवाल, सदस्य, विधान सभा तथा
(३) कुंवर वाचस्पति तौमर, वाइस प्रेसीडन्ट, अन्तिरिम जिला परिषद, एटा ।

बैंक की नियमावली के अन्तर्गत सरकार को अपने डाइरेक्टरों की नामजदगी करने का अधिकार है। यह नामजदगी सरकार के स्वविवेक (discretion) के अनुसार की जाती है और जिन सज्जनों को वह उपयुक्त समझती है उनको नामजद किया जाता है।

श्री रघुवीरसिंह---क्या सरकार विधानतया जिला सहकारी बैंक एटा की शेयर होल्डर हो चुकी है या नहीं और अगर हो चुकी है तो शेयर सर्टिफिकेट कब प्राप्त हुआ ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा---सूचना की आवश्यकता है।

श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)---क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि कौन से नियम के अनुसार इन तीनों लोगों को सरकार ने मनोनीत किया है ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा---नियम ४९ (ब)।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)---क्या सरकार स्वविवेक और अपनी तरफ से नामजद करने में किसी बात को आधार मानती है, कोई कसौटी सरकार के पास रहती है या नहीं ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा---जिन आदमियों को सरकार समझती है कि उनका सहकारिता में विश्वास है और वे ठीक ढंग से कार्य-संचालन कर सकते हैं उन्हीं आदमियों को सरकार मनोनीत करती है।

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)---मंत्री जी ने कहा अपने उत्तर में कि जिनको उपयुक्त समझा जाता है उन्हीं को नामिनेट किया जाता है तो उपयुक्त समझे जाने के लिये किन योग्यताओं की आवश्यकता होती है ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा---मैं अभी बता चुका हूं कि जिन लोगों को मंत्री महोदय स्वयं समझते हैं कि वह सहकारिता में विश्वास रखते हैं और वह गवर्नमेंट के शेयर्स और मनी की रक्षा कर सकते हैं उन्हीं को नामिनेट करते हैं।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे (जिला जौनपुर)---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जिन लोगों को उन्होंने नामिनेट किया है उनकी रिकमेन्डेशन क्या जिला स्तर के अधिकारियों द्वारा भी आयी थी और नामिनेट करने के पहले सरकार ने उनके बारे में जांच-पड़ताल करा ली थी या नहीं ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा---रजिस्ट्रार, कोआपरेटिव विभाग से मश्विरा करके उनको नामजद किया गया।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)---सरकार को यह सूचना कहां से प्राप्त हुई कि यही तीन व्यक्ति सहकारिता में विश्वास और दिलचस्पी रखते हैं ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा---सहकारिता मंत्री जी की स्वयं की जानकारी है।

श्री रघुवीरसिंह---क्या सरकार को ज्ञात है कि श्री वाचस्पतिजी को १६-८-१९५९ को डाइरेक्टर के पद के लिये चुनाव लड़ने से वंचित किया गया था ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा---नोटिस की जरूरत है।

श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़)---इस बात को देखते हुए कि जैसे सवाल आज किये गये हैं और पहले भी कई बार किये गये हैं जिनसे लगता है कि नामजदगी में कहीं भूलचूक हुई है, क्या सरकार जिन सदस्यों ने सवाल किये हैं उनकी भावना को देखते हुए इसके ऊपर पुनर्विचार करेगी ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा---सरकार कोई भूलचूक नहीं समझती।

श्री रघुवीरसिंह---जब मंत्री जी को जानकारी किसी प्रकार की नहीं है तो क्या वह यह उचित समझेंगे कि आगामी ७ सितम्बर को होने वाले चुनाव में श्री वाचस्पति को मैनेजिंग डाइरेक्टर के पद के लिये खड़े होने से रोक दें ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा---सरकार को अधिकार है कि चुनाव से पूर्व भी अपने नामजद सदस्यों को नामीनेट कर सकती है। इस तरह की कोई बात जिससे वाचस्पति जी खड़े नहीं हो सकते, अगर आप लिखकर देंगे तो उस पर विचार किया जायगा।

कपीरी पट्टी में नरभक्षी बाघ का आतंक

**२---श्री घनश्याम डिमरी (जिला गढ़वाल)---क्या सरकार को विदित है कि जिला पौढ़ी गढ़वाल की पट्टी कपीरी मे नरभक्षी वाघ (Man-eater tiger) की वजह से गत दो माह से आतंक छाया हुआ है ?

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)---इस जानवर के बारे में सरकार को जानकारी है।

**३---श्री घनश्याम डिमरी---अगर हां, तो आज तक कितने मनुष्य उस बाघ ने खा डाले हैं और उस बाघ को मारने की भी कोई व्यवस्था की गई है या नहीं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---गत ८ अगस्त, १९५९ तक प्राप्त सूचना के अनुसार इसने ह्यून ग्राम में ८-९ जुलाई की रात को एक वृद्ध स्त्री पर हमला करके घायल कर दिया था। प्रातः काल उसकी मृत्यु हो गई।

इसको मारने के लिये जिलाधीश ने ५० रुपये का पारितोषिक घोषित कर दिया था। जिलाधीश ने सभी स्थानीय लाइसेन्सदार शिकारियों से इसे मारने के लिये कह दिया है और स्थानीय समाचार पत्रों द्वारा भी इस घोषणा का प्रचार किया गया है। जिलाधीश को बता दिया गया है कि इस संबंध में सरकार के स्थायी आदशों (Standing Orders) के अनुसार नर-भक्षी तेंदुये (panther or leopard) को नष्ट करने के लिये पारितोषिक की दर अब १२० रुपये है।

श्री घनश्याम डिमरी---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिस स्त्री की मृत्यु होना बताया जाता है वह मकान में मिली या बाहर, और किस हालत में ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---इसकी सूचना मेरे पास नहीं है।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिलाधीश की विज्ञप्ति कब निकली और उसके बाद अभी तक क्या प्रयत्न प्रारम्भ हो गये हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---उस स्त्री के मरने के बाद, ८ अगस्त के बाद, उस जानवर ने किसी के ऊपर हमला नहीं किया है। ८ अगस्त के बाद ही जिलाधीश की विज्ञप्ति निकली।

श्री शिवप्रसाद नागर (जिला खीरी)---इस नरभक्षी बाघ का कितने क्षेत्र पर आतंक है ?

डावटर सम्पूर्णानन्द---खीरी तक है।

श्री घनश्याम डिमरी---१०-८-५९ को "देव भूमि" समाचार पत्र में प्रकाशित है कि नरभक्षी बाघ ६ प्राणियों के प्राण ले चुका है और ४ व्यक्ति घायल हैं। क्या यह समाचार सरकार के पास आया है और सरकार ने इस पर क्या कार्यवाही की है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---डी० एम० ने कहा है कि उनको खाली एक ही व्यक्ति के घायल होने की सूचना है।

श्री गोविंदसिंह विष्ट (जिला अल्मोड़ा)---इस पर्वतीय क्षेत्र के अन्दर और बाहर बहुत बाघ हो गये हैं और बाहर के बाघों के आक्रमण भी बहुत ज्यादा हो गये हैं, तो क्या सरकार वहां बन्दूक के लाइसेंस और ट्रेनिंग लिबरैलाइज करेगी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---वहां के कुछ बाघ यहां भी आ गये है। अगर वहां ऐसी बात होगी तो हमें लिबरैलाइज करने में कोई खास आपत्ति नहीं होगी।

श्री प्रतापसिंह---जब सरकार की विज्ञप्ति नरभक्षी शेर के लिये १२० रुपये की २ साल पहले निकल चुकी है तो गढ़वाल के जिलाधीश ने केवल ५० रुपये ही इनाम के क्यों निकाले ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--- २ साल पहले नहीं, २८ जनवरी को यह निकली थी। संभव है कि उनके खयाल में वह न रही हो।

गवर्नमेन्ट यू० पी० हैन्डीक्रैफ्ट्स द्वारा माल की खरीद

**४---श्री मदन पांडेय (जिला गोरखपुर) तथा श्री अमर नाथ (जिला गोरखपुर)---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि १५ अगस्त, १९५९ से २० अगस्त, १९५९ तक गवर्नमेंट यू० पी० हैन्डीक्रैफ्ट्स में कुल कितने मूल्य का सामान खरीदा गया तथा किन-किन पार्टियों द्वारा खरीदा गया ?

श्रम उपमंत्री (श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा)---१५ से २० अगस्त सन् १९५९ की अवधि में गवर्नमेंन्ट यू० पी० हैन्डीक्रैफ्ट्स ने ३९०६.६७ रु० की वस्तुओं की सप्लाई के लिये निम्नलिखित संस्थाओं को आर्डर दिया:

१---सर्व श्री बी० दास एन्ड को० अलीगढ़	११२४.०१
२---सर्व श्री यू० पी० इन्डस्ट्रियल कोआपरेटिव असोसियेशन, कानपुर ..	५३७.१६
३---हैन्डलूम मैनूफैक्चरर्स को० सिन्डीकेट, कानपुर	९६.००
४---असिस्टेन्ट डाइरेक्टर आफ इन्डसट्रीज (सिरेमिक्स), खुरजा ..	३२.००
५---कैसी आठवयर, मुरादाबाद	१३५.५०
६---फेन्सी डांइंग ऐंड प्रिन्टिंग वर्क्स, फर्रुखाबाद	१५५०.००
७---माडर्न हैन्डीक्रैफ्ट्स, मुरादाबाद	४३२.००
योग ..	३९०६.६७

**५---श्री मदन पांडेय तथा श्री अमरनाथ---क्या सरकार कृपया यह भी बतायेगी कि गवर्नमेन्ट यू० पी० हैन्डी क्रैफट्स द्वारा उक्त अवधि में यू० पी० इन्डस्ट्रियल कोआपरेटिव एसोसियेशन द्वारा कितने मूल्य का सामान खरीदा गया ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---उक्त अवधि में गवर्नमेंट यू० पी० हैन्ड्रीक्रैफट्स ने यू० पी० इन्डस्ट्रियल को० असोसियेशन द्वारा माल क्रय करने के लिये ५३७.१६ रु० का आर्डर दिया।

**६---श्री मदन पांडेय तथा श्री अमरनाथ---क्या सरकार कृपया यह भी बतायेगी कि गवर्नमेंट यू० पी० हेन्डी क्रैफट्स किन-किन प्रकार के सामानों पर लाभ लेती है तथा किन पर लाभ नहीं लेती है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---गवर्नमेंन्ट यू० पी० हैन्डीक्रैफ्ट्स बिक्री की सभी वस्तुओं पर लाभ लेती है।

श्री मदन पांडेय---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रश्न ४ के उत्तर में खरीदे हुए सामान की सूची परचेज कमेटी हैन्डीक्राफ्टस की स्वीकृति से खरीदी गई है ? यदि हां, तो उसने कब स्वीकृति दी ? यदि नहीं, तो बिना स्वीकृति के क्यों खरीदी गई ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---परचेज कमेटी हर आर्डर को नहीं देखती है । वह विभिन्न चीजों की दर तय कर लेती है, जो एक मियाद के अन्दर रहती है । उसकी स्वीकृति की मियाद के अन्दर ही यह आर्डर दिया गया ।

श्री मदन पांडेय---यह माल सीधे न खरीद कर यू० पी० का० से क्यों खरीदा जाता है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---यू०पी०का० किसी खास किस्म के लोगों से या किसी खास शर्त पर नहीं लेती है । यू०पी०का० सहकारिता आर्गेनाइजेशन का अंग है । यू०पी का० को सरकार कोई कमीशन नहीं देती है । यू०पी०का० १.९ प्रतिशत कमीशन दूसरों से लेती है जिनसे वह सामान खरीद कर हमको देती है ।

श्री अमरनाथ---क्या माननीय मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि जो लाभांश लिया जाता है उसमें अधिक से अधिक और कम से कम कितना है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---इसकी अलग-अलग दरें हैं । चांदी के सामान, चिकन के सामान इत्यादि के लिये १२ १/२ परसेंट, पीतल के बर्तन, हाथी दांत का सामान वगैरह २५ परसेंट , ई० पी० एन० एस० व सहारनपुर की लकड़ी ३३ १/३ परसेंट, शीशे की चूड़ियां ५० परसेंट , इसी प्रकार अलग-अलग दरें हैं ।

श्री गेंदासिंह---सरकार ने यहां कई बार घोषित किया है कि इस संस्था का काम मुनाफा लेने का नहीं है और पिछले वर्षो में बराबर इसमें घाटा रहा है । तो यह लाभ लेने की नीति सरकार ने कब से बनाई ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---मान्यवर, इसमें थोड़ी सी गलतफहमी मालूम पड़ती है । लाभ शब्द से हमारा यह अर्थ है कि जब हम किसी आदमी से खरीदते हैं और जितने पैसे अधिक लेकर बेचते हैं उनमें और हैड चार्जेज सेल कास्ट, आर्गेनाईजिंग कास्ट, एडवर्टाइजमेंट कास्ट आदि इस प्रकार सब खर्चे उसमें शामिल हैं । इन सब में हमें जो पैसा मिलता है और जो खर्चा होता है, इसके बावजूद भी खर्चा ज्यादा हो जाता है । लेकिन मुझे खुशी है कि पिछले पांच सालों में खर्चा निरंतर कम होता जा रहा है । पहले जो नुकसान लाखों में था वह पिछले साल घट कर केवल ७३ हजार रह गया है । धीरे धीरे और कम करने का प्रयत्न कर रहे हैं ।

श्री मदन पांडेय---क्या यह सही है कि साढ़े बारह और साढ़े तेतीस प्रतिशत जो लाभ हैन्डीक्राफ्ट के द्वारा लिया जा रहा है फिर भी घाटा ही हो रहा है ? पी० ए० सी० में उद्योग संचालक ने आश्वासन दिया था कि हानि को रोकने का वे उपाय करेंगे । यदि यह सही है तो इस संबंध में क्या कदम उठाये गये हैं ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---लाभ के बारे में तो मैंने निवेदन कर ही दिया । पी० ए० सी० का सुझाव था कि इस संस्था को मुनाफे पर चलाया जाय । लेकिन मुनाफे पर चलाने की प्रवृत्ति हमारी है नहीं क्योंकि उसके द्वारा हम हैन्डीक्राफ्ट के सामान को फैलाने और उसका प्रसार करने का काम करते है और यह प्रयत्न करते हैं कि वह "नो प्राफिट नो लास", पर चल सके । इसमें जो सफलता हमें मिली है उसकी तरफ सदन का ध्यान मैंने आकर्षित किया है । उन्होंने जो आश्वासन दिया उसक बारे में हम प्रयत्न कर रहे हैं ।

श्री अमरनाथ---क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि जब हैन्डीक्राफट्स में परचेज कमेटी बनी हुई है तो सामान उस कमेटी के द्वारा न खरीदा जाकर स्पेशल मैनेजर द्वारा क्यों खरीदा गया ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---इसका मैंने अभी उत्तर दिया कि परचेज कमेटी द्वारा सामान खरीदा नहीं जाता है। वह रेट्स तय करती है और स्पेशल मैनेजर को जितने सामान की आवश्यकता होती है और जिस तरह के सामान की आवश्यकत होती है, वह खरीदता है।

श्री मुरलीधर कुरील (जिला कानपुर)---क्या यू०पी० हैन्डीक्राफट्स के सामान में रिबेट भी दिया जाता है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---जी हां, हैन्डीक्राफट के सामान पर रिबेट दिया जाता है।

श्री प्रतापसिंह---जो घाटा दिखाया जा रहा है क्या उसमें गबन की रकम भी शामिल है। यदि हां, तो उसको रोकने के लिये सरकार ने क्या व्यवस्था की है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---मान्यवर, यह तो मैं इस वक्त नहीं बता सकता कि उसमें गबन की रकम भी शामिल है या नहीं लेकिन इतना विश्वास दिलाता हूं कि मुझे ऐसी किसी रकम के गबन की याद नहीं है जो हजारों में हुई हो। अगर १००---२०० की कोई रकम रही तो उसकी जानकारी इस वक्त मुझे नहीं है।

श्री झारखंडेराय---इस बात को देखते हुए कि सदन में कई बार य० पी० हैन्डी क्राफटस के बारे में आलोचना हुई और पी० ए० सी० ने भी उसके बारे में बड़े एडवर्स कमेंट्स किये हैं तो क्या सरकार उसको सुव्यवस्थित करने के लिये यह विचार कर रही है कि उसके लिये कोई कमेटी नियुक्त की जाय ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---मान्यवर, ऐसा विचार तो नहीं है लेकिन मेरा ध्यान इस ओर अधिक से अधिक है और मैं यह विश्वास दिला सकता हूं कि डायरेक्टर महोदय ने जो पी० ए० सी० को आश्वासन दिया है उसको पूरा करने में सचेष्ट हूं।

हुमायूंपुर के दुल्लन सिंह की थानेदार की गोली से हत्या

**७---श्री रामशरण यादव (जिला लखनऊ)---क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या अगस्त, १९५९ के लगभग दूसरे सप्ताह में मैनपुरी जिले के भोगांव थाने के थानेदार ने हुमायूंपुर के एक निवासी की पिस्तौल से हत्या कर दी और कई व्यक्तियों को भी जख्मी किया ?

**८---यदि हां, तो क्या कारण था और इस संबंध में सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

गृह उपमंत्री (श्री रामस्वरूप यादव)---१२ अगस्त की अर्धरात्रि को एक व्यक्ति को थानेदार द्वारा गोली से मार दिए जाने तथा एक व्यक्ति को बेंत द्वारा पीटे जाने की रिपोर्ट थानें में लिखाई गई। इस संबंध में मैजिस्ट्रेट द्वारा जांच की जा रही है। अतः घटना की वास्तविकता के विषय में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता।

श्री रामशरण यादव---जो रिपोर्ट थानेदार द्वारा थानें मे लिखायी गयी है, उसमें क्या कारण गोली चलाने का दिखाया गया है और कौन सा स्थल दिखाया गया है ?

श्री रामस्वरूप यादव---घटना की रिपोर्ट एक व्यक्ति ने थाने में इस तरह से लिखाई है कि थानेदार एक गांव राधानगर को एक डकैती की तहकीकात के सम्बन्ध में कुछ कांस्टेबिलों के साथ जा रहे थे तो गांव हुमायूंपुर के पास दुल्लन सिंह के दो लड़कों को उन्होंने बेंत से पीटा और पीटने के बाद जब थानेदार उस गांव में गये जहां तहकीकात करनी थी तो हुमायूंपुर के लोग वहां गये और थानेदार ने उनके ऊपर गोली चला दी।

श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)---क्या सरकार इस सम्बन्ध में अधिकारियों की अधिकारिक राय को बतलाने की कृपा करेगी ?

श्री रामस्वरूप यादव---डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के कमेंट के साथ जिन मैजिस्ट्रेट साहब ने उसकी इनक्वायरी की, उसके आजाने के बाद उस पर विचार किया जायगा।

श्री रामशरण यादव---थानेदार ने उन लड़कों को बेंत से क्यों पीटा? क्या जरूरत आ पड़ी पीटने की ?

गृह मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)---मान्यवर, एक दूसरी रिपोर्ट थाने में लिखायी गयी है स्वयं थानेदार की ओर से, और उन्होंने अपनी रिपोर्ट में दूसरी बातें लिखी हैं। मामले की जांच अभी हो रही है और उसकी रिपोर्ट आ जाने पर ही वाकयात के सम्बन्ध में कुछ कहा जा सकता है। बहरहाल, जो रिपोर्ट दारोगा ने लिखायी है उसमें उन्होंने यह कहा है कि जब वे उस डकैती की तफतीश करने के लिये राधानगर गये और जिस व्यक्ति ने रिपोर्ट लिखायी थी उसके दरवाजे पर बैठ कर वह जांच पड़ताल का काम कर रहे थे उस वक्त हुमायूंपुर का एक दल जिसमें दुल्लनसिंह मौजूद थे, वहां आ गया और उसने कम्पलेंट करने वाले पर और पुलिस पर आक्रमण कर दिया और उसका कारण उन्होंने यह बतलाया है कि हुमायूंपुर के २ आदमियों का नाम डकैती के केस में कम्पलेंनेंट की ओर से एफ० आई० आर० में लिखा गया था। उससे नाराज होकर वह दल आया और उसने कहा कि हम इसका बदला लेंगे और उन्होंने आक्रमण कर दिया, कम्पलेंनेंट के ऊपर और दारोगा जी के ऊपर जो उसके दरवाजे पर बैठ कर तफतीश कर रहे थे। उसकी वजह से दारोगा जी को चोट आयी और दो तीन कांस्टेबिल जो थे, उनको भी चोट आयी। तब दारोगा जी ने अपने बचाव के लिये गोली चला दी, यह रिपोर्ट उन्होंने थाने में लिखायी।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---क्या गृह मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि दारोगा और कांस्टेबिल को जो चोट आयी उसका कोई डाक्टरी मुआयना हुआ ? यदि हुआ, तो उसकी रिपोर्ट क्या है ?

श्री रामस्वरूप यादव---पुलिस वालों को जो चोट आयी उसका डाक्टरी मुआयना किया गया है और उसके कागजात मेरे पास हैं। इसमें है कि जो हमला करने वाले थे उनके पास लाठियाँ थीं और भाले थे, लेकिन श्रीमन्, इस को देख कर बतलाने में काफी समय लगेगा कि किसको कितनी चोट आयी। यह तो डाक्टरी मुआयना रिपोर्ट को पूरी तरह से पढ़ कर ही बतला सकता हूं।

श्री गेंदासिंह---यह जांच करने के लिये दारोगा जी किस तारीख को और किस वक्त उस गांव में गये थे तथा पहली रिपोर्ट उन्होंने थाने में कब लिखायी और दूसरी रिपोर्ट कब लिखायी ?

श्री रामस्वरूप यादव---१२ अगस्त को दारोगा जी तहकीकात करने के लिये गये थे।

श्री गेंदासिंह---पहली रिपोर्ट उन्होंने कब लिखायी और दूसरी रिपोर्ट कब, लिखायी, इसको भी माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे ?

श्री रामस्वरूप यादव---दारोगा जी ने तो लौट कर १२ अगस्त को ही रिपोर्ट लिखाई थी और फिर कृपालसिंह ने दूसरी रिपोर्ट लिखायी।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिस व्यक्ति की गोली से हत्या हुई वह हुमायूंपुर में हुई या राधानगर में हुई ?

श्री रामस्वरूप यादव—वह राधानगर में हुई ।

श्री रामशरण यादव—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह जांच कैमरा जांच हो रही है या खुली जांच हो रही है और उस थानेदार के खिलाफ क्या कार्यवाही हुई ?

श्री रामस्वरूप यादव—मैजिस्टीरियल इन्कवायरी नियमानुसार हो रही है और थानेदार को पुलिस लाइन्स भेज दिया गया है ।

श्री झारखंडेराय—क्या मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि हुमायूंपुर के निवासियों की तरफ से कोई रिपोर्ट ऐसी लिखाई गई है जिसमें कहा गया है कि जो सज्जन मारे गये वह कुछ आदमियों को लेकर शिकायत करने गये जिससे मारपीट की बात हो ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है जिसमें थानेदार पर मारपीट की बात हो ।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)—क्या यह बात सत्य है कि थानेदार के गोली चलाने से हुमायूंपुर के अलावा और किसी गांव के आदमी के भी घायल होने का समाचार है, यदि हां, तो कितने व्यक्तियों के घायल होने का है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—वह रिपोर्ट केवल एक के ही मरने की है जो हुमायूंपुर का आदमी था और उस के पुत्र ने रिपोर्ट लिखाई थी ।

कुंवर श्रीपालसिंह—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि वह दल जो हुमायूंपुर को गया थ, जिसने हमला किया, उसमें कितने आदमी थे ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—ऐसा कहा जाता है कि २०–२५ आदमी के करीब रहे ।

श्री गनेशचन्द्र काछी (जिला मैनपुरी)—क्या जो शख्स मारा गया उस से दारोगा जी से कोई रंजिश थी या लाठियां चल रही थीं और वह घिर गये, इस कारण उन्होंने अपने बचाव के लिये गोली चलाई ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—मैंने निवेदन किया कि २ प्रकार की रिपोर्ट लिखाई गई हैं, एक रिपोर्ट तो दुल्लन सिंह के पुत्र की है जिसमें कहा गया है कि मेरे पिता को गोली से मार दिया गया और दूसरी रिपोर्ट थानेदार ने लिखाई है जिस में कहा गया है कि वह राधानगर में तफतीश कर रहे थे और वहां वह घिर गये और वहां उन्होंने अपनी रक्षा में गोली चलाकर जान बचाई ।

२ अप्रैल, १९५९ के तारांकित प्रश्न १७ के उत्तर में शोधन

प्रश्न	उत्तर
*१७—सर्व श्री उग्रसेन, व्रजनारायण तिवारी तथा झारखंडे राय—प्रदेश के गन्ना उत्पादकों की हड़ताल में १५ दिसम्बर १९५८ से ७ फरवरी १९५९ तक कितने व्यक्तियों की गिरफ्तारियां हुई हैं और कितने पर मुकद्दमें चल रहे हैं ?	प्रदेश में गन्ना आन्दोलन के कारण निर्दिष्ट अवधि के अन्दर २१८ व्यक्ति गिरफ्तार किये गये तथा १८७ व्यक्तियों पर मुकद्दमें चल रहे हैं ।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---उपरोक्त उत्तर में कुछ अशुद्धियां रह गई थीं । सही उत्तर इस प्रकार था :---

"प्रदेश में गन्ना आन्दोलन के कारण निर्दिष्ट अवधि के अन्दर २१८ व्यक्ति गिरफ्तार किये गये तथा १९७ व्यक्तियों पर मुकद्दमें चल रहे हैं ।"

श्री उग्रसेन---क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस तरह के गांव-गांव में जो मुकद्दमे चल रहे हैं वे किन-किन धाराओं के अन्दर चल रहे हैं ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---आई० पी० सी० और सी० आर० पी० सी० की विभिन्न धाराओं के मातहत चल रहे हैं और कहां पर कैसी मुकद्दमों की स्थिति है यह इस समय नहीं कहा जा सकता ।

श्री उग्रसेन---क्या यह सही है कि गिरफ्तार व्यक्तियों की संख्या से भी अधिक संख्या में लोग थाने में रात को बन्द किये गये और सुबह को छोड़ दिये गये और उनकी गणना नहीं की गई ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---जी नहीं, ऐसी कोई सूचना हमारे पास नहीं है ।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)---क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि मेरठ में एक मुकद्दमा दफा ३२५ में यशवंत शुगर मिल का सेशन को सुपुर्द हुआ था और वह केस अब छूट गया है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---मान्यवर, मैंने निवेदन किया कि विभिन्न केस में क्या-क्या हुआ उसकी सूचना मेरे पास नहीं है । इसलिय मैं नहीं कह सकता कि माननीय सदस्य जो सूचना दे रहेहैं वह सही है या नहीं ।

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी (जिला देवरिया)---क्या सरकार बतलायेगी कि गन्ना उत्पादकों की हड़ताल ने या विभिन्न राजनीतिक पार्टियों ने हड़ताल कराई ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---गन्ना उत्पादकों में से कुछ लोगों ने कुछ लोगों के कहने से हड़ताल जरूर की । लेकिन खुशी है कि बहुत बड़ी संख्या में गन्ना उत्पादकों न हड़ताल नहीं की ।

श्री झारखंडेराय---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि २१८ आदमी जो गिरफ्तार हुए और १९७ पर केस चल रहे हैं, तो २१ आदमी क्या छोड़ दिये गये ? जिनके ऊपर केस चल रहे हैं उनमें से किसी को सजा हुई कि नहीं, यदि हुई तो कितनों को ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---२१८ आदमी इसमें लिखा है कि गिरफ्तार हुए । सबके ऊपर मुकदमा चलाना सरकार ने स्वीकार नहीं किया । कितने आदमी बीच में छोड़ दिय गये, कितन लोगों न उसक लिय दुःख प्रकट किया, यह सूचना मेरे पास नहीं है । इसके लिये नोटिस की आवश्यकता होगी ।

श्रीमती प्रकाशवती सूद (जिला मेरठ)---क्या सरकार बतायेगी कि गन्ना ले जाते हुए किसानों को कुछ लोगों ने इतना पीटा कि वह मौत के मुंह से बचे ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---मान्यवर, यह सही है कि प्रदेश के कोने-कोने से हमारे पास यह बात आई है कि कुछ लोगों ने गन्ना ले जाने वालों को रोकने की कोशिश की और इनके साथ ज्यादती की ।

श्री उग्रसेन---क्या यह सही है कि जो सरकारी एजेन्ट थे उन्होंने गन्ना किसानों को इसलिये पीटा कि उनमें उत्तेजना पैदा हो और गन्ना आंदोलन फेल हो जाय ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---मान्यवर, हमारे एजेन्ट अगर उस तरफ भी मौजूद होते तो हमें बड़ी खुशी होगी ।

श्री प्रतापसिंह---क्या माननीय मंत्री जी सदन की जानकारी के लिये एक कोई ऐसा इंसटांस बताने की कृपा करेंगे जहां किसानों को, जो कि गन्ना ला रहे थे, किसी ने पीटा हो ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---इसकी सूचना देवरिया जिले के एक-दो स्थान से मिली, गोरखपुर से मिली, मेरठ से मिली । नाम लेने के लिये मुझे माफ किया जाय वरना किसी अच्छे आदमी का नाम उसमें आ गया तो मुझे भी और उन्हें भी दिक्कत होगी।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जिन रिपोर्टों की उनको सूचना मिली वह रिपोर्टें थाने में हुई थीं या उनके पास निजी सूचना आई थी ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---सरकार के कर्मचारियों की ओर से उस वक्त जितनी भी रिपोर्ट्स आईं उनके आधार पर कह रहा हूं। साथ ही सार्वजनिक कार्यकर्त्ताओं ने समय-समय पर उस वक्त यह सूचना हमें दी ।

श्री राजनारायण---क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि जब गन्ना उत्पादकों की हड़ताल चल रही थी तो मिल-मालिकों के आदमी जबर्दस्ती किसानों को मिलों में गन्ना ले आने के लिये प्रेरित करते थे और उन लोगों ने किसानों को बुरी तरह से परेशान किया ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---मान्यवर, यह सही है कि हम सब की कोशिश थी कि गन्ना मिलों को मिले, लेकिन जबर्दस्ती किसी को प्रेरित करने की बात तो संभव नहीं थी ।

श्री उग्रसेन---क्या सरकार बतायेगी कि जिन व्यक्तियों का चालान हुआ था उनमें से कितने ऐसे हैं जिन पर आज भी मुकद्दमा चल रहा है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---उसके लिये नोटिस की आवयकता होगी ।

श्री प्रतापसिंह---माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि जब उनको देवरिया से किसी अमुक व्यक्ति की शिकायत मिली तो सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---गर्मी जब ऊपर हो तो मान लेते हैं कि लू-लपट लग गई । फिर ठंडक आ गई । अब किस्सा खत्म हुआ ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि माननीय गेंदासिंह पर और उनके १२ साथियों पर बलवा और मारपीट करने का मुकद्दमा चला था और वह अदालत से निर्दोष पाये गये ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---मान्यवर गेंदासिंह जी के पड़ोस में माननीय पालीवाल ज्यादा जानते होंगे । मैंने कहा कि विशिष्ट आदमी का अलग-अलग नाम पूछ कर सूचना एकत्रित नहीं की । अगर नोटिस देंगे तो एकत्र कर दी जायगी ।

श्री अब्दुल रऊफ लारी (जिला गोरखपुर)---मंत्री जी बतायेंगे कि जब यह गन्ना हड़ताल चल रही थी उस वक्त उनकी तरफ से कोशिश हो रही थी कि वह हड़ताल विफल हो ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---हर अव्यवस्था को विफल करने का हमारा कर्तव्य है और उसे जरूर पूरा करेंगे ।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे---क्या सरकार बतायेगी कि मिल-मालिकों को जो सरकार ने सलाह दी थी कि गन्ने के दाम कुछ बढ़ाकर वह दें तो मिल-मालिकों ने गन्ना हड़ताल के दौरान में उस सलाह को सरकार की माना या नहीं माना ? अगर नहीं माना तो सरकार ने क्या किया ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--मान्यवर, यह कहना मेरे खयाल से वस्तुस्थिति के अनुकूल नहीं होगा कि हमने कोई सलाह दी थी कि वह गन्ने का दाम बढ़ा कर दें । यह हमारी बराबर सलाह रही है हर मसले पर मिल मालिक और गन्ना उत्पादक अगर सम्भव हो तो देखें कि कोई एरिया आफ ऐग्रीमेंट निकल सकता है या नहीं । लेकिन वह नहीं निकल पाया ।

श्री जगवीरसिंह (जिला बुलन्दशहर)--क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इस सिलसिले में जो मुकदमे चलाये गये देवरिया जिले में वे झूठे पाये गये ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--मान्यवर, मेरी सूचना ऐसी नहीं है ।

श्री बालकराम (जिला शाहजहांपुर)--क्या मंत्री जी बतायेंगे कि हड़ताल के जमाने में मिल बन्द रही ? अगर बन्द रही, तो उससे मंत्री जी को खुशी हुई या रंज ?

श्री अध्यक्ष--उन्होंने अपनी खुशी तो बता दी कि हड़ताल फेल होने से उन्हें खुशी हुई ।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३० (४) के अन्तर्गत निर्धारित तारांकित प्रश्न]

पिपराइच पेपर मिल पुनः चालू करने की प्रार्थना

*१--**श्री रामसूरतप्रसाद** (जिला गोरखपुर)--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गोरखपुर जिलान्तर्गत पिपराइच में कागज बनाने की जो मिल थी वह कब से व क्यों बन्द है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--गोरखपुर जिले की पिपराइच पेपर मिल ब्वायलर की सफाई व मरम्मत तथा मिल के ठेकेदार (Lessee) के विरुद्ध मुकद्दमें चलने के कारण ७ अप्रैल, १९५८ से बन्द है ।

*२--**श्री रामसूरतप्रसाद**--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उक्त कागज बनाने की मिल के बन्द हो जाने से कितने श्रमिक बेकार हुये ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--कुल १२५ श्रमिक ।

*३--**श्री रामसूरतप्रसाद**--क्या सरकार उक्त कागज बनाने की मिल को पुनः चालू कराने की व्यवस्था करेगी ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--आगामी अक्तूबर मास तक इस मिल के चालू हो जाने की आशा की जाती है ।

श्री रामसूरतप्रसाद--क्या मंत्री जी बतायेंगे कि उक्त पेपर मिल का ठेकेदार कौन है और दूसरी कौन सी पार्टी है जिससे मुकद्दमा चल रहा है और किन कारणों से ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--मान्यवर, यह तो पिपराइच शुगर मिल का एक ४ टन का प्लान्ट था और उन्होंने इसको बन्द किया । इकबाल बहादुर श्रीवास्तव दूसरे आये हैं जिनके पास इस वक्त उसकी लीज है ।

श्री रामसूरतप्रसाद--क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जो १२५ श्रमिक ७ अप्रैल, १९५८ से बेकार बठ थ उनको अंतरिम भत्ता देनेकी व्यवस्था सरकार की ओर से कोई की गई ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---बंद मिल के मजदूरों को अंतरिम भत्ता देने का कोई विधान नहीं है ।

श्री मदन पांडेय---क्या यह सही है कि जो १२५ मजदूर बेकार हैं उनकी तनख्वाह की बकाया है ? यदि हां, तो कितनी बकाया है और उसे दिलाने के लिये क्या प्रबन्ध किया गया है?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---बकाया तनख्वाह की कोई सूचना मेरे पास नहीं है । लेकिन यह सही है कि मिल बंदी का जो मुआवजा मजदूरों को मिलना चाहिये वह नहीं मिल पाया । इस सम्बन्ध में श्रम विभाग कार्य कर रहा है ।

श्री झारखंडेराय---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जो मिल आपसी झगड़े की वजह से बन्द है ऐसा कहा गया है, तो सरकार कोई ऐसी व्यवस्था करने का विचार कर रही है या करेगी कि आपसी झगड़े चाहे हुआ करें लेकिन मिल न बन्द हो और उत्पादन में कोई गड़बड़ी न पड़ने पावे ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---केन्द्रीय सरकार ने इस सम्बन्ध में अधिकार लिये हैं इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट ऐक्ट के मातहत । हमारे पास उसका कोई अधिकार नहीं है अपने क्षेत्र में । लेकिन हमारी कोशिश यह रहती है कि अपने गुड आफिसेज हमेशा हम लगाते हैं जहां कहीं मिल बंदी होती है और प्रदेश में हमने हाल में ही कई बन्द मिलों को चलाया ।

श्री प्रतापसिंह---क्या माननीय मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि यह मिल जब से बन्द हुई तब से आज तक कितनी बार सरकार ने अपने गुड आफिसेज का यूज किया और सरकार ने क्या प्रयत्न किये ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---इसमें दिक्कत यह आ गई थी कि हाईकोर्ट में मामला था और हाईकोर्ट से १४ अप्रैल, १९५९ को एक ऐसी आज्ञा जारी हुई जिसके कारण रास्ता खुला और तब से बराबर सहायता कर रहे हैं उस मिल मालिक की और कोशिश हो रही है कि अक्तूबर में मिल का उत्पादन शुरू हो जाय ।

श्री भगवतीसिंह विशारद (जिला उन्नाव)---७ अप्रैल, १९५८ से जो मिल बन्द है इसको प्रदेशीय सरकार के प्रचलित श्रम कानून के अन्तर्गत इस बन्दी को कौन सी संज्ञा दी जायगी और उसके अनुसार मजदूरों को क्या सुविधायें प्रदान करने जा रहे है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---यह प्रश्न विवाद का बन गया है । रिट्रेन्चमेन्ट माना जायगा या प्ले आफ माना जायगा मिल मालिकों और मजदूरों में एक राय नहीं है । जैसा पहले निवेदन किया, श्रम विभाग उस मामले को देख कर सुलझाने की चेष्टा कर रहा है ।

श्री रामसूरतप्रसाद---जब आगामी अक्तूबर मास से, जो यह मिल चलाने की आशा दी गई ह, तो वह उस लसी के द्वारा चलाई जायगी या सरकार द्वारा चलाई जायगी ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---लेसी चलायेगा, हमने तो मिल को लिया नहीं ।

[३ सितम्बर, १९५९ के लिए निर्धारित तारांकित प्रश्न]

स्टेट फाइनेन्स कारपोरेशन से औद्योगिक प्रतिष्ठानों को ऋण

*१---**श्रीमती राजेन्द्रकिशोरी** (जिला बस्ती)---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि State Finance Corporation ने वर्ष १९५६ से ३१ मार्च, १९५९ तक कितना-कितना धन किन-किन औद्योगिक प्रतिष्ठानों को कर्ज के रूप में दिया है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---वर्ष १९५६-५७ से वर्ष १९५८-५९ तक यू० पी० फाईनेन्स कार्पोरेशन ने अपने धन में से ३३ औद्योगिक प्रतिष्ठानों को ७२, १५,५०० रुपये और Liberalised Loans Scheme के अन्तर्गत उक्त समय में १०७ औद्योगिक प्रतिष्ठानों को ३०,७७,१०० रुपया कर्ज के रूप में दिया है । सार्वजनिक हित में और अधिक ब्योरा देना सम्भव नहीं है ।

*२—श्रीमती राजेन्द्रकिशोरी—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि यू० आई० सी० पेपर मिल, लखनऊ के प्रबन्धकों ने State Finance Corporation को उक्त अवधि में कर्जे के लिये अर्जी दी थी ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही अब तक हुई है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—जी हां, सर्वश्री यू० आई० सी० पेपर मिल का प्रार्थना-पत्र अभी यू० पी० फाईनेन्स कार्पोरेशन के विचाराधीन है । सार्वजनिक हित में और अधिक ब्योरा देना संभव नहीं है ।

श्री राजनारायण—क्या सरकार यह बतलाने का कष्ट करेगी कि यह जो ३३ औद्योगिक संस्थाओं को ७२ लाख रुपये कर्ज दिये गये हैं उसमें ५ लाख रुपये जो सन् ५८ में हिन्दुस्तान कार्पोरेशन को दिये गये थे, वे भी शामिल हैं ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—जहां तक मेरी सूचना है यह सब लोगों को मिला कर दिया गया है । इसमें जिस संस्था का नाम माननीय सदस्य ले रहे हैं वह शामिल नहीं है और न उसको कर्ज दिया जाना मेरी सूचना में ही है ।

श्री गेंदासिंह—क्या यह ठीक है कि माननीय मंत्री सार्वजनिक हित में नाम बतलाना उचित नहीं समझते हैं ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—स्टेट फाइनेन्शियल ऐक्ट, १९५१ की धारा ४० हमें इस बात से बाध्य करती है कि कोई भी नाम या डिटेल्स जो इस लोन के सिलसिले में फाइनैन्स कार्पोरेशन के पास आयें न बतलायें । इसलिये हम बाध्य हैं ।

श्री भुवनेशभूषण शर्मा (जिला इटावा)—क्या सरकार ने यू० आई० सी० पेपर मिल को अगस्त के आखिरी पखवारे में १० लाख रुपये कर्ज देना मंजूर कर लिया है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—इस प्रश्न का उत्तर जिस तारीख तक मेरे पास आया है उस तारीख तक तो नहीं दिया गया और वह १० रोज पहले का जवाब आया है । १० रोज के भीतर हुआ हो तो मुझे जानकारी नहीं है ।

श्री झारखंडेराय—क्या माननीय मंत्री जी इतना बता सकते हैं कि किन संस्थाओं अथवा प्रतिष्ठानों की ओर से दरख्वास्तें दी गईं और कितनी संख्या में मंजूर हुईं ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—कुल कितनी दरख्वास्तें आईं, मेरे पास अभाग्यवश इसकी सूचना नहीं है, नोटिस की आवश्यकता होगी ।

श्री प्रतापसिंह—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि स्टेट फाइनेन्स कार्पोरेशन की कितनी शक्ति है और कितना रुपया कर्जा देने का उसको अधिकार है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—जिस वक्त यह हुआ था इसका अथोराइज्ड कैपिटल ३ करोड़ रुपये का था । उत्तर प्रदेश की सरकार ने भी इसके शेयर्स लिये लेकिन इसका इश्यूड कैपिटल सिर्फ १ करोड़ रुपया है । अब इस १ करोड़ रुपये के आधार पर बैंक से जो इसकी साख है उसको देखते हुये यह कर्जा देता रहता है । हाल में इसने ५० लाख के डिबेन्चर्स और उठाये । इस तरह इसकी साख करीब डेढ़ करोड़ रुपये हो गई है और इस पर अगर वह बैंक से कुछ कर्जा लेना चाहे तो ले यह उसके अपने विचार करने की चीज है ।

*३—श्री मदन पांडेय—[वांछित सूचना एकत्र न हो सकने के कारण १० सितम्बर, १९५९ के लिय स्थगित किया गया ।]

गोरखपुर रोडवेज़ क्षेत्र के जनरल मैनेजर के विचाराधीन अपीलें

*४—श्री मदन पांडेय—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि रोडवेज के गोरखपुर रीजन के जनरल मैनेजर के पास रोडवेज कर्मचारियों की कितनी अपीलें बिला फैसला पड़ी हैं तथा कितने समय से पड़ी हैं ?

परिवहन मंत्री (डाक्टर सीताराम)—चार अपीलें हैं, जिनमें २ मार्च, १९५९ की १ अप्रैल, १९५९ की तथा १ जुलाई, १९५९ की है ।

श्री मदन पांडेय—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि ये अपीलें जनरल मैनेजर के यहां कब दायर की गई थीं और अब तक इनका फैसला न होने का कारण क्या है ?

डाक्टर सीताराम—यह प्रश्नोत्तर में बतला दिया गया है कि किन-किन तारीखों को ये अपीलें जनरल मैनेजर के यहां दायर की गई । इनके फैसले में देरी का कारण यह है कि जनरल मैनेजर ने असिस्टेंट जनरल मैनेजर के द्वारा इन केसेज में रिपोर्ट मांगी । इसीलिये इसमें देरी हो रही है ।

श्री झारखंडेराय—क्या सरकार की ओर से कोई ऐसे भी आदेश दिये गये हैं कि अधिक से अधिक इतने समय में अपील का फैसला जरूर हो जाय ? यदि नहीं, तो क्या सरकार ऐसा आदेश देने का विचार रखती है ताकि जल्दी काम हो ?

डाक्टर सीताराम—आदेश अवश्य है कि दो महीने के अन्दर फैसला हो जाय । इसमें से दो केसेज ५ महीने, एक केस ४ महीने और एक केस सिर्फ १ महीने का है । इसलिये ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के द्वारा जनरल मैनेजर को आदेश भेजा गया है कि इन केसेज का निपटारा शीघ्रातिशीघ्र करें ।

*५—श्री मदन पांडेय—[वांछित सूचना एकत्र न हो सकने के कारण १० सितम्बर, १९५९ के लिये स्थगित किया गया ।]

श्रम कल्याण केन्द्रों की इमारतें

*६—श्री ताराचन्द माहेश्वरी (जिला सीतापुर)—क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में जिन सत्रह राजकीय श्रम-कल्याण केन्द्रों की इमारतों में निर्माण की योजना सम्मिलित की गई थी उनमें से कितने केन्द्रों की इमारतों का निर्माण-कार्य ३० जून, १९५९ तक समाप्त हो चुका है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा— ३ ।

*७—श्री ताराचन्द माहेश्वरी—क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में जिन श्रम-कल्याण केन्द्रों के लिये पांच भवनों के निर्माण का निश्चय किया गया था क्या यह भवन जहां बनाये जावेंगे उनके स्थानों का भी निश्चय कर लिया गया है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—जी हां ।

*८—श्री ताराचन्द माहेश्वरी—यदि हां, तो क्या निश्चित किये गये स्थानों में 'सीतापुर' भी है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—जी नहीं ।

श्री ताराचन्द माहेश्वरी—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि १७ राजकीय श्रमिक भवनों के निर्माण में द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कुल कितना रुपया व्यय होगा ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—इस सम्बन्ध में २४,९०,००० रुपया खर्च करना आंका गया है, कितना धन मिल सकेगा इस योजना काल में, मैं ठीक से नहीं कह सकता ।

श्री ताराचन्द माहेश्वरी--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि योजना के प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय वर्षों में कितने भवनों के निर्माण हेतु कितने धन के व्यय की स्वीकृति दी जा चुकी है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--मुझे यह कहने में संकोच नहीं है कि जितना देना चाहिये था उतना नहीं दे पाये । प्रथम वर्ष में ४ लाख ८० हजार, द्वितीय वर्ष में ५ लाख ४३ हजार और तृतीय वर्ष में ५ लाख ६५ हजार रुपया खर्च होने को था, लेकिन चौथे वर्ष हम केवल ५७ हजार रुपये निकाल पाये । भविष्य में नहीं कह सकता कितना और रुपया निकाल पायेंगे ।

श्री ताराचन्द माहेश्वरी--इन रुपयों की स्वीकृति देते समय कितने भवनों के निर्माण की स्वीकृति दी गई थी ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--चूंकि रुपया पूरा निकाल नहीं पाये, इसलिये स्वीकृति का प्रश्न नहीं आया । बजट में ५७ हजार रुपये का ही प्राविधान हो पाया ।

श्री ताराचन्द माहेश्वरी--क्या मंत्री जी बतायेंगे, कि इन भवनों का निर्माण पी० डब्ल्यू० डी० द्वारा हो रहा है या किसी कंट्रेक्टर के द्वारा हो रहा है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--मान्यवर, जैसा कि मैंने निवेदन किया कि इस साल में हम पैसा नहीं निकाल पाये और ५७,००० रुपये से भवन नहीं बन सकते हैं । इसलिये जब भवन ही नहीं बन रहे हैं तो बनायेगा कौन ।

*९-१०--**श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी** (जिला झांसी)--[वांछित सूचना एकत्र न हो सकने के कारण १० सितम्बर, १९५९ के लिये स्थगित किये गये ।]

*११--**श्री नागेश्वरप्रसाद** (जिला जौनपुर)--[वांछित सूचना एकत्र न हो सकने के कारण १० सितम्बर, १९५९ के लिये स्थगित किया गया ।]

सुगंधित पुष्पों से तेल निकालने के कारखाने

*१२--**श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ** (जिला अलीगढ़)--क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इस प्रदेश में खुशबूदार फूलों के इत्र, तेल तथा परफ्यूमरी के कारखाने किस-किस स्थान पर हैं ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--इस प्रदेश में कानपुर, कन्नौज, गाजीपुर, जौनपुर, सिकन्दरपुर (जिला बलिया), हसायन, बरमाना (जिला अलीगढ़), इत्यादि स्थानों में खुशबूदार फूलों के इत्र, एवं तेल के निजी कारखाने हैं । बिसवां (जिला सीतापुर), कौड़ियालाघाट (जिला लखीमपुर खीरी) मूसानगर (जिला कानपुर) तथा माठ (जिला मथुरा) में भी गान्धिक लोग खस का तेल एवं इत्र बनाते हैं । सहसवान जिला बदायूं में केवड़े का इत्र बनाया जाता है ।

श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ--क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इन कारखानों में किस-किस चीज का उत्पादन होता है और सरकार ने उनके प्रोत्साहन के लिये क्या प्रयत्न किया है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--इस समय मेरे पास अलग-अलग सूची नहीं है कि किन-किन कारखानों को लगाया है और क्या उत्पन्न होता है, लेकिन हमारी एक इसेंशियल आयल डेवलपमेंट स्कीम है उसके मातहत विभिन्न स्थानों पर ट्रेनिंग देते हैं और कुछ खुशबूदार तेल बनाने के लिये मशीन सबसीडी के साथ बांटते हैं ।

श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ--क्या मंत्री जी बतायेंगे कि आज से तीन वर्ष पूर्व हाथरस और हसायन क्षेत्र में गुलाब की कृषि फार्म और रिसर्च ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के संबंध में कोई कोआपरेटिव योजना प्रस्तुत की गई थी ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---जी हां, योजना आती रहती हैं और उन्हें देखा भी जाता है । ऐसी कोई योजना आई होगी । मुझे इसकी सूचना नहीं है ।

श्री गौरीशंकर राय---क्या सरकार को मालूम है कि बलिया में सिकन्दरपुर का खुशबूदार तेल और इत्र ऐसा होता था जो इंटरनेशनल मार्केट को कैप्चर किये हुये था । अब उसको बचाने के लिये सरकार क्या प्रयास कर रही है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---मान्यवर, जैसा कि मैंने निवेदन किया कि हम लोगों को अच्छी किस्म का तेल तथा इत्र बनाने की और पैकिंग वगैरह की ट्रेनिंग देते हैं और सिकन्दरपुर वगैरह की तरफ भी कोशिश होगी इसमें कोई संदेह नहीं है ।

गोरखपुर जिला उद्योग विभाग से संबंधित आरोप-पत्र

*१३---श्री उग्रसेन---क्या मुख्य मंत्री जी के पास उद्योग अधिकारी, गोरखपुर द्वारा जिला उद्योग विभाग में गम्भीर अव्यवस्था के आशय का कोई आरोप-पत्र इस माह प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो मंत्री महोदय ने उस पर कौन सी कार्यवाही की ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---(क) एक आरोप-पत्र आया है ।

(ख) आरोपों के संबंध में जांच की जा रही है ।

श्री उग्रसेन---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जो आरोपित-पत्र उनके पास अश्विनी कुमार जी के पास से आया है उसमें मुख्य-मुख्य कौन से आरोप हैं ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---मान्यवर, उन्होंने तरह-तरह का भ्रष्टाचार के आरोप लगाये हैं और चूंकि वह जांच में हैं इसलिये उनको बताना ठीक नहीं होगा ।

श्री उग्रसेन---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इन आरोपों की जांच किस अधिकारी द्वारा करा रहे हैं ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---औद्योगिक संचालक से कहा गया है और जैसा वह उचित समझेंगे करेंगे ?

श्री राजनारायण---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि एलाइड साइंटिफिक कारपोरेशन को दस हजार रुपया दिया गया था और जिस काम के लिये दिया गया था वह उन्होंने नहीं किया, तो क्या इसकी भी शिकायत उनके पास आई है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---मान्यवर, जहां तक मेरी सूचना है वह यह है कि एलाइड साइंटीफिक कम्पनी नाम की कोई संस्था नहीं है ।

श्री राजनारायण---मेरा प्रश्न है कि एलाइड साइंटीफिक कारपोरेशन को औद्योगिक विभाग से दस हजार रुपया साइंस का सामान बनाने के लिये दिया गया था । उसने उसे नहीं बनाया । इसकी भी शिकायत उनके पास आई थी ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---जिस शिकायत के सम्बन्ध में यह प्रश्न है उसमें इसकी कोई तफसील नहीं है और किसी शिकायत की इस वक्त मुझे जानकारी नहीं है ।

श्री राजनारायण---क्या जो शिकायती-पत्र सरकार के पास गया है उसमें गोरखपुर साइकिल इंडस्ट्री जिसको १५,००० रुपया बनाने के लिये दिया गया और गोरखपुर साइकिल इंडस्ट्री नामक कोई वहां है ही नहीं ? इसकी भी सूचना है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---जी नहीं । शिकायत यह है कि न्यू साइकिल स्टोर्स को साइकिल का कारखाना चलाने के लिये कुछ रुपया देना था, वह नहीं दिया गया और मिलने वाले रुपये को गड़बड़ में डाल दिया गया ।

श्री उग्रसेन---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि अभी पूर्वी रेंज के डिप्टी डायरेक्टर जांच में गये थे और जब उन्होंने साइकिल इंडस्ट्री, गोरखपुर, अजय आयरन इंडस्ट्री ऐंड फाउंडरी, गोरखपुर और अलाइड साइंटीफिक कार्पोरेशन, गोरखपुर की जांच की तो वहां कोई सामान नहीं निकला ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---मान्यवर, सरकार के पास कोई जांच का परिणाम नहीं है।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---क्या सरकार बतायेगी कि मुख्य-मुख्य आरोप क्या हैं ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---मान्यवर, इसी तरह की बातें हैं कि रुपया देने में पैसा लेते हैं, लोगों को दिक करते हैं, रा मैटीरियल गलत सही करते हैं और कोई खास बात तो है नहीं ।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे---यह देखते हुये कि साधारणतया शिकायतें इस बात की हैं कि रुपया जिस काम के लिये लिया गया उस काम में उपयोग नहीं किया गया तो क्या सरकार कोई कमेटी बना कर जिन लोगों को अब तक रुपया दिया गया है इसकी जांच करवायेगी और सदन के सामने रिपोर्ट रखेगी कि उन्होंने रुपये का सदुपयोग किया या दुरुपयोग किया ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---ऐसी कमेटी बनाने का न तो कोई विचार हुआ है और न मेरे खयाल से आवश्यकता ही है । हमने कमिश्नरी के लेविल पर इवैलुएशन कमेटी बनायी है जिसमें इस माननीय सदन के भी सदस्य अपनी-अपनी कमिश्नरी में हैं, कई जगह पर। वह सब देखेंगे कि जो पैसा दिया गया अभी तक उसका सदुपयोग हुआ है या नहीं हुआ है ।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट---क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि जितनी भी इवैलुएशन कमेटियां बनी हैं सिवा माननीय कल्याणचन्द मोहिले के और कोई विरोधी दल का सदस्य नहीं लिया गया, बाकी सब कांग्रेस के सदस्य हैं ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---पार्टी के हिसाब से उसमें कोई मेम्बर नहीं चुना गया ।

श्री राजनारायण---क्या सरकार को इस बात की भी जानकारी है कि जो शिकायती-पत्र उनको भेजा गया है जिसकी एक कापी मेरे पास भी है, उसमें कहा गया है कि राजकीय कम्बल शिक्षण शिविर जो संस्था है उसमें एक भी कम्बल नहीं बनता ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---यह शिकायती-पत्र में कहा गया है। लेकिन मान्यवर, इस प्रकार शनैः शनैः सभी शिकायतों की चर्चा हो जाय और जांच हो रही हो, इसलिये आप क्षमा करें, अगर माननीय सदस्य उस दिन पूछें जब जांच का परिणाम आ जाय तो ज्यादा अच्छा हो ।

श्री अध्यक्ष---वह यह पूछ रहे हैं कि यह शिकायत है या नहीं ।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---हां, है ।

श्री राजनारायण---क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि इंडस्ट्री विभाग के डिप्टी डायरेक्टर श्री भूपीसिंह जिनका हेड क्वार्टर वाराणसी में है वह स्वतः जांच करने गये थे और जांच करते हुये जो लीपापोती पायी गई उसकी रिपोर्ट अभी तक नहीं की है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---रिपोर्ट कहां होती है यह मुझे नहीं मालूम। सरकार के पास जो सूचना आती है वह नहीं आई । वह प्रासेस में है । आती होगी ।

*१४-१५---श्री उग्रसेन---[वांछित सूचना एकत्र न हो सकने के कारण आठवें गुरुवार क लिय स्थगित किय गये ।]

औद्योगिक आस्थान योजनायें

*१६--श्री चन्द्रजीत यादव तथा श्री राजेन्द्रसिंह (जिला हरदोई)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इस समय राज्य में कितने Industrial Estate की योजनायें चल रही हैं और वे किन-किन स्थानों पर हैं ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--(क) पांच ।

(ख) आगरा, कानपुर, लोनी ब्लाक (मेरठ), देवबन्द (सहारनपुर) तथा काशी विद्यापीठ (वाराणसी) में ।

*१७--श्री चन्द्रजीत यादव तथा श्री राजेन्द्रसिंह--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इलाहाबाद में कोई Industrial Estate है ? यदि हां, तो उस योजना पर कुल कितना रुपया लगा है और इस समय उसमें कौन-कौन से उद्योग चल रहे हैं ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--(क) इलाहाबाद जिले में नैनी नामक स्थान पर एक औद्योगिक आस्थान भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया है ।

(ख) राज्य सरकार को सूचना नहीं है ।

*१८--श्री चन्द्रजीत यादव तथा श्रीराजेन्द्रसिंह--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या वाराणसी में काशी विद्यापीठ के अन्तर्गत किसी Industrial Estate की योजना है ? यदि हां, तो उसकी रूप-रेखा क्या है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--(क) जी हां ।

(ख) वह एक छोटी स्टेट है । इसकी रूपरेखा यह है कि वहां १८ वर्कशापों के खण्ड और अन्य इमारतें बनाई जायं । वह वर्कशाप्स छोटे उद्योगपतियों को अलाट किये जायं जहां वह अपने उद्योग चलायें । सरकार उनको पानी, बिजली आदि की सहायता देगी । उक्त योजना का तखमीना २,९६,४०० रुपया है ।

श्री चन्द्रजीत यादव--क्या माननीय मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी में जो इंडस्ट्रीयल स्टेट है उसके बनाने में अब तक क्या प्रगति हुई है और उसमें कौन-कौन मुख्य उद्योग लगाने वाली है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--इसमें अभी तक केवल भूमि अक्वायर हो पाई है। लेकिन आपके द्वारा माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाता हूं कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में यह काम पूरा हो जायगा । क्या-क्या उद्योग लगेंगे यह कोई हम को लगाना नहीं है । उद्योग-पतियों की ओर से विभिन्न योजनाओं की बात हमारे सामने आयेगी तो हम उसको देख लेंगे और जो अच्छे से अच्छे शेड हमारे पास होंगे वह उन लोगों को हम दे देंगे ।

इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स

*१९--श्री रघुरनतेजबहादुरसिंह (जिला गोंडा)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि १९५२ ई० से १९५९ ई० के माह जुलाई तक उत्तर प्रदेश में कितने राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण के टेक्नीकल स्कूल कहां-कहां खोले गये ?

डाटर सम्पूर्णानन्द--सन् १९५२ से १९५९ ई० के माह जुलाई तक उत्तर प्रदेश में पांच इंडस्ट्रीयल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स निम्नलिखित स्थानों में खोले गये हैं :--

१--कानपुर, २--आगरा, ३--बरेली, ४--गोंडा, ५--मिर्जापुर ।

*२०--श्री रघुरनतेजबहादुरसिंह--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उन स्कूलों में किन-किन विषयों की शिक्षा दी जाती है ?

नोट--तारांकित प्रश्न १८ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया ।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--इनमें निम्नांकित विषयों की शिक्षा दी जाती है :--

(१) इंडस्ट्रीयल ट्रेनिंग इन्स्टीट्यूट कानपुर--

१--बढ़ई
२--ड्राफ्ट्समैन (सिविल)
३--ड्राफ्ट्समैन (मेकैनिक)
४--इलेक्ट्रीशियन
५--फिटर
६--पेन्टर
७--शीट मेटल
८--लोहार
९--पैटर्न मेकर
१०--मोल्डर
११--वेल्डर
१२--मशीनिस्ट
१३--टर्नर
१४--टूल मेकर
१५--ग्राइन्डर
१६--लाइन मैन (वायर मैन)
१७--मेकैनिक (इंस्ट्रूमेन्ट)
१८--मेकैनिक (मोटर)
१९--रेफ्रीजिरेटर
२०--सर्वेयर
२१--इलेक्ट्रोप्लेटर (मेकेनिक)
२२--प्लम्बर
२३--अवहोस्टर ।

(२) इन्डस्ट्रीयल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट आगरा--

(३) बरेली, (४) गोंडा--

१--बढ़ई
२--लोहार
३--ड्राफ्ट्समैन (सिविल)
४--ड्राफ्ट्समैन (मेकैनिक)
५--इलेक्ट्रीशियन
६--फिटर
७--वेल्डर
८--टर्नर
९--सर्वेयर ।

(५) इंडस्ट्रीयल ट्रेनिंग इन्स्टीट्यूट, मिर्जापुर--

१--बढ़ई
२--लोहार
३--ड्राफ्ट्समैन (सिविल)
४--ड्राफ्ट्समैन (मेकैनिक)
५--फिटर
६--इलेक्ट्रीशियन ।

गढ़वार विकास केन्द्र पर अस्पताल की आवश्यकता

*२१—श्री गौरीशंकर राय—क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि बलिया जिले के गढ़वार विकास केन्द्र पर कोई अस्पताल नहीं है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—बलिया जिले के गढ़वार विकास केन्द्र पर कोई अस्पताल नहीं है ।

*२२—श्री गौरीशंकर राय—क्या यह सत्य है कि गढ़वार अस्पताल के भवन निर्माण हेतु इस वर्ष टेन्डर स्वीकृत हुआ और उसमें काम भी शुरू हो गया लेकिन बाद में फिर रोक दिया गया ? अगर हां, तो क्यों ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—टेन्डर अवश्य मांगे गये थे पर काम शुरू नहीं हुआ । यह देखा गया कि गढ़वार विकास खंड की जनता की चिकित्सा संबंधी आवश्यकतायें समीप के रतसार गांव के जन-चिकित्सालय से ही, उसके आवश्यक विस्तार तथा मरम्मत के उपरान्त, सन्तोषजनक रूप से, पूर्ण हो सकती है । अतः उसके विस्तार एवं मरम्मत की व्यवस्था कर दी गई है ।

*२३—श्री देवकीनन्दन विभव (जिला आगरा)—[वांछित सूचना एकत्र न हो सकने के कारण १० सितम्बर, १९५९ के लिये स्थगित किया गया ।]

*२४—श्री मुरलीधर कुरील, श्री लक्ष्मणराव कदम, श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़) तथा श्री मोतीलाल अवस्थी—[वांछित सूचना एकत्र न हो सकने के कारण आठवें गुरुवार के लिये स्थगित किया गया ।]

पाइलेट प्रोजेक्ट फुटवियर, आगरा के प्रशिक्षणार्थी तथा हरदोई जिले में मोढ़ा व बाध का उद्योग

*२५—श्री राजेन्द्रसिंह—क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि आगरा स्थित चर्म-कार्य प्रशिक्षण केन्द्र में कितने प्रशिक्षणार्थी कार्य करते हैं और उसमें कितने कलें विदेश से मंगाई गई हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—पाइलेट प्रोजेक्ट फुटवियर, आगरा में इस वर्ष २२ प्रशिक्षणार्थी, विभिन्न चर्म कला मशीनों पर काम करने तथा नये ढंग से जूते बनाने के कार्य में प्रशिक्षण पा रहे हैं ।

इस प्रोजेक्ट में सभी कलें जिनका मूल्य लगभग १,६०,५७१ रुपये ९ आने हैं, विदेश से मंगाई गई थी ।

मशीनों का विवरण संलग्न सूची में दिया गया है ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ३३९–३४० पर)

*२६—श्री राजेन्द्रसिंह—क्या मुख्य मंत्री ने मोढ़ा और बाध उद्योग को विशेष प्रश्रय देने के निमित्त हरदोई जिले में कुछ विशेष योजना बनाई है ? यदि हां, तो क्या ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—(क) जी नहीं ।
(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

कानपुर जिले में लघु-उद्योगों के लिये सहायता

*२७—श्री उमाशंकर शुक्ल (जिला कानपुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि कानपुर नगर और जिले में स्माल स्केल इंडस्ट्रीज के लिये किन-किन उद्योगों को चलाने के लिये कितने व्यक्तियों ने वित्तीय वर्ष १९५७–५८ और १९५८–५९ में लोन और ग्रान्ट की मांग की थी और दी गई धनराशि कितनी है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---कानपुर नगर व जिले में १९५७-५८ में ४९३ आवेदकों ने तथा १९५८-५९ में ५५६ आवेदकों ने मुख्यतः जिन लघु उद्योगों के चलाने हेतु आर्थिक सहायता की प्रार्थना की थी उनकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है । वित्तीय वर्ष १९५७-५८ में ७,३१,८०० रु० ऋण व १८,५५० रु० अनुदान तथा १९५८-५९ में ४,९०,००० रु० ऋण व ८,१५० रु० अनुदान उपरोक्त जिले में वितरित किया गया ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ३४१ पर)

गोरखपुर जिले में उद्योगों के लिये अनुदान तथा ऋण

*२८---**श्री उग्रसेन**---क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि गोरखपुर जनपद में सन् १९५६-५७, १९५७-५८ तथा १९५८-५९ में बड़े तथा छोटे उद्योग की वृद्धि के लिये राज्य सरकार से कितने धन की सहायता की गई तथा कर्जे दिये गये ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---इस अवधि में गोरखपुर में बड़े उद्योगों के लिये कोई सहायता नहीं दी गई । छोटे उद्योगों को दिये गये ऋण तथा अनुदान इस प्रकार है :---

	अनुदान रु०	ऋण रु०
१९५६-५७	४१,१८७.३४	६२,२७८.६३
१९५७-५८	१,१७,५८८.१०	१,२४,८००.००
१९५८-५९	२,६९,१५१.७०	८६,३५८.००

*२९---**श्री उग्रसेन**---१०,००० रुपये से अधिक किन-किन व्यक्तियों एवं संस्थाओं को लघु उद्योग खोलने की सहायता गोरखपुर जनपद में उक्त अवधि में दी गई है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---ऐसे व्यक्तियों एवम् संस्थाओं की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ३४२ पर)

इटावा जिले की बुनकर सहकारी समितियां

*३०---**श्री सुखलाल** (जिला इटावा)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला इटावा में कितनी बुनकर सहकारी समितियां कार्य कर रही हैं और उनके नाम क्या हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---जिला इटावा में १६ बुनकर सहकारी समितियां काम कर रही हैं, जिनके नाम सूची 'अ' पर अंकित हैं ।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ३४३ पर)

गोरखपुर रोडवेज क्षेत्र के कुछ कर्मचारियों को स्थायी न करना तथा बुकिंग क्लर्कों की पदोन्नति

*३१---**श्री उग्रसेन**---क्या मंत्री परिवहन बताने की कृपा करेंगे कि ट्रांसपोर्ट कमिश्नर उत्तर प्रदेश के आदेश संख्या ५९९(१)रेस्ट ११००/आर०/इस्ट-१९५७, दिनांक ३१ जनवरी, १९५८ के अनुसार दिनांक २६ अगस्त, १९४८ के पहले के कितने कर्मचारी गोरखपुर रीजन में स्थायी नहीं किये गये और क्यों ?

डाक्टर सीताराम---२६ अगस्त, १९४८ के पूर्व नियुक्त कर्मचारियों में अभी ११ कर्मचारी अस्थायी हैं, जिन्हें उनके असंतोषजनक कार्य के कारण सुपरसीड कर दिया गया है ।

*३२—श्री उग्रसेन—क्या मंत्री परिवहन बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर क्षेत्र के १९५६-५७, १९५७-५८ तथा १९५८-५९ में प्रतिवर्ष कितने सहायक बुकिंग क्लर्क की पदोन्नति बुकिंग क्लर्क और जूनियर क्लर्कों के पदों पर हुई है ?

डाक्टर सीताराम—क्रमशः १२, ५ व १५ की :

बख्शी का तालाब पर कुछ बी० डी० प्रो० प्रशिक्षणार्थियों को वेतन व भत्ता न मिलने की शिकायत

*३३—श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या सन् १९५४ में विभिन्न विभागों में से १०४ कर्मचारी बक्शी के तालाब लखनऊ में बी० डी० ओ० ट्रेनिंग में भेजे गये थे ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—१९५४ में १०४ व्यक्तियों को खण्ड विकास अधिकारी के पद के लिये चुना गया था। बख्शी का तालाब प्रशिक्षण केन्द्र पर प्रशिक्षण के लिये बुलाये गये व्यक्तियों में केवल ५१ विभागीय कर्मचारी थे।

*३४—श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी—क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी उक्त कर्मचारियों में से कितने ऐसे कर्मचारी हैं जिनको ट्रेनिंग काल का वेतन, भत्ता इत्यादि अभी तक नहीं दिया गया है और न देने का क्या कारण है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—प्रशिक्षण में बुलाये गये व्यक्तियों में से जो किसी विभाग में काम करते थे उनका वेतन इत्यादि उनके पहले वाले विभाग से ही मिलना था। सिर्फ ऐसे व्यक्तियों को जो किसी विभाग में पहले काम नहीं करते थे जो खाद्य एवं पूर्ति विभाग के छटनी किये हुए कर्मचारी थे उनको केवल तीस रुपया प्रति माह छात्रवृत्ति ही मिलनी थी। प्रशिक्षण काल के वेतन के बारे में श्री राजवंश सिंह, जो कि पहले कृषि विभाग में काम करते थे का ही मामला इस समय विचाराधीन है। कृषि विभाग ने वेतन देने में कुछ कठिनाई बतलाई है जिस पर निर्णय लिया जा रहा है। छात्रवृत्ति का भुगतान पहली नवम्बर, १९५४ से लेकर पन्द्रह जनवरी, १९५५ तक नहीं हो पाया है जिसके भुगतान के लिए आदेश प्रसारित किये जा रहे हैं।

बेहसा ग्राम की उद्योग विभाग द्वारा खरीदी जमीन की वापसी

*३५—श्री रामशरण यादव—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि ग्राम बेहसा, परगना बिजनौर, तहसील व जिला लखनऊ के काश्तकारों की जमीन का उद्योग विभाग द्वारा acquisition किया गया है ? यदि हां, तो किस हेतु और कितनी जमीन का acquisition किया गया ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—गवर्नमेंट टेक्निकल इंस्टीट्यूट, लखनऊ, के भवनों के निर्माण के हेतु ७० बीघा जमीन के अधिगमन (acquisition) की कार्यवाही की गई थी, किन्तु बाद में वह रद्द कर दी गई, क्योंकि यह जमीन ठीक नहीं समझी गई।

काशीपुर में नये सिनेमा खोलने की आज्ञा न मिलने की शिकायत

*३६—श्री भुवनेशभूषण शर्मा (जिला इटावा)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इस वर्ष सरकार के पास काशीपुर, जिला नैनीताल के निवासियों की ऐसी कितनी शिकायतें आई हैं कि नगर में अधिकारी एक सिनेमा के अतिरिक्त दूसरा सिनेमा चलने की आज्ञा प्रदान नहीं कर रहे हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---ऐसी कई शिकायतें आई हैं ।

*३७--श्री भुवनेशभूषण शर्मा --क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सन् ५५, ५६ तथा ५७ में कितने सिनेमा काशीपुर नगर में चलते रहे ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---१९५५---२ (अस्थाई) ।
१९५६---२ (अस्थाई) ।
१९५७---२ (अस्थाई) ।

नोट :---कभी कभी मेलों आदि के समय कुछ दिनों के लिये यह संख्या बढ़ भी जाती थी ।

सुजानगंज में रंगाई-छपाई के केन्द्र की आवश्यकता

*३८---श्री नागेश्वरप्रसाद---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या जौनपुर जिले के सुजानगंज में रंगाई-छपाई का कोई केन्द्र स्थापित करने की योजना द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत स्वीकार की गई है ? यदि हां, तो वह केन्द्र कब से स्थापित होगा और अब तक इस दिशा में क्या प्रगति हुई ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---जी नहीं । प्रश्न ही नहीं उठता ।

अतारांकित प्रश्न

इटावा जिले में अफीम का अवैध व्यापार करने वालों पर मुकदमे

१--श्री भुवनेशभूषण शर्मा---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इटावा जिले में सन् ५७ से ५९ की जून तक सरकार की ओर से कितने मुकदमे अवैध रूप से अफीम रखने या अफीम का अवैध व्यापार करने में चले और जो मुकदमे चले उनमें कितने सजायाब हुये और कितने छोड़ दिये गये ?

डाक्टर सीताराम---इटावा जिले में सन् ५७ से ५९ की जून तक अवैध रूप से अफीम रखने या अफीम का अवैध व्यापार करने में सरकार की ओर से कुल १९१ मुकदमे चलाये गये जिनमें से १५६ मुकदमों के मुल्जिम सजायाब हुए तथा १० मुकदमों के मुल्जिम छूट गये ।

प्रश्नोत्तरों के सम्बन्ध में जानकारी की मांग

श्री भुवनेशभूषण शर्मा (जिला इटावा)---मान्यवर, मैं एक सूचना चाहता था ।

श्री अध्यक्ष---यह सूचना मांगने का समय नहीं है ।

श्री भुवनेशभूषण शर्मा---श्रीमन्, मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठा रहा हूं । तारांकित प्रश्न संख्या २६ का कोई उत्तर हमें नहीं मिला और वह लिया भी नहीं जा सका.....

श्री अध्यक्ष---यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है । आपको उत्तर मिलना चाहिए यह सही है, लेकिन अगर आपको नहीं मिला है तो आप मेरे पास लिखित शिकायत भेज दीजियेगा ।

*प्राक्कलन समिति का पंचम प्रतिवेदन

श्री नवलकिशोर (जिला बरेली)---अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं प्राक्कलन समिति के सभापति की हैसियत से इस समिति का पंचम प्रतिवेदन जो अनुदान संख्या २२ लेखा शीर्षक : ४०--कृषि उपपनिवेशन के अन्तर्गत जिला पीलीभीत में भूमिहीन मजदूरों तथा शिक्षित बेकारों के पुनर्वास के लिये बंजर भूमि को खेती योग्य बनाने की योजना से सम्बन्धित है, सदन के समक्ष प्रस्तुत करता हूं ।

मान्यवर, इस सम्बन्ध में केवल दो एक बात कहना चाहता हूं और वह यह कि यह योजना केन्द्रीय सरकार के मशविरे से १८ दिसम्बर, १९५७ को द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत स्वीकृत की गई थी। श्रीमन्, इस योजना पर कुल मिलाकर ८५,५०,००० रुपया जिसमें से १०,१२,२०० रुपया रेकरिंग तथा ७५,३७,८०० रुपया नान-रेकरिंग खर्च होना है। भारत सरकार से इसमें जो वित्तीय सहायता मिलनी है वह कुल ४९,५२,००० रुपये थी जिसमें से ३६,०१,८०० रुपया बतौर कर्ज के और १३,५०,२०० रुपया बतौर सहायता के हमको मिलने वाला है। इस योजना के अन्तर्गत पीलीभीत जिले में शारदा तथा सूतिया नदियों के बीच में १०,००० एकड़ बंजर भूमि को खेती के योग्य बनाने की बात है। जिसमें से ७,५०० एकड़ पर खेती करने के लिये व्यक्तियों को बसाया जायगा और २,५०० एकड़ और कामों में इस्तेमाल होगी। समिति ने काफी जांच की उसके व्यौरे में जाकर और उस क्षेत्र की (Topography) जो स्थायल सर्वे की रिपोर्ट है उस के आधार पर समिति की जो मूल सिफारिश है वह यह है कि उसको सन्देह है कि यह उपनिवेशन योजना सफल भी हो सकेगी। इसलिये उसका मत है कि इस योजना पर इतना व्यय करना उचित नहीं है और समिति ने यह भी सिफारिश की है कि अब तक जितनी भूमि टूट गई है उस पर सहकारिता के आधार पर कृषि करने का उसमें एक्स-पेरिमेंट किया जाय।

अन्त में श्रीमन्, मैं आपके प्रति जो आपने हमारा समय-समय पर पथ प्रदर्शन किया है, अपना आभार प्रकट करना चाहता हूं और साथ ही साथ अपनी ओर से और समिति की ओर से कृषि विभाग के डिप्टी सेक्रेटरी सैयद मुहम्मद इब्राहीम साहब तथा उनके और जो दूसरे कर्मचारी हैं जिन्होंने समय-समय पर हमको सूचना देकर और स्पष्टीकरण करके जो अपना सहयोग दिया है उनके प्रति भी मैं अपना आभार प्रकट करता हूं।

(कुछ सदस्यों के खड़े होने पर।)

श्री अध्यक्ष---अब इसके ऊपर डिबेट वगैरह नहीं होगा।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)---श्रीमन्, मैं यह कहना चाहता हूं कि माननीय प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष ने एक बड़ी ऐसी बात बतायी है जिस पर कि लाखों रुपये के खर्च होने और उसका अपव्यय होने का खतरा है। तो मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि माननीय मुख्य मंत्री जी इस समय मौजूद हैं, वह क्या इस सदन को भी इस पर विचार करने का मौका देने की मेहरबानी करेंगे, कोई दिन वह इसके लिये निकाल सकेंगे जिससे कि सदन कोई राय अपनी इस पर कायम कर सके।

श्री अध्यक्ष---मैं समझता हूं कि पूरक बजट आने वाला है सामने। इसका लाभ आप उसकी बहस में उठा सकते हैं और उस पर बहस कर सकते हैं।

---

* छापा नहीं गया।

प्रश्नों की अस्वीकृति की सूचना देर से मिलने के सम्बन्ध में शिकायत

श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)---मुझे निवेदन यह करना था कि प्रश्नों के सम्बन्ध में आपकी ओर से अस्वीकृति की सूचना मिलने में १५, १५ दिन तक लग जाते हैं आपके दफ्तर में। मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि कोई समय की लिमिट बांध दी जाय कि इतने दिन में वह हमें मिल जायगा.....

श्री अध्यक्ष---यह मेरे कमरे में आकर खास स्पेसिफिक इंस्टैंस देकर आप बतायें तो मैं देख लूंगा।

प्राक्कलन समिति का पंचम प्रतिवेदन (क्रमागत)

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)---मान्यवर, मैं निवेदन कर रहा था कि वह केवल रिपोर्ट पेश कर देते और कुछ न कहते तो हम लोगों को अधिकार नहीं होता...

श्री अध्यक्ष---आप नियम के अनुसार बात कर रहे हैं या वैसे ही?

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट---पहले भी श्रीमन्, नारायणदत्त जी ने एक बार सवाल उठाया था और श्रीमन् ने व्यवस्था दी थी कि अगर वह कुछ निवेदन करते या कुछ बात कहते तब हमें अधिकार था।

श्री अध्यक्ष---नया नियम यह है कि प्रतिवेदन को उपस्थित करते हुए सभापति कुछ बातें फैक्ट्स के संबंध में कह सकता है। नियम के शब्द यह हैं--

"(१) समिति का प्रतिवेदन समिति के सभापति द्वारा या उस व्यक्ति द्वारा जिसने प्रतिवेदन पर हस्ताक्षर किये हों या समिति के किसी सदस्य द्वारा जो सभापति द्वारा इस प्रकार प्राधिकृत किया गया हो या सभापति की अनुपस्थिति में या जब वह प्रतिवेदन उपस्थित करने में असमर्थ हो तो समिति द्वारा प्राधिकृत किसी सदस्य द्वारा उपस्थापित किया जायेगा और सदन की मेज पर रख दिया जायेगा।

(२) प्रतिवेदन उपस्थित करने में सभापति या उसकी अनुपस्थिति में प्रतिवेदन उपस्थित करने वाला सदस्य यदि कोई अभियुक्ति करे तो अपने आप को तथ्य के संक्षिप्त कथन तक सीमित रखेगा या समिति द्वारा की गई सिफारिशों की ओर सदन का ध्यान आकृष्ट करेगा किन्तु उस कथन पर कोई वादविवाद नहीं होगा।" यह नियम स्पष्ट है।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट---श्रीमन्, मंत्री जी इसका स्पष्टीकरण दे सकेंगे। इसमें आगे लिखा है।

श्री अध्यक्ष---आगे इसमें संकेत किया गया है कि "शासन द्वारा किये जाने वाले प्रस्तावित कार्य की व्याख्या करते हुए मंत्री जी चाहें तो संक्षिप्त उत्तर दे सकेंगे।" अगर आप मंत्री का पद लेना चाहते हैं तो बात दूसरी है।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)---मंत्री जी अपना मत प्रकट कर दें।

श्री अध्यक्ष---मैं उनको बाध्य नहीं कर सकता हूं।

श्री चन्द्रजीत यादव---मंत्री जी इस बात को लेकर अपना मत प्रकट कर दें कि क्यों इस स्कीम को लागू करना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष---अगर मंत्री जी की इच्छा हो तो वे उत्तर दे सकते हैं, परन्तु मैं उनको बाध्य नहीं करता हूं।

मोदीनगर की सूती मिल के दो मजदूरों द्वारा अनशन के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष——अब मैं श्री गेंदासिंह जी के कामरोको प्रस्ताव को लेता हूं जो कल कागजात में इधर-उधर हो गया था। वह मोदी नगर की सूती मिल के मजदूरों के संबंध में है। उसमें वह कहते हैं कि "मोदी नगर (मेरठ) के सूती मिल के हजारों मजदूरों को पिछले कई वर्षों से वहां की समझौता समिति के विरुद्ध भारी अविश्वास है और अनेक अवसर पर मीटिंगों, लेख तथा हड़ताल द्वारा यह विरोधी और असन्तोष की भावना प्रकाश में आती रहती है। इस वर्ष पुनः इसी बात को लेकर दो श्रमिक लगभग दो सप्ताह से भूख-हड़ताल कर रहे थे। उन्हें कल सरकारी अधिकारियों ने उठा लिया है और मालूम नहीं कहां ले गये हैं। साथ ही वहां पर १४४ धारा लगा कर सभायें इत्यादि करने की मनाही करके असाधारण स्थिति उत्पन्न कर दी गई है। सरकार तथा जिले के अधिकारियों के इस रुख के विरुद्ध श्रमिकों तथा साधारण नागरिकों में घोर असंतोष व्याप्त है। अतः सदन इस महत्वपूर्ण, आवश्यक तथा निश्चित विषय पर विवाद करने के लिये आज का अपना कार्य स्थगित करने का निश्चय करता है" इसी प्रकार का एक कामरोको प्रस्ताव श्री चन्द्रजीत यादव ने कुछ दिन पहले दिया था। वह इस प्रकार का था कि "मोदी नगर के दो श्रमिक छोटेलाल तथा माता बदल मजदूरों की मांग को लेकर भूख हड़ताल कर रहे हैं"। इसके ऊपर अपनी नामंजूरी देते हुए माननीय मंत्री जी से मैंने यह कहा था कि वह इस बारे में कुछ अपनी जानकारी सदन में दें। माननीय गेंदासिंह जी का कथन था कि १४४ लगी हुई है और अनशन हो रहा है। इसके ऊपर मैंने मंत्री जी से यह पूछा था कि क्या वातावरण अशान्त है और वहां की हालत क्या है? उन्होंने जबाब दिया कि वातावरण शान्त है और कोई गड़बड़ी नहीं है। यह जवाब वह दे चुके थे और उसके बाद मैंने उसको अस्वीकृत कर दिया। तो जो विषय एक बार उठाया जाय और अस्वीकृत हो जाय उसको पुनः उठाया नहीं जा सकता इसलिये मैं इसकी स्वीकृति नहीं दे रहा हूं।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)——इसमें एक नयी बात आयी है कि वह उठा ले गये और यह भी नहीं मालूम है कि वह कहां ले जाये गये।

श्री अध्यक्ष——यह उसी विषय पर है और उसके लिये आप अल्पसूचित तारांकित प्रश्न करें।

मुजहना, जिला देवरिया में श्री पूजन की मां के भूख से मरने के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना† (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष——अब कल उग्रसेन जी ने एक कामरोको प्रस्ताव दिया था कि "देवरिया जिलान्तर्गत ग्राम मुजहना लाल, थाना देवरिया कोतवाली में श्री पूजन हरिजन की मां भूख से तड़प-तड़प कर मर गयी इत्यादि"

इसके बारे में मंत्री जी ने कहा था कि आज वह सूचना दे सकेंगे, उसके बाद मैं निर्णय दूंगा।

न्याय मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)——मैंने कल ही वायरलेस भेजा था, लेकिन वहां से अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं आयी है।

श्री अध्यक्ष——तो इसका मतलब यह है कि जब कोई सूचना नहीं है और केवल तार के भरोसे पर ही आप ने यह प्रस्ताव दिया इसलिये मैं इसको खत्म करता हूं।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)——जब सरकार के पास कोई सूचना नहीं है तो उसके अभाव में जो माननीय सदस्य देवरिया से आते हैं उनकी सूचना को क्यों न सही माना जाय।

---

†२ सितम्बर, १९५९ की कार्यवाही से।

श्री अध्यक्ष---उनकी सूचना भी तार की ही है वह इस प्रकार है, "पूजन हरिजन्स मदर डाइड आफ हंगर"।

श्री राजनारायण--- १२ दिन पहले उन्होंने मंत्री जी को एक पत्र लिखा था।

श्री अध्यक्ष---इसकी निश्चितता के लिये आप प्रश्न कर के पहले घटना निश्चित कर लें।

श्री राजनारायण---तो कल तक के लिये इसको टाल दें।

श्री अध्यक्ष---उसमें अरजेंसी खत्म हो जायगी। मैं इसको निश्चित नहीं समझता और मैं इसकी इजाजत नहीं दे रहा हूं। सूचना मंत्री जी के पास जिस समय सूचना आ जायगी वे सदन में दे दें, लेकिन कामरोको प्रस्ताव को मैं खत्म करता हूं।

बाराबंकी जिले में घाघरा की भयंकर बाढ़ के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना† (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष---यह कामरोको प्रस्ताव श्री जंगबहादुर वर्मा जी का है---

"घाघरा नदी के तट पर स्थित ग्राम सरदहा, परगना बदोसराय, तहसील फतेहपुर, जिला बाराबंकी में घाघरा के बाढ़ के कारण सख्त खतरा पैदा हो चुका है कई घर कट कर गिर चुके हैं...

इस सम्बन्ध में भी क्या मन्त्री जी को कोई सूचना नहीं मिली ?

न्याय मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)---इसके लिये भी वायरलेस भेजा है, लेकिन सूचना नहीं मिली।

श्री अध्यक्ष--- इसके बारे में तो आप कल सूचना दें। मैं इसको स्थगित करता हूं क्योंकि यह घटना जारी है।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)--- माननीय मंत्री जी ने १२ की चिट्ठी का जो हवाला भेजा उसके लिये कुछ लिख कर नहीं दिया। तो जब १२ तारीख की कोई सूचना आज तक नहीं मिली तो कल की सूचना वह कैसे दे सकेंगे ?

श्री अध्यक्ष--- वह प्रयत्न करेंगे।

कतिपय जिलों में अनावृष्टि से उत्पन्न परिस्थिति के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष--- यह कामरोको प्रस्ताव जंगबहादुर वर्मा जी का है :

"बाराबंकी, रायबरेली, सुल्तानपुर, फैजाबाद, देवरिया, गोरखपुर, बस्ती, लखनऊ आदि जिलों में लगभग २० दिनों से वर्षा न होने के कारण फसल सूख रही है और खड़ी फसल में गन्धी बहुत जोरों से लगी है जो कि प्रलयकारी रूप धारण कर रही है। लगभग ३/४ फसल बर्बाद हो चुकी है। शेष भी बर्बाद हो रही है। बीज व लगान तथा सिंचाई कर तो निकलेगा ही नहीं किसान अन्नाभाव से मरेगा परन्तु सरकार की ओर से कोई समुचित प्रबन्ध नहीं किया जा रहा है, लगान आदि माफ करने व फसल को बचाने व किसानों के खाने के लिये गल्ले आदि की व्यवस्था न होने के फलस्वरूप जनजीवन खतरे में है और परिस्थिति विषम हो गयी है..."

इस विषय में मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि उनको क्या कोई जानकारी है ?

---

†२ सितम्बर, १९५९ की कार्यवाही से।

न्याय मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)---अध्यक्ष महोदय, यह कहा कि २० दिन से पानी नहीं हुआ है, यह बात सही नहीं मालूम होती ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष---आप कृपा कर यह कहें कि सही नहीं है, लेकिन सही नहीं मालूम होती इसका कोई अर्थ स्पष्ट नहीं है ।

श्री हुकुमसिंह विसेन---सही नहीं है । अगस्त के थर्ड वीक में इन जिलों में ढाई इंच से साढ़े चार इंच तक पानी हुआ है, जैसी हमारे पास रिपोर्ट है और लास्ट वीक में पानी अगस्त में नहीं बरसा तो इरिगेशन डिपार्टमेंट को हिदायत कर दी गयी है कि जहां-जहां सम्भव हो पानी ट्यूबवेल और नहरों से दिया जाय ताकि फस्ल को नुक्सान न होने पाये । मैं श्रीमन्, की आज्ञा से बता देना चाहता हूं कि इन जिलों में पानी अब तक कितना हुआ है । बाराबंकी में ऐक्चुअल रेनफाल अगस्त से आखिर तक ८ प्वाइंट २८ इंच हुआ है और नार्मल होना चाहिये ११ प्वाइंट २१ । जून से अगस्त तक एक्चुअल बारिश १८.२६ इंच हुई और होनी चाहिए २७ प्वाइंट १५ इंचेज ।

श्री अध्यक्ष---आप पढ़ने में कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, कहीं कहते हैं "अट्ठारह प्वाइंट" और कहीं "फ़िफ्टीन" । इस तरह हिंदी-अंग्रेजी को जोड़ना ठीक नहीं है ।

श्री हुकुमसिंह विसेन---जी हां, यह गड़बड़ी जरूर कर रहा हूं, अब नहीं होगी । रायबरेली में अगस्त तक १९.९० हुआ जब कि औसत होना चाहिये १०.८९ । कुछ कम जरूर है, लेकिन यह कह देना कि बारिश हुई ही नहीं, यह सही नहीं है । इसी तरह से सुल्तानपुर का भी है, ३१ अगस्त तक २१.०१ इंच बारिश हुई है जब कि २८.३८ इंच होनी चाहिए । फैजाबाद में १०.८० है अगस्त तक और औसत होना चाहिये ११.३१ इंच और जून से अगस्त तक २२.८५ इंच बारिश हुई जब कि नार्मली २८.१४ इंच होनी चाहिये थी । इसी तरह से देवरिया का भी है.....

श्री अध्यक्ष--- मतलब यह है, आपका कहना यह है कि वृष्टि कम है ।

श्री हुकुमसिंह विसेन---पानी कम है, लेकिन यह कह देना कि ३ हफ्ते से कुछ नहीं हुआ, यह गलत है ।

श्री अध्यक्ष--- यानी परिस्थिति बहुत खराब नहीं है । दूसरी बात यह उन्होंने कही है कि तीन चौथाई फसल खराब हो चुकी है । इस पर आप क्या कहते हैं?

श्री हुकुमसिंह विसेन---यह भी ग़लत है । सूखा का असर है, लेकिन जैसी नाउम्मेदी दिखलाई है ऐसी कोई नाउम्मेदी मालूम नहीं होती और यह कहना कि गंधी का प्रकोप हो गया है, मैंने ऐग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से दरियाफ्त करने की कोशिश की । ऐडीशनल डायरेक्टर ने बताया कि ऐसी कोई रिपोर्ट उनके यहां नहीं है, हर एक एन० ई० एस० ब्लाक के सेंटर पर गैमेक्सीन काफी तादाद में मुहैय्या कर दी गई है, डस्टर भी पहुंचा दिये हैं । जब कभी कोई बात होगी तो उस की रोकथाम की कोशिश की जायगी ।

जहां तक फस्लों के नुक्सान का ताल्लुक है अभी से चिल्लाना कब्ल-अज-वक्त है । कोई तखमीना इस वक्त नहीं हो सकता और जैसा कुछ होगा उसका उचित प्रबन्ध किया जायगा, जैसा कि अब तक हुआ है ।

श्री अध्यक्ष--- तो मैं अनिश्चितता के आधार पर इसकी भी इजाजत नहीं देता ।

श्री जंगबहादुर वर्मा (जिला बाराबंकी)---श्रीमन्, मुझे यह कहना है कि बाराबंकी...

श्री अध्यक्ष---आप कृपा कर के अपना स्थान ग्रहण करें । जो कुछ कहना हो आप मंत्री जी को लिख कर भेज दें ।

सरकारी दूकानों पर खराब आटे के वितरण के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष—एक प्रस्ताव पद्माकरलाल जी का है, खाद्य के सम्बन्ध में है कि आटा खराब दिया जाता है। इस सम्बन्ध में बहस हो चुकी है, अब इस विषय पर चर्चा नहीं हो सकती। मैं इसकी इजाजत नहीं दे रहा हूं।

हिन्दुस्तान अल्मूनियम कार्पोरेशन लिमिटड को सस्ती बिजली देने के सम्बन्ध में नियम ५२ के अंतर्गत वक्तव्य

श्री अध्यक्ष—एक नियम ५२ के अनुसार विषय मैंने स्वीकार कर लिया है, उसकी इजाजत मैं दे रहा हूं, श्री राजनारायण जी ने जो उठाया है। वह इस प्रकार है—"उत्तर प्रदेश की सरकार से हिन्दोस्तान अल्मूनियम कार्पोरेशन, लिमिटेड के संस्थापक, बिरला बंधु से एक समझौता हो रहा है जिसके अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार को रिहन्द डैम की उत्पादित एक लाख १० हजार किलोवाट बिजली कम्पनी को देनी पड़ेगी जिससे सरकार को करीब एक करोड़ रुपये का नुकसान होगा। सरकार का बिरला बंधुओं से जिस ढंग से समझौता किया जा रहा है वह जनहित की दृष्टि से नुक्सानदेह है और राज्य कोष पर इसका भारी असर पड़ेगा"। अतः इस तात्कालिक विषय पर नियम ५२ के अन्तर्गत सरकार से स्पष्टीकरण की वह मांग करते हैं, उनका ध्यान आकृष्ट करते हैं कि वह वक्तव्य दें।"

***मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)**—अध्यक्ष महोदय, इस नोटिस में जो कुछ कहा गया है उसका जवाब एक वाक्य में दिया जा सकता है और वह यह कि यह बात सर्वथा गलत और निराधार है। फिर भी आप की अनुमति से मैं इस सम्बन्ध में कुछ निवेदन करना चाहता हूं। मुश्किल यह है कि जिन माननीय सदस्य ने यह सूचना दी है उन्होंने यह नहीं बतलाया कि उनकी जानकारी का आधार क्या है। लेकिन मैं एक चीज देखता हूं। आज से दो दिन पहले नेशनल हेरल्ड अखबार में पहले पेज पर एक खबर छपी थी। सम्भवतः उसी के आधार पर यह चीज सदन में उपस्थित की जा रही है। और मैं राजनारायण जी के शिरः कम्पन से समझता हूं कि मेरा अनुमान सही है। मैंने उस अखबार को उस दिन पढ़ा और मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि मुझे पढ़ कर आश्चर्य और अफसोस हुआ। नेशनल हेरल्ड हमारे प्रदेश का एक प्रमुख अखबार है और हम ऐसा मानते हैं कि शायद देश के अच्छे अखबारों में भी उसकी गिन्ती हो। ऐसे अखबारों की कुछ जिम्मेदारी होती है। समाचार-पत्रों का यह कर्त्तव्य है कि जो सूचना दें वह सही दें एक बात, और दूसरी बात यह कि जो सूचना दें उसका प्रेजेंटेशन सही हो इस तरह से समाचार लोगों के सामने रखा जाय कि उसके गलत मतलब न लगाये जा सकें।

मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जिस तरीके से अखबार छपा, उसकी हेडिंग थी "टर्म्स आफ अल्मोनियम प्लान्ट एग्रीमेन्ट" और उसके नीचे लिखा है "गवर्नमेंट में सफर हेवी रेकारिंग लास" तो जो कोई भी आदमी इसको देखेगा वह इसकी हेडिंग से यही समझेगा कि अल्मूनियम कम्पनी से गवर्नमेंट का कोई समझौता हो गया है जिसकी शर्तें नीचे दी जा रही हैं। इसके अलावा कोई भी आदमी कोई दूसरा अर्थ नहीं निकाल सकता। अखबार में जिसने खबर दी होगी उस की नियत बड़ी दुरुस्त होगी लेकिन इसकी हेडिंग बड़ी गलत है। और इसके अन्दर जो खबर दी हुई है उससे कभी भी वह हेडिंग नहीं निकलती जोकि हेडिंग दे दी गई। इसके अन्दर एक जगह यह लिखा है:

"The sixteen page draft agreement submitted by the promoters of the Aluminium plant to the U. P. Government contains conditions. . . . "

तो जो अल्मूनियम कम्पनी है वह बिजली खरीदना चाहती है और उन्होंने अपनी तरफ से बनाकर एक मसविदा भेजा है। इस बात के लिये ऐसी हेडिंग देना बिल्कुल गलत है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[डाक्टर सम्पूर्णानन्द]

यह मामूली बात है, रोजाना ऐसी बातें होती रहती हैं। एक गाहक है और एक दूकानदार है। गाहक हमेशा यह कोशिश करता है कि सस्ते से सस्ते दाम पर चीज मिल जाय और दुकानदार यह चाहता है कि अधिक से अधिक फायदा हो। तो वह बिजली खरीदना चाहते हैं, वह यह भी कह सकते हैं कि एक हजार किलोवाट के लिये सिर्फ ५ पैसे ही लो लेकिन उनके इस कह देने के मानी यह नहीं हो जाते कि हमने उनकी शर्त मंजूर कर ली या हम बेचने जा रहे हैं। तो उन्होंने एक मसविदा बनाकर भेजा है और उन शर्तों पर हम किसी भी हालत में कभी मानने वाले नहीं हैं। इस सदन के सामने मैंने अल्मूनियम कम्पनी के बारे में जो पूरा ब्यौरा दिया था उसमें कहा था कि किन-किन शर्तों में, किन-किन अवस्थाओं में हम उस कम्पनी को बिजली देना चाहते हैं, लेकिन मैंने कहा कि ऐसी दर पर बिजली नहीं देने वाले हैं जिसमें जरा भी नुक्सान हो। इसमें कहा गया है कि सरकारी खजाने में इससे एक करोड़ रुपये का नुक्सान होगा। मैं कहना चाहता हूं कि जब तक यह गवर्नमेंट है तब तक ऐसा कोई समझौता नहीं होगा जिसमें एक करोड़ रुपया तो बहुत होता है, ५ नये पैसे का भी नुक्सान हो, वह नहीं माना जायगा। इसलिये अगर कोई आदमी एक कागज लिख कर भेज दे और गवर्नमेंट पर आरोप लगा दे कि ऐसा करने वाली है तो वह सर्वथा निराधार बात है। मैं समझता हूं कि अब यह बात स्पष्ट हो जायगी और जिस किसी को भ्रम रहा हो उसे दूर हो जाना चाहिये। उन्होंने जो मसविदा भेजा है उसको हम किसी हालत में मंजूर करने वाले नहीं हैं। हम ऐसे एग्रीमेंट को मंजूर करने वाले हैं जिसमें किसी प्रकार से भी यू० पी० गवर्नमेंट की जनता का नुक्सान न हो।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)--श्रीमन्, आपके द्वारा मैं, माननीय मुख्य मन्त्री जी ने मेरे सम्बन्ध में जो बात कही है उसका स्पष्टीकरण दे देना चाहता हूं। माननीय मुख्य मन्त्री जी के पास मैंने नेशनल हैरल्ड की प्रति देखी तो हमने भी उसको मंगा लिया। हमने जो यह दफा ५२ के अन्दर दिया था उसके लिये हमारे पास और भी आधार था। हमने नेशनल हैरल्ड को भी पढ़ा। हमारी जो दूसरी जानकारी थी श्रीमन्, आपको भी पता लगा होगा कि वह जानकारी सही थी। हमने कहीं नहीं लिखा है कि समझौता हो गया। हमने केवल यही लिखा है--समझौता होने जा रहा है। हमारे पास भी उस एग्रीमेंट की कापी है जो उनके पास है।

श्री अध्यक्ष--आप प्रश्न करें।

श्री राजनारायण--माननीय मुख्य मंत्री जी ने यह कहा है कि उनके पास एक ड्राफ्ट आया है और उसको वे मानने नहीं जा रहे हैं तो मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार के पास इसके अतिरिक्त भी कोई ड्राफ्ट आया है और क्या इससे कम शर्तों पर कोई समझौता किया जा रहा है?

डक्टर सम्पूर्णानन्द--मैं सवाल समझा नहीं कि किसके यहां से ड्राफ्ट आया है।

श्री राजनारायण--हिन्दुस्तान एल्मूनियम कार्पोरेशन सरकार से बिजली लेना चाहती है। सरकार उस को बिजली देना चाहती है। माननीय मुख्य मंत्री जी सदन में कई बार उसके बारे में कह चुके हैं और सदन के सदस्यों को आपत्ति भी वे सुन चुके हैं। तो क्या सरकार जो शर्तें उस कंपनी की आयी हैं उनके अतिरिक्त किन्हीं और शर्तों पर हिन्दोस्तान एल्यूनियम कंपनी को बिजली देने की सोच रही है?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--अगर हमारी शर्तें तय हो गईं तो उनको जरूर बिजली देंगे।

श्री त्रिलोकीसिंह (जिला लखनऊ)--क्या माननीय मुख्य मंत्री जी यह बतायेंगे कि बिजली की लागत लगाने में जो कैपीटल इन्सवेस्टमेंट होता है, जो डिप्रिसियेशन होता है या वर्किंग एक्सपेन्डीचर होता है, उन सब का लिहाज रखा जायगा अथवा केवल वर्किंग एक्सपेंडीचर का हिसाब लगा कर ही बिजली का रेट लगाया जायगा?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---मुझे आशा थी कि माननीय त्रिलोकीसिंह ने तो अवश्य ही मेरा उस दिन का बयान सुन लिया होगा। उस दिन मैंने कहा था कि जितनी भी पासिबिल खर्चे की चीजें हैं सब पर विचार किया जायगा। और तभी रेट तय किया जायगा।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)---इस कारखाने के लिये बिरला ब्रदर्स ने जो ड्राफ्ट भेजा है वह किस तारीख को भेजा है, उसमें कितनी बिजली की मांग की गयी है और उस सम्बन्ध में सरकार की उनसे क्या बातचीत हुई ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--- किस तारीख को आया, यह तो याद नहीं है लेकिन सरकार ने उनको सूचित कर दिया है कि जो ड्राफ्ट उन्होंने भेजा है वह सरकार को मंजूर नहीं है।

श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)---क्या मुख्य मन्त्री जी यह बतायेंगे कि इस ड्राफ्ट में अथवा सरकार ने स्वयं अपने बयान में इस बात को जाहिर किया है कि हम एक लाख ५० हजार किलोवाट बिजली देंगे या एक लाख १० हजार बिजली देंगे ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---उस दिन जो मैंने बयान दिया था उसके अतिरिक्त मुझे और कोई बात कहनी नहीं है।

श्री उग्रसेन---क्या मन्त्री जी यह बतायेंगे कि इस एल्मूनियम फैक्ट्री को यह वायदा किया है कि १४८ रुपया पर किलोवाट बिजली देंगे ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---मेरे उस दिन के बयान में १४८ रुपये का कहीं जिक्र नहीं है।

श्री भगवतीसिंह विशारद (जिला उन्नाव)---क्या माननीय मन्त्री जी यह बतायेंगे कि जिस कंपनी को बिजली दी जा रही है, उसकी तरफ से शर्तें आ रही हैं या सरकार की तरफ से शर्तें उस कम्पनी को दी जा रही हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---अगर वे शर्तें भेजें तो हम मना तो कर नहीं सकते।

श्री राजनारायण---मेरा स्पष्ट प्रश्न है कि क्या सरकार इस कार्पोरेशन को एक लाख १० हजार किलोवाट बिजली देने पर विचार कर रही है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---मैं उस दिन बयान कर रहा था कि कितनी बिजली देने पर हम विचार कर रहे हैं। उससे ज्यादा और कुछ मैं कहना नहीं चाहता।

श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)---क्या सरकार को इस बिरला से इतनी मुहब्बत है कि उस की मुहब्बत की बात करने से मुख्य मंत्री जी नाराज हो जाते हैं ?

श्री अध्यक्ष---मैं इसकी इजाजत नहीं देता।

श्री राजनारायण---क्या माननीय मुख्य मंत्री जी यह बतायेंगे कि उस दिन जो उन्होंने बयान दिया था उसमें यह स्पष्ट नहीं हो पाया था तो क्या कृपा कर के मुख्य मंत्री जी बतायेंग कि उन्होंने उस दिन क्या बयान दिया था ?

श्री अध्यक्ष---मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगा।

श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)--- क्या मुख्य मंत्री जी यह बतायेंगे कि बिरला कंपनी के अलावा किसी और कंपनी ने सरकार के पास कोई सुझाव भेजा है। यदि हां, तो उसमें किस रेट की बात कही गयी है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---बिरला कंपनी नाम की किसी कंपनी ने नहीं भेजा है लेकिन जैसा मैंने निवेदन किया हम तो नहीं बल्कि गवर्नमेंट आफ इंडिया लाइसेंस देती है और उन्होंने हिन्दुस्तान एल्यूम्मनियम कार्पोरेशन के सिवाय और किसी को देना मुनासिब नहीं समझा।

श्री भुवनेशभूषण शर्मा (जिला इटावा)--क्या सरकार बतायेगी कि सरकार ने इस कम्पनी के पास कोई शर्तें भेजी हैं, जिनके अनुसार वह उस कंपनी को बिजली देना चाहती है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द— हमने उनकी शर्तों को नामंजर कर दिया है। उनके जो प्रतिनिधि आने वाले हैं उनसे हम बातें करेंगे।

प्रदश में अनावृष्टिजनित संकटपूर्ण स्थिति पर विवाद की प्रार्थना

श्री अध्यक्ष—श्री त्रिलोकीसिंह, श्री राजनारायण, श्री चन्द्रजीत यादव, राजा यादवेंद्र दत्त दुबे और श्री दीपंकर ने एक पत्र अभी भेजा है कि "पूरे प्रदेश में इस वर्ष सूखा पड़ जाने से संकटपूर्ण स्थिति उत्पन्न होती जा रही है और इससे पश्चिमी जिलों में मक्का और पूर्वी जिलों में धान की खेती को असाधारण क्षति पहुंची है। अतः मान्यवर, इस समस्या पर सदन का और सरकार का ध्यान आकृष्ट करने के लिये एक दिन का समय नियत करने की कृपा करें तो बहुत अच्छा हो"। मैं समझता हूं कि किसी नियम के अनुसार तो यह बात नहीं उठायी गयी है। इसके बारे में विरोधी दल के नेता सदन के नेता से ही बातचीत कर लें क्योंकि उन्होंने कुछ नियम बताया नहीं कि किस नियम के अनुसार वे मेरा ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। लेकिन अगर आप एक रोज बहस के लिये कोई प्रस्ताव लाना चाहते हैं तो नियम ५३ के अनुसार आप यह कर सकते हैं। वह आपने नहीं किया और मुझे पत्र लिखा है, तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या आप नियम ५३ के अनुसार इस पर बहस चाहते हैं ?

श्री त्रिलोकीसिंह (जिला लखनऊ)—मान्यवर, इस सिलसिले में सरकार के व्हिप से भी कल कुछ बात हुई थी। यह पर्चा इसलिये मैंने आपकी सेवा में भिजवाया था कि बाराबंकी के माननीय सदस्य का कामरोको प्रस्ताव इसी मामले से संबंधित था। मैं यह चाहता हूं कि नियम ५३ के अनुसार या यों भी यदि माननीय नेता सदन इस बात को स्वीकार करें, कि वर्षा की कमी के कारण जैसा कि इस सदन को माननीय राजस्व मंत्री ने सूचित किया है कि ५,६ इंच औसत से कम वर्षा हुई है किसी दिन चर्चा हो जाय। यह निर्विवाद बात है कि खरीफ की फसल वर्षा के ऊपर निर्भर है। वर्षा की कमी से यह अंदेशा है कि यह फसल बरबाद हो जाय। यह सदन १० तारीख तक ही बैठ रहा है। माननीय सदस्य स्वाभाविक तौर पर चिन्तित हैं कि इस सिलसिले में जो उनकी चिन्ता है उसको वे प्रकट कर दें और यह जान लें कि सरकार इस सिलसिले में कितनी सजग है, क्या उपाय कर रही है। यदि नियम ५३ के अन्तर्गत किसी दिन समय बढ़ा कर अथवा शनिश्चर को बैठकर इस पर चर्चा हो सकती है। मगर विरोध के माननीय सदस्यों में से एक पक्ष के लोग शनिवार को बैठने को तैयार नहीं हैं। एक दल का कहना है कि शनिश्चर को न बैठा जाय क्योंकि उनको जरूरी काम है। मैं समझता हूं कि इससे जनहित साधन की बात होगी, ऐसा केवल आप की ही आज्ञा से हो सकता है। किसी नियम या उपनियम की बात नहीं है। सौभाग्य से माननीय नेता सदन इस समय उपस्थित हैं यदि वह कुछ कहना चाहें अथवा बाद में बता दें और यदि इसके लिये वह समय निकाल सकें तो उस से प्रदेश का उपकार होगा।

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)—अध्यक्ष महोदय, अवर्षण होने से लोगों के चिन्तित होने की बात एक स्वाभाविक बात है, यद्यपि यह बात ऐसी है जिस से सरकार के हाथ में इस का उपाय प्रायः नहीं के बराबर है परन्तु फिर भी अभी माननीय नेता विरोधी दल ने जो कहा उस पर मैंने सोचा। जहां तक समय बढ़ाने की बात है शनिवार को तो बैठना नहीं हो सकता जिस के कारण उन्होंने बताये, अब इस सप्ताह में कल का दिन रहा लेकिन कल जो बिल है उसके लिये संभवतः देर तक बैठना पड़े, उस के बाद बजट के दिन आ जाते हैं, उस में मैं नहीं समझता कि वह कैसे हो सकेगा। अब ९–१० के २ असरकारी दिवस हैं उन में हमें

कोई आपत्ति न होगी अगर माननीय सदस्य मंजूर करें तो २ घंटे का समय उसके लिये दे दिया जाय। कल जो हमारे चीफ व्हिप से बातचीत हुई उस में भी यही बात थी कि २ घंटे का विचार काफी होगा।

श्री त्रिलोकीसिंह---श्रीमन्, एक बात यह हो सकती है कि इस तरह से समय निकाला जाय कि सदन की बैठक किसी दिन २ घंटे बढ़ा दी जाय और इस मामले पर विचार कर लिया जाय।

श्री अध्यक्ष---इसमें कोई आपत्ति नहीं है।

श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)---इस में देर करना और एक सप्ताह के बाद विचार करना उचित न होगा, इस की इतनी अर्जेंसी है कि शीघ्रता से विचार होना चाहिये और जल्द आप समय नियत करें।

श्री अध्यक्ष---शीघ्रता तो की जायगी।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)---अध्यक्ष महोदय, मेरी प्रार्थना है कि जो सरकार की तरफ से कार्य-क्रम बताया गया है उस के अनुसार संभवतः १० तारीख तक सदन की कार्यवाही चलेगी। १० सितम्बर को बृहस्पतिवार है और ११ को शुक्रवार है और फिर शनिवार और रविवार आ जाता है। क्या यह उचित न होगा कि हम ११ शुक्रवार को इस प्रकार ले लें कि वह विषय हम कल ले लें और कल का काम आगे बढ़ा लें और इस तरह से सदन की कार्यवाही ११ तक चले।

श्री अध्यक्ष---कल वाला तो आर्डिनेंस का विधेयक है और उसे तारीख ४-५ से पहले ही पास होना है, उस को तो लेना ही है, लेकिन यह हो सकता है कि बहस ६ को हो, क्योंकि सोमवार को तो पूरक बजट है, तो वह ७, ८ को तो इसलिये नहीं लिया जा सकता। यह भी हो सकता है कि सोमवार को पूरक बजट के बाद १ घंटा लिया जाय और दूसरे रोज मंगल को भी १ घंटा लिया जाय और उस के बाद ६ को इसी तरह से दो एक घंटे ले लें, इस तरह से ४ घंटे की बहस हो जाय, वह काफी होगी।

न्याय मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)---२ घंटे की बहस की बात थी।

श्री अध्यक्ष---मैं समझता हूं कोई आपत्ति न होगी, ४ घंटे ही का यदि समय दे दें, क्योंकि बोलने वाले बहुत हैं।

श्री हुकुमसिंह विसेन---अगर यकीन हो जाय कि वादविवाद से पानी बरस जायगा तो ठीक है।

श्री अध्यक्ष---पुराने जमाने में शंकर जी पर पानी चढ़ाने से पानी बरसता था....

खाद्य मंत्री (श्री जगमोहनसिंह नेगी)---अध्यक्ष महोदय, यह बहस सूखे पर होगी न?

श्री अध्यक्ष---जी हां, खाद्य स्थिति पर नहीं होगी।

श्री जगमोहनसिंह नेगी---अगर कहीं भीषण वर्षा हो गई तो फिर विचार कैसे होगा?

श्री अध्यक्ष---वह तो ठीक है।

श्री केशव पांडेय (जिला गोरखपुर)---अगर विरोधी दल सूखा पर बहस करना बड़ा आवश्यक समझता है तो मैं आपकी अनुमति से प्रार्थना करूंगा कि रोज जो एक घंटे कामरोको प्रस्ताव और दूसरी, तीसरी मांग हो जाती है, अगर किसी दिन वह कम कर दिया जाय तो एक घंटा वह मिल जायगा और एक घंटा और बढ़ा दिया जाय तो वह हो जायेगा।

†नियम ५२ के अन्तर्गत श्री नेकराम शर्मा द्वारा अभि सूचित विषय--गृह मंत्री का वक्तव्य

श्री अध्यक्ष--नेक राम शर्मा का जो प्रश्न था उसके बारे में गृह मंत्री जी ने कहा था कि वह आज वक्तव्य देंगे। अब वह वक्तव्य दें।

गृह मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)--श्रीमन्, सूचना यह है कि २८ अगस्त की रात को हाजी मकीत अली खां की गाय एक श्री नन्हें जी के खेत में चरती हुई पाई गई। जो खेत के मालिक थे उन्होंने देखा कि गाय चर रही है खेत में तो उन्होंने गाय को बाहर निकालने की और भगाने की कोशिश की और कहा जाता है कि ऐसा करते हुए उन्होंने गाय को मारा भाले से। जिसका नतीजा यह हुआ कि वह गाय भाग कर जब आबादी में आई तो उसकी मृत्यु हो गई। २९ तारीख को, रिपोर्ट में यह कहा गया है कि उस कस्बे के हिन्दुओं को मालूम हुआ कि गाय की मौत हो गई है और किसी ने उसे भाले से मारा है। यह कहा गया कि करीब ७०० हिन्दू जहां गाय मरी हुई पड़ी थी उसे देखने के लिये उस रोज साढ़े चार बजे के करीब इकट्ठे हो गये। एक सकीकुल जमा साहब हैं जो नन्हें के पिता हैं। उन्होंने थाने में यह रिपोर्ट लिखाई कि हिन्दुओं ने उनके ऊपर आक्रमण किया और उनके मकान के दरवाजे तोड़कर उनको लाठियों से मारा। दूसरी रिपोर्ट थाने में श्री प्रकाशचन्द्र शर्मा जी ने लिखाई जिन्होंने कहा कि उनके भाई श्री पन्नालाल जब मरी हुई गाय को देखकर वापस आ रहे थे तो उन पर कुछ लोगों ने हमला किया और ७ मुसलमानों के नाम लिखाये। उधर जिनकी गाय मरी थी उन्होंने भी थाने में एक रिपोर्ट की। इस तरह से तीन रिपोर्ट थाने में लिखाई गईं।

पहली रिपोर्ट दफा ४२९ आई० पी० सी० के अन्दर दो मुसलमानों के विरुद्ध श्री हाजी मकीत अली खां की ओर से नन्हें और इमदाद के विरुद्ध कि इन्होंने हमारी गाय को मार डाला है। यह दोनों आदमी गिरफ्तार हुए और जल भेजे गये। दूसरे, सकीकुल जमा ने २० हिन्दुओं के खिलाफ रिपोर्ट लिखाई थी दफा १४७ और २२३ आई०पी०सी० के अन्दर। तीसरे, श्री प्रकाशचन्द्र शर्मा द्वारा दफा १४७, ३२३ और ४५२ आई०पी० सी० के अन्दर ११ व्यक्तियों के विरुद्ध रिपोर्ट लिखाई गई। ३० तारीख को इनमें से १५ हिन्दू और ६ मुसलमान गिरफ्तार कर लिये गये बाकी व्यक्तियों की अभी गिरफ्तारी नहीं हुई है। जिला मैजिस्ट्रेट से जो सूचना आई है उससे पता चलता है कि गिरफ्तार किये हुए लोग सदर लाये गये और वहां मैजिस्ट्रेट ने उन्हें जमानत पर छोड़ दिया। इसके विरोध में ३० तारीख से ही अतरौली कस्बे में तमाम दुकानें बन्द हैं। ३० तारीख की शाम को तीन बजे यह दुकानें बन्दी थीं और इसके बाद बराबर तब से अब तक २-९-५९ तक की रिपोर्ट है ये दुकानें बन्द हैं। दफा १४४ वहां लगा दी गई है। ३१ तारीख को वहां के के० एम० वी० इंटर कालेज के विद्यार्थियों ने एक जुलूस निकाला जिसमें करीब ४०० विद्यार्थी थे और यह जुलूस तहसील और थाने के सामने आया और इसने तरह-तरह के नारे लगाये। कोई खास वारदात, घटना नहीं हुई। नारे लगा करके वे विद्यार्थी चले गये। वहां के एस० डी० एम० और सर्किल अफसर अतरौली गये और उन्होंने वहां की स्थिति को देखा और पुलिस की तैनाती शांति बनाये रखने के लिये आवश्यक मात्रा में कर दी गई। बाजार अब तक जरूर बन्द है और स्थिति शांत है। यह रिपोर्ट है।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)--क्या मंत्री जी बतलायेंगे कि हाजी मकीत अली खां की जो गाय मारी गई तो उसकी थाने में रिपोर्ट कै बजे लिखाने गये और कितने बजे लिखी गई और गाय का वध सुबह कितने बजे हो गया?

श्री कमलापति त्रिपाठी--रिपोर्ट लिखने कितने बजे गये इसकी सूचना नहीं है। लेकिन २९ तारीख को गय एसा लगता है रिपोर्ट से।

---

†३१ अगस्त, १९५९ की कार्यवाही से।

श्री नेकराम शर्मा--क्या मंत्री जी बतायेंगे कि अतरौली के नागरिकों का एक शिष्टमंडल उनसे मिला और उसने बताया कि सुबह हाजी मुकीद अली खां साहब का एक आदमी रिपोर्ट लिखाने गया और वहां के थानेदार ने रिपोर्ट नहीं लिखी और शाम तक इस मामले को टालते रहे और जब दोपहर में वहां के मुख्तारआम पहुंचे और एस०डी०एम० और तहसीलदार ने कहा तब जबरदस्ती रिपोर्ट लिखवाई गई ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--जी हां, अतरौली के नागरिक आये हुए थे और मुझसे भेंट की और इस तरह की शिकायत उन्होंने मुझसे की।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे (जिला जौनपुर)--क्या मंत्री जी को यह ज्ञात है कि जब इतनी सिचुएशन टेंस हो गई है वहां की, स्कूल और बाजार बन्द हैं, तो क्या घटना के बाद से और अब तक जिलाधीश और एस० पी० घटनास्थल पर गये या नहीं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--मेरे खयाल से नहीं गये हैं क्योंकि इस रिपोर्ट से उनके जाने की कोई सूचना नहीं मिलती है।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)--क्या मंत्री जी बतायेंगे कि अतरौली का जो शिष्ट मंडल उनसे मिला था उसने मंत्री जी से इस बात की शिकायत की कि जो दूसरी रिपोर्ट लिखी गई वह थानेदार ने लिखाई और चूंकि इन लोगों ने थानेदार की पहली रिपोर्ट न लिखने की शिकायत की थी इसलिये यह मामला बनाया गया ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--मान्यवर, उन लोगों ने कई तरह की शिकायतें कीं और मैंने उनसे यह निवेदन किया कि इन शिकायतों को वे लिख कर के दे दें। संभवतः आज वह हमको दे जायेंगे। जो घटना की रिपोर्ट हमारे पास आयी है उससे बरअक्स उनकी शिकायतें थीं और जैसा कि माननीय पालीवाल जी ने अभी कहा कि इस तरह की शिकायत उन्होंने की तो मैंने उनसे उनकी शिकायत के बारे में लिखित मांग लिया है और ऐसा इरादा है कि उनकी रिपोर्ट मिलते ही इस तमाम मामले की इनक्वायरी मैं कमिश्नर से कराऊं क्योंकि दो तरह की रिपोर्ट आई और शीघ्र ही उनसे इस बात की रिपोर्ट मांग ली जाय कि वाकया क्या हुआ।

श्री त्रिलोकीसिंह (जिला लखनऊ)--क्या गृह मंत्री जी बतायेंगे कि जब गाय का वध रात को हुआ था तो क्या कारण था कि उसको सुबह तक नहीं हटाया गया रास्ते से बल्कि दिन भर वहीं पड़ी रही एक बात, और दूसरी बात यह है कि जो दो आदमी बाद में पकड़े गये क्या यह वाकया है कि एक बार पकड़ कर छोड़ दिये गये फिर मुकामी तहसील-दार के कहने से दुबारा पकड़े गये ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--मान्यवर, यही शिकायत की गई है। वाकया है या नहीं इसके बारे में नहीं कह सकता जब तक जांच न हो जाय। जो रिपोर्ट है उसका कहना है पकड़े गये और जेल भेजे गये। जो शिकायत की गई उन्होंने कहा कि वे गिरफ्तार किये गये और छोड़ दिये गये। तो यह बिलकुल दो विरोधी बातें हैं। अब क्या वाकया है इसकी जांच कराने के लिये ही मैंने निवेदन किया, कमिश्नर से जांच कराना चाहता हूं। जहां तक यह सवाल है कि गाय मारी गयी रात को और दूसरे दिन साढ़े ४ बजे तक कैसे पड़ी रह गयी यह बात रिपोर्ट से साफ ही है कि वह गाय रात को मरी और इस बात की इंक्वायरी होगी कि यह गाय कैस इतनी देर तक सड़क पर मरी हुई पड़ी रही।

श्री राममूर्ति (जिला बरेली)--जब अतरौली की हालत इतनी खराब हो चुकी थी तो पुलिस ने पक्षपात किया और एक तरफ १५-१६ आदमी पकड़ लिये और उनको हथकड़ी डाल कर व रस्सी में बांध कर कचेहरी ले गये और जेल में बन्द किया और दूसरी तरफ बिल्कुल अनइंपार्टेंट आदमियों को पकड़ा गया, तो क्या इससे वहां की हालत और भी बिगड़ी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--माननीय राममूर्ति तथा नता विरोधी दल ने जो बात कहीं वे वही हैं जो अतरौली से आये हुए शिष्ट मंडल ने मुझ से कही हैं। इसलिये मैंने निवेदन किया कि मैं तुरन्त इसकी इन्क्वायरी कमिश्नर के सुपुर्द कर रहा हूं ताकि एक बड़े आफिसर द्वारा इंक्वायरी हो कर तत्काल हमें रिपोर्ट मिले और उचित कार्यवाही उसमें की जा सके।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)--क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि ये जो विभिन्न प्रकार के आरोप आ रहे हैं और एक तरफ १५ आदमी और एक तरफ ३-४ आदमी पकड़ कर ले जाये गये तो ये सारी घटनायें इसलिये हो रही हैं कि वहां पर दो गकारों की लड़ाई है एक गौतम और दूसरे गुप्ता ?

श्री अध्यक्ष--मैं ऐसी बात कहने की इजाजत नहीं देता।

श्री नेकराम शर्मा--क्या जिलाधीश ने वहां के नागरिकों को मुख्य मंत्री तथा गृह मंत्री के पास तार भेजने से रोका और पोस्ट मास्टर से कह दिया कि कोई तार उनको सूचना के लिये लखनऊ न भेजा जाय ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--इसकी भी शिकायत मुझ से की गयी है और मैं बार-बार निवेदन कर रहा हूं कि जो बातें यहां पूछी जा रही हैं वे सब वही हैं जो शिष्ट-मंडल ने मुझ से कीं और उनकी इन्क्वायरी मैं कमिश्नर द्वारा कराना चाहता हूं ताकि तुरन्त रिपोर्ट आये और उस पर उचित कार्यवाही सरकार करे।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे--स्थिति वहां इतनी गम्भीर है और आरोप प्रत्यारोप भी हो रहे हैं, तो क्या सरकार इस बात पर विचार करेगी कि इंक्वायरी ठीक होने के लिये जो थानेदार वहां के हैं उनका ट्रांसफर कर दिया जाय ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--जो भी अब इस संबंध में उचित होगा वह किया जायगा ताकि इन्क्वायरी वहां निष्पक्ष भाव से हो सके।

श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़)--जब यह बतलाया गया कि जिलाधीश व पुलिस कप्तान वहां पर नहीं गये तो माननीय मंत्री इस बात की उनसे पूछताछ करेंगे कि इस महत्वपूर्ण मामले में वहां वे क्यों नहीं जा सके ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--जी हां, इन सारी बातों की पूछताछ की जायगी।

भावी कार्य-क्रम के सम्बन्ध में सूचना

श्री अध्यक्ष--अब मैं एक सूचना देना चाहता हूं कि तारीख ७ को वित्तीय वर्ष १९५९-६० ६० के प्रथम अनुपूरक अनुदानों पर सामान्य विवाद तथा उसकी मांगों पर मतदान और तत्संबंधी उत्तर प्रदेश विनियोग (१९५९-६० का प्रथम पूरक) विधेयक, १९५९ का सदन की अनुज्ञा प्राप्त करने के पश्चात् पुरःस्थापन, उस पर विचार एवं उसका पारण होगा।

८ तारीख को वित्तीय वर्ष १९५५-५६ के अतिरिक्त अनुदानों पर सामान्य विवाद तथा उनकी मांगों पर मतदान और तत्संबंधी उत्तर प्रदेश विनियोग (१९५५-५६ की बढ़तियों का विनियमन) विधेयक, १९५९ का सदन की अनुज्ञा प्राप्त करने के पश्चात् पुरःस्थापन, उस पर विचार एवं उसका पारण होगा।

९ और १० तारीख को असरकारी दिन रखा गया है।

इसके साथ-साथ मैं एक सूचना और देना चाहता हूं। मैंने यह कहा था कि तारीख ७ और ८ की शाम को इस समस्या के ऊपर विवाद हो सकेगा जो कि सूखा पड़ जाने के संबंध में है। मैं समझता हूं कि ७ और ८ की शाम को यह मुमकिन नहीं होगा।

श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़)--यह ममकिन नहीं है कि पूरी बहस एक ही दिन की जाय ?

श्री अध्यक्ष--वही तो मैं कह रहा हूं कि ९ तारीख को अगर इस बहस को रख दें तो ज्यादा अच्छा हो और फिर अगर आप चाहेंगे तो असरकारी दिन के लिये एक दिन बढ़ा दिया जाय तो वह ११ तारीख हो सकती है। ९ तारीख को अगर सूखे की समस्या पर बहस हो जाय तो वह सिलसिलेवार होगी और उसके साथ यह भी है कि मैंने और कार्य भी निश्चित कर दिये हैं। एक तो शायद आध घंटे की बहस रखी है ७ तारीख को। इस तरह के कुछ कार्य बीच में आ सकते हैं जिनकी वजह से शाम को बैठना मुमकिन नहीं होगा। इसलिये ९ तारीख को दिन में ही इसके विषय में चर्चा हो जाय।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)--माननीय अध्यक्ष महोदय, ९ तारीख को साढ़े ४ बजे से माननीय जयप्रकाशनारायण जी अपना भाषण देने वाले हैं।

श्री अध्यक्ष--उस दिन यह हो सकता है कि हम लोग ४ बजे तक ही बहस करके कार्य खत्म कर दें। यह तो सदन की राय के ऊपर होगा, लेकिन मैं बहस का दिन तो निश्चित कर लूं। सदन की बैठक स्थगित करना तो सदन के हाथ में रहता है; मैं तो सिर्फ यह कह रहा हूं कि ९ तारीख को उसकी बहस के लिये निश्चित कर दूं तो ज्यादा अच्छा है।

२० अगस्त, १९५९ के तारांकित प्रश्न १९ से सम्बद्ध अनुपूरक प्रश्न के उत्तर का शोधन

श्रम उप-मंत्री (श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा)--श्रीमन्, विधान सभा के प्रथम सत्र के (१९५९) के चौथे गुरुवार के लिये निर्धारित श्री कल्याणचन्द मोहिले द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १९ के संबंध में पूछे गये अनुपूरक प्रश्न जो कि श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल ने पूछा था वह इस प्रकार है--

प्रश्न	उत्तर
१९--क्या यह सही है कि नैनी स्वदेशी काटन मिल को सरकारी ऋण दिया गया है? यदि हां, तो कितना और कब?	जी हां। नैनी स्वदेशी काटन मिल (इलाहाबाद) को २५ लाख रुपये का ऋण वित्तीय वर्ष १९५७-५८ में दिया गया है। इस ऋण को केन्द्रीय सरकार ने मंजूर किया था।

उपरोक्त प्रश्न के सम्बन्ध में माननीय सदस्य श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल ने एक अनुपूरक प्रश्न पूछा था वह इस प्रकार है--

प्रश्न	उत्तर
क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इस ऋण को अदा करने की कोई अवधि नियत की गई है और यदि नियत की गई है तो वह क्या है?	कर्जा दस साल के अन्दर देना है। जिस तारीख में लोन दिया गया है उसके तीसरे साल के बाद कर्जा देना शुरू होता है अर्थात् दस साल की अवधि उस दिन से शुरू होगी। साढ़े चार प्रति सैकड़ा का सूद है।

उपरोक्त अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में कुछ अशुद्धियां रह गई थीं। सही उत्तर इस प्रकार है:

"कर्जा दस साल के अन्दर देना है। जिस तारीख में कर्जा दिया गया उसके तीसरे साल के बाद कर्जा देना शुरू होता है। दस साल की अवधि कर्जा देने की तारीख से शुरू होती है। दो साल तक केवल सूद लिया जायगा और तीसरे साल से कर्जा तथा सूद आठ बराबर भागों में वसूल किया जायगा। साढ़े चार प्रति सैकड़ा का सूद है।"

*उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण विधेयक, १९५९
(क्रमागत)†

श्री अध्यक्ष--अब न्याय मंत्री के प्रस्ताव पर कि उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण विधेयक, १९५९ को एक संयुक्त प्रवर समिति को निर्दिष्ट कर दिया जाय, विवाद जारी होगा।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)---श्रीमन्, जो उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण विधेयक, १९५९ को एक ज्वाइंट सेलेक्ट कमेटी में जाने के लिये मंत्री जी के प्रस्ताव के अनुसार सदन में विचारार्थ प्रस्तुत है उस सम्बन्ध में मैं निवेदन करना चाहता हूं। इसके उद्देश्य और कारण को यदि देखा जाय तो उसमें लिखा है---

"भूमिहीन खेतिहर मजदूरों को यथासम्भव मात्रा में भूमि उपलब्ध कराकर उसका अधिक साम्यपूर्ण वितरण करने की व्यवस्था करने के उद्देश्य से तथा सहकारिता के आधार पर खेती की व्यवस्था करने और भूमि के प्राप्य साधनों का संरक्षण इस प्रकार बनाये रखने के विचार से कि राजकीय फार्मों में आधुनिक वैज्ञानिक ढंग से खेती करके उत्पादन में वृद्धि की जाय तथा कमी के वर्षों के लिये खाद्यान्नों का सुरक्षित संग्रह बनाया जाय, यह इष्टकर है कि वर्तमान वृहत् जोतों पर उच्चतम सीमा आरोपित की जाय।"

ऐसे खेतिहर मजदूर जो भूमिहीन हैं उनको जमीन दिये जाने के लिये और साम्यपूर्ण भूमि का बंटवारा करने के लिये और सहकारिता के आधार पर खेती करने के उद्देश्य से यह विधेयक इस समय आदरणीय सदन के माननीय सदस्यों के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। श्रीमन्, मैं निहायत अदब के साथ मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि यदि वह सारे विधेयक को अच्छी तरह से पढ़ें तो वह भी इसी नतीजे पर आयेंगे कि इस विधेयक को पूर्ण रूप से कार्यान्वित हो जाने के बावजूद भी भूमिहीन मजदूरों के लिये तथा छोटे किसानों के लिये जमीन नहीं बचेगी और न इसका सदुपयोग ही हो पायेगा। मैं सरकार को सुझाव देने के पहिले जो शंकायें प्रस्तुत की गई हैं उनका निराकरण करना आवश्यक समझता हूं।

श्रीमन्, हमारे माननीय मित्र चन्द्रजीत जी यादव कल बोल रहे थे तथा अन्य कुछ सदस्यों ने भी भाषण करते हुये कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में सहकारिता के आधार पर पास हुये प्रस्ताव के सम्बन्ध में इशारा किया था। उनका कहना था कि नागपुर में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ उसमें सहकारिता के आधार पर खेती करना तय हुआ था उसी से प्रभावित होकर यह विधेयक आया हुआ है। मैं निवेदन करूंगा कि हमारे ऐसे सम्मानित सदस्य जो नागपुर के प्रस्ताव से भयभीत हो चुके हैं वह अपने दिल से इस भय को निकाल दें क्योंकि इससे कोई नई बात होने वाली नहीं है और न इसमें कोई नई बात है।

श्रीमन्, मैं निवेदन करूंगा कि वह कांग्रेस के मैनीफेस्टो, जो जनता को आश्वासन देकर कांग्रेस पार्टी ने चुनाव लड़ा था, उसके पृष्ठ १२ को देखें कि उसमें यह बात साफ की गई है कि भूमि पर से समस्त मध्यस्थता करने वालों को निश्चयपूर्वक हटा देना चाहिये। नागपुर का प्रस्ताव इससे आगे नहीं जाता है। कांग्रेस ने १९५७ में कहा था कि जो मध्यस्थता करने वाले हैं उनको हटा दिया जाय। ऐसे कौन लोग हैं? इसके प्रभाव में कौन लोग आयेंगे? वह लोग आयेंगे जो खेती अपने हाथ से नहीं करते हैं

---

*२० अगस्त, १९५९ की कार्यवाही में छपा है।

†२ सितम्बर, १९५९ की कार्यवाही से।

बल्कि जो दूसरों के श्रम को अपने खेत पर लगा कर अन्न का उत्पादन कराते हैं। आगे भी इसमें कहा है कि भूमि का स्वामी वही है जो भूमि को स्वयं जोतता है। जनता को गुमराह करने के लिये कांग्रेस ने इस बात को लिख रक्खा था कि जो भूमि को स्वयं जोतता है उसी के कब्जे में भूमि रहनी चाहिये। मैं अपने साथियों से निवेदन करूंगा कि कांग्रेस ने इस प्रस्ताव के रहते हुये जो प्रतिज्ञा की थी तो क्या उन्होंने टिलर आफ दी स्वायल के हाथ में जमीन रहने देने की कोई व्यवस्था की है, १९५७ बीत गया, १९५८ बीत गया और १९५९ में भी आठ माह बीत गये मगर कोई भी ऐसा कदम उठाया नहीं गया है, तो कैसे माना जा सकता है कि नागपुर का प्रस्ताव कार्यान्वित होगा। जिस तरह से चुनाव के घोषणा-पत्र में जनता को निराशा हुई उसी तरह से नागपुर के प्रस्ताव से निराशा देने के लिये ही यह बनाया गया है। श्रीमन्, सहकारी खेती की बात तो कांग्रेस चुनाव घोषणा-पत्र में भी है। हमारे सदस्य जो सहकारिता से भयभीत हैं मैं उनके भय का निराकरण आंकड़ों द्वारा करना चाहूंगा। हिन्दुस्तान की सब से बाद के आंकड़ों को जो आखिरी किताब निकली है उसको पढ़ें तो उनको मालूम होगा कि आज जो सहकारिता खेती का नारा लगाया जा रहा है वह कितना खोखला है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम सहकारी खेती के पक्ष में हैं, हम समझते हैं कि अगर तानाशाही और पूंजीश ही व्यवस्था का नाश करना है तो सहकारिता का आन्दोलन उद्योग-धंधे और कृषि में होना चाहिए। सहकारिता को समुचित रूप में कार्यान्वित करने से तानाशाही और पूंजीशाही प्रणालियों का नाश किया जा सकता है। परन्तु वह आन्दोलन उद्योग-विभाग और कृषि विभाग में केवल सहकारी खेती का प्रस्ताव पास कर देने से नहीं हो सकता। उसके लिए दृढ़ निश्चय चाहिए और उसके लिए आवश्यक शर्तें पूरी होनी चाहिए। कांग्रेस सरकार उन शर्तों को पूरा नहीं करने जा रही है।

श्रीमन्, जो आखिरी आंकड़े केन्द्रीय सरकार की ओर से प्रकाशित हुए हैं जरा सदन के माननीय सदस्य उनको अच्छी तरह नोट करें। १९५६ में कुल जितनी कृषि और पशुपालन हुआ--५६ अरब ९० करोड़ रुपये, करीब ५७ करोड़ मान लेना चाहिए। इसमें बीज, लगान और दूसरा खर्चा जोड़ कर २३ अरब का खर्चा हुआ। २३ अरब ५७ अरब में से निकाल दें तो ३४ अरब रुपया रह जाता है। कुल जोत के लिए कितनी जमीन थी? ३१ करोड़ ५७ लाख एकड़। ३२ करोड़ एकड़ मान लें जो आज कृषि में उपयोग हो रही है। यह सब सहकारी खेतों में आ जायगी अगर सहकारिता चलेगी। जरा देखा जाय। जिस आदमी की जमीन सहकारिता में ली जायगी तो सहकारिता में जाने वाली जमीन का कुछ मुनाफा भी दिया जायगा। कितने एकड़ के हिसाब से देगी?

हसनपुर, मुरादाबाद में छोटे पैमाने पर परीक्षण किया जा रहा है। उसको देखा जाय। पूर्व से पश्चिम तक जिलों में हमने दौरा किया और हर मीटिंग में हमने यह सवाल किया कि अगर तुम अपने खेत देना चाहते हो तो कुल कितना रुपया मिले जो तुम अपने खेत दे दो। अगर ५० रुपये का औसत लगाया जाय तो १६ अरब रुपया ३२ करोड़ एकड़ खेत का हो जाता है। कम से कम १६ अरब रुपया खेती करने वालों को मिलेगा। ३४ अरब में से १६ अरब निकाल दें तो १८ अरब रुपया बचता है। यही तो मजदूरों में बांटा जायगा क्योंकि सहकारी खेती कोई नाम मात्र की चीज तो है नहीं। जब श्रम की कमी हो तो सहकारी खेती उस कमी को पूरा करने के लिए आवश्यक चीज है। मगर जहां श्रम अतिरिक्त हो उस समय हमें सोचना पड़ेगा कि हम कितने श्रम को सहकारिता में लगायेंगे। सक्रिय मजदूर १० करोड़ हैं जो आज खेती में लगे हुए हैं। अगर ३२ करोड़ जमीन सब सहकारी खेतों में ले ली जाय तो कितने आदमियों को काम मिलेगा? उसमें मजदूर भी होंगे, ट्रैक्टर चलाने वाले भी होंगे, इंस्पेक्टर, सुपरवाइजर, रजिस्ट्रार भी होंगे। अगर सबका औसत ७५ रुपये लगा दें जब कि ६२ रुपये कुछ पैसे हल जोतने वाले मजदूर को हसनपुर में दिया जा रहा

[श्री राजनारायण]

है---७५ रुपये के हिसाब से अगर देखा जाय तो १८ अरब रुपया केवल २ करोड़ मजदूरों के ऊपर खर्च हो जायगा। ८ करोड़ कहां जायेंगे? क्या उनको कत्ल किया जायगा? उनको मारा जायगा या उनके लिये कोई दूसरा सम्भावित साधन उपलब्ध किया जायगा जीवन निर्वाह का? आज तक इस सरकार ने कोई इसके बारे में व्यवस्था नहीं दी। इसलिए मैं अपने माननीय मित्रों से निवेदन करूंगा कि कांग्रेस के द्वारा जो यह सहकारी खेती का आन्दोलन चलाया गया है वह मौखिक है, वह कार्य-रूप में परिणत होने वाला नहीं है। बल्कि उसका नतीजा यह होगा कि जो सही मानों में सहकारी खेती होती उसको भी नेस्तनाबूद करने के लिए यह नारा लगाया जा रहा है।

सहकारी खेती अच्छी चीज है। खेती का सम्यक रूप से समुचित रूप से बटवारा होना चाहिए। यह कहा जा रहा है कि भूमि वितरण होगा। भूमि किसको मिलेगी -- जो भूमिहीन मजदूर होंगे या जो छोटे-छोटे किसान हैं उनको मिलेगी। अब इसको श्रीमन्, देखा जाय। पेज १३ पर इसकी धारा देखी जाय---"यानी यदि किसी गांव में १५ एकड़ से अधिक भूमि हो तो भूमिहीन खेतिहर मजदूरों की निबन्धित (रजिस्ट्रीकृत) सहकारी कृषि-समिति के साथ और यदि किसी गांव में १५ एकड़ से कम भूमि हो तो अलाभकर खातेदारों की निबंधित (रजिस्ट्रीकृत) सहकारी कृषि-समिति के साथ किया जा सकता है।"

पन्द्रह एकड़ से कम रहेगा तब तो वह छोटे-छोटे किसान सवा तीन एकड़ से कम खेती करने वाले किसान जो हैं उनके खेतों में मिला दिया जायगा और उनको सहकारी खेती करने के लिए कहा जायगा। अगर १५ एकड़ से ज्यादा जमीन निकलती है तो कहा जा रहा है कि भूमिहीन खेतिहर मजदूरों को बांट दी जायगी और उनको भी सहकारी खेती करने के लिए बाध्य किया जायगा। इस कानून के अनुरूप इस प्रकार की व्यवस्था होगी। अब अगर यह सही है तो क्या सरकार ने कोई इसके आंकड़े तैयार कराये हैं? मैं आपसे निवेदन करूंगा कि सरकार की ओर से कोई प्रयत्न नहीं हुआ है। अगर कोई प्रयत्न हुआ हो तो मैं आपके द्वारा पूछना चाहता हूं क्या वह कोई आंकड़े इसके आज दे सकते हैं कि अगर ४० एकड़ से ऊपर वालों की जमीन ले ली जाय तो कितने एकड़ जमीन बचेगी? मैं आंकड़े दे सकता हूं।

(इस समय १ बज कर १५ मिनट पर श्री अध्यक्ष चले गये और उपाध्यक्ष, श्री रामनारायण त्रिपाठी पीठासीन हुए।)

हमने कई प्रकार के आंकड़े तैयार किये हैं। ३० एकड़ से अधिक जमीन कितनी है अगर उसको देखा जाय तो २५,५७९ खातेदार होते हैं और २६,३६,५४५ एकड़ जमीन होती है। अब २५,५७९ खातेदारों का यह हमारा अनुमान है कि उसका २/३ कर दिया जाता है तो परिवारों का औसत आ जाता है---तो २/३ करके निकालते हैं तो ३० एकड़ जमीन छोड़ें और सब खातेदारों को छोड़ें तो बचेगी कितनी १,२१,२४,८८५ एकड़ जमीन और इसी के साथ ४० एकड़ का जो हमने आंकड़ा लगाया, श्रीमन्, तो ४० एकड़ से ज्यादा जमीन रखने वाले कुल खातेदार १९,२३७ हैं और ४० एकड़ से ऊपर की कुल जमीन १८,५८,२६९ एकड़ हैं। अगर वह इन खातेदारों को बांट दी गई तो एक खातेदार पर श्रीमन् ९६·६ एकड़ जमीन पड़ती है। तो अब यह जमीन मान लीजिए ४० एकड़ से ऊपर को लें तो १३,४१,६२९ एकड़ जमीन हमको मिलेगी। अगर ३० एकड़ रखते हैं तो करीब २२ लाख एकड़ जमीन, और अगर ४० एकड़ रखते हैं तो करीब १३ लाख एकड़ जमीन आती है। अगर यह रहे तो जिस रूप में आज व्यवस्था है तो विधेयक को देखा जाय श्रीमन, इसमें ४० एकड़ ही नहीं है ४० एकड़ तो कहा जाता है कि अच्छी औसत---श्रीमन, आपको भी इस बात को सुन कर के हंसी आयेगी और मैं जानना चाहता हूं कि जो इस विधेयक के ड्राफ्ट करने वाले हैं, वह

हमें जरा बतायें, दुनियां में कभी आज तक ऐसे शब्द का प्रयोग हुआ है--औसत के माने क्या होते हैं? औसत के माने होते हैं--अच्छी, बुरी, खराब, मामूली सबको मिला कर जो आधार निकाला जाता है वह औसत है। अब अच्छी औसत और खराब औसत के क्या माने? जरा देखा जाय, इसमें कितनी धूर्तताई भरी हुई है। अच्छे औसत शब्द का प्रयोग इसमें हुआ है--जरा पेज ९ निकाला जाय। हमारे नये वकील श्री महावीर प्रसाद शुक्ल पेज ९ पर खंड १६ (१) जरा देखें कि अच्छे औसत के क्या माने हैं।

"धारा ५ में किसी बात के होते हुए भी, तथा ऐसे निबन्धनों और शर्तों के अधीन रहते हुए जो नियत किये जायं, किसी व्यक्ति को इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन अर्जित अतिरिक्त भूमि की दस प्रतिशत भूमि का जो यदि उपलभ्य हो, तो कम से कम दो एकड़ तथा अधिक से अधिक दस एकड़ होगा, उसके साथ उसके उस भूमि पर ऐसी अवधि के भीतर जो नियत की जाय बाग लगाने का बचन लिखित रूप में देने पर बन्दोबस्त किया जा सकता है।" पेज ३ के स्पष्टीकरण में यह दिया है कि "इस उपधारा के अधीन अच्छी औसत प्रकार की भूमि से भिन्न भूमि के सम्बन्ध में अधिकतम क्षेत्र की गणना में ऐसी भूमि के डेढ़ एकड़ जिसकी लागू मौरूसी दर तीन रुपये प्रति एकड़ से अधिक हो किन्तु पांच रुपये प्रति एकड़ से अधिक न हो, . . ." अच्छी औसत की परिभाषा आज तक कोई समझ नहीं पाया है और न आज तक हुई है। जो पारिभाषिक शब्दों के जानकार हैं या कानून के जानकार हैं वह इस अच्छी औसत की परिभाषा को समझ नहीं पाये हैं। यह केवल धोखा देने के लिये रखी गई है। गरीब किसानों के स्वार्थों का अपहरण करने के लिये ये शब्द यहां पर जोड़े गये हैं। अब यह अच्छी औसत की परिभाषा क्या है?

तीन प्रकार की जमीनें इसमें हैं। एक तो जो ५ रुपये से ऊपर वाले जो मौरूसी लगान दें। दूसरे जो तीन रुपये से लेकर पांच रुपये तक मौरूसी लगान दें और तीसरे वह जो तीन रुपयें तक लगान दें। यही तीन प्रकार के मौरूसी लगान वाले सरकार बतलाती है, लेकिन यह हमको नहीं बता सकते हैं कि ५ रुपये से ऊपर मौरूसी लगान देने वाले कितने है। तीन रुपये तक या चार रुपये तक अधिकांश किसान लगान देते हैं और ४ से ५ तक। तो यही सारे प्रदेश में मौरूसी लगान की दर है और इस प्रकार से जमीन डेढ़ गुना तक उनको मिलेगी जो ५ रुपये तक मौरूसी लगान देने वाले किसान हैं। उसको ४० का डेढ़ गुना, ६४ का डेढ़ गुना और ६४ का दो गुना तक वह रख सकते हैं। उनको १२८ एकड़ तक जायगा। अब देखा जाय १२८ एकड़ तक जमीन उसको रखने का पूरा अधिकार है। पर देखा जाय कि १२८ एकड़ या १०० एकड़ से ऊपर के कितने किसान हैं और उनके पास कितनी जमीन है। उनके पास बिलकुल जमीन नहीं है मुश्किल से तीन-चार लाख एकड़ बच सकती है फिर भी जरा ५ धारा को पढ़ा जाय।

यहां पर एडवोकेट जनरल आये थे। वह भी इस बात को स्पष्ट नहीं कर पाये और न वह स्पष्ट कर सकते थे। इसमें साफ लिखा हुआ है कि जिसको जितनी अधिकतम जमीन प्रयोग के लिये मिलनी चाहिये अगर उसके ऊपर की जमीन उसने १५ अगस्त के पहले बेच दी है या किसी दूसरे को लिख दी है तो उस पर ध्यान नहीं रखा जायगा और उसकी उपेक्षा की जायगी। यह असाधारण बात है कि १५ अगस्त उन्होंने क्यों रखा? अगर १५ अगस्त के पहले किसी आदमी ने अपनी जमीन को लिख दी है तो कोई बात ही नहीं, मगर १५ अगस्त के बाद भी जो जमीन बांट दी उसके लिये यह कहां लिखा हुआ है कि उस जमीन का देना नाजायज समझा जायगा। माननीय अवधेश प्रताप जी और त्रिलोकीसिंह जी ने यह प्रश्न उठाया था। मैं समझता हूं इस प्रश्न की सफाई नहीं हो पाई है। इसमें तो साफ लिखा हुआ है कि उसकी उपेक्षा की जायगी और उस पर ध्यान नहीं दिया जायगा जिसको वह जमीन दी गई सो दी गई और बेची गई सो बेची गई। तो अब १५ अगस्त के और आज ३ सितम्बर के बीच में भी अगर किसी ने अपनी जमीन को तितर-बितर कर दिया है तो उसके ऊपर इस विधेयक के मुताबिक क्या प्रतिबन्ध है? केवल

[श्री राजनारायण]

यह लिखा हुआ है कि उसकी उपेक्षा की जायगी यानी जिसने जो भी बंटवारा किया हो या होगा उस पर ध्यान नहीं रखा जायगा। इसका बिलकुल साफ मतलब है। इसके अलावा यह देखा जाय कि केवल किसानों को गुमराह करने के लिये नागपुर में सहकारी खेती का नारा लगाया गया और केवल किसानों को गुमराह करने के लिये यहां पर यह विधेयक प्रस्तुत किया जा रहा है। कोई भी जमीन उनको मिलने वाली नहीं है। बाग छोड़े जा रहे हैं। जितने भी वह बाग रखते हों उनको छोड़ा जायगा। इसके अतिरिक्त वह बाग लगाना चाहें उसका एक बटा दस यानी दो एकड़ से कम उनको नहीं मिल सकती है। इस विधेयक में यह उनको सुविधा दी है यांत्रिक ढंग की खेती, गन्ना फार्म हजारों हजार एकड़ के एक के पास छोड़े जा रहे हैं।

अब यह देखना चाहिये कि वास्तव में आज इस उत्तर प्रदेश की ग्रामीण जनता जो गरीबी और कंगाली की विकरालता से कराह रही है और जो कंगाली के गर्त में आज दबी हुई है, उसकी तरक्की के लिये क्या यह विधेयक है, कदापि नहीं ? किसी को जमीन नहीं मिल पायेगी, किसी के जीवन में नयी रोशनी, नयी ज्योति नहीं आ पायेगी। राजकोष की बर्बादी होगी। इसमें सीलिंग का तो नाममात्र भी नहीं है। यह विधेयक मिसनोमर है। इसका गलत नाम रखा गया है। जिसको जितनी जरूरत होगी जमीन रखेगा और जितनी चाहेगा बांटेगा। इसलिए मेरा निवेदन है कि अगर सरकार सही मानों में ५ करोड़ किसानों के जीवन के साथ खेल नहीं करना चाहती है तो उसे एक कायदे का कानून ले कर सदन के सामने आना चाहिये। श्रीमन्, मैं जानना चाहता हूं कि मेरा कितना समय बाकी है ?

श्री उपाध्यक्ष---आपके २० मिनट हो गये।

श्री राजनारायण---श्रीमन् मैं १० मिनट और लूंगा।

श्री उपाध्यक्ष---यह तो सदन का निश्चय है। मैं आपको ५ मिनट और दे दूंगा, आप उसी में संक्षेप में कहिए।

श्री राजनारायण---कांग्रेस पार्टी का मैनीफेस्टो मैंने पढ़ा। आप इसके बाद पी० एस० पी० के मैनीफेस्टो को देखिये। उसके पेज ४ पर लिखा हुआ है:---

"The party advocates comprehensive and integrated land reform that will make the tillers of the soil its owner, there will be redistribution of land with a ceiling on holding and facilities for personal cultivation to small holders."

इसमें उन्होंने कहीं यह नहीं कहा कि सीलिंग कितनी होगी। जो उनकी प्रान्तीय कार्य समिति का निर्णय हाल ही में हुआ था वह २० एकड़ पर सीलिंग लगाने का था। मैं नहीं जानता कि उसके बाद उन्होंने कोई दूसरा निर्णय लिया हो। अखबारों में कोई सफाई उनकी नहीं थी। मैंने कम्युनिस्ट पार्टी का भी चुनाव घोषणा-पत्र देखा। हदबन्दी की सीमा एक परिवार के लिए जोत के तिगुने से अधिक नहीं होनी चाहिए। जनसंघ का चुनाव घोषणा-पत्र भी देखा। वितरण का न्यूनतम और अधिकतम आधार सिंचाई के प्रबन्ध से युक्त क्रमशः ५ एकड़ तथा ३० एकड़ होना चाहिये। इनमें एक नवीनता है कि न्यूनतम और अधिकतम, दोनों तरह की जोतों का जिक्र है। यह बात मेरी समझ में नहीं आयी क्योंकि सबकी जमीन सब में यदि बराबर बांट दी जाय तो औसत चार एकड़ आयेगा, फिर न्यूनतम पांच एकड़ कैसे होगा ? अब सोशलिस्ट पार्टी की बात है और उसे मैं सफाई के साथ कहना चाहता हूं कि ५ आदमियों के एक परिवार के लिये, जो बिना मजदूर रखे और बिना बड़ी मशीनों की सहायता के खेती करेंगे, हम औसत जोत का तीन गुना रखना चाहते हैं।

हमारी इस परिभाषा के अनुसार यह सीमा २० एकड़ की आती है अधिकतम, और इससे ज्यादा नहीं हो सकती । हो सकता है कि १९ एकड़ ही आये । छः या साढ़े छः एकड़ से ज्यादा खेती एक हल बैल से नहीं की जा सकती, उसका तीन गुना १९ या २० एकड़ आयेगा, लेकिन इसमें बाग शामिल हैं ।

हम इसका भी विरोध करते हैं कि पूंजीपतियों पर, शहर के बड़े-बड़े महाजनों पर कोई टैक्स नहीं लगाया गया है । यह सरकार की गलती और नालायकी है । इसलिए मैंने कहा कि मिल मालिकों पर भी रोक लगाइये, आमदनी पर भी रोक लगाइये । सर्वांगीण, चतुर्दिक ढंग पर जन-जीवन परिवर्तित करने के लिये एक आधारभूत सिद्धांत रखिये । अगर ऐसा सिद्धांत रखा जायगा तो बड़े से बड़े खर्च और आमदनी पर रोक लगायी जानी चाहिए । हमने यह माना है कि एक हजार रुपये से ज्यादा खर्च या आमदनी किसी भी आदमी की न हो । देहात के लोग कह सकते हैं कि देहात की २० एकड़ की खेती और यह एक हजार रुपये की आमदनी कहां साथ-साथ बैठेगी । मैं उनको बतलाऊंगा कि अर्थ शास्त्रियों ने कहा है उत्तर प्रदेश के लिये यदि उचित पानी और खाद का प्रबन्ध हो जाय तो चार गुने से लेकर छः या सात गुने तक पैदावार बढ़ सकती है । मैं औसत जोत की बात कर रहा हूं और औसत उत्पादन शक्ति की बात कर रहा हूं । अगर उसको लेकर चलेंगे और ५, ६ गुना पैदावार बढ़ जायगी तो यह आमदनी भी जा कर एक हजार के नजदीक बैठेगी । इसलिये मेरा कहना है कि जो उधर के बहुत से सम्मानित मित्रों ने इसका विरोध किया उसका कारण मैं समझता हूं और वह यह है कि उनके दिल में एक टीस है, एक आह है । मगर मिल-मालिक, करोड़पति, महाजन शहर में जिन्होंने अपने अनेकों मकान बना रखे हैं उनके लिए आमदनी पर रोक की कोई व्यवस्था नहीं हो रही है । उनके लिए अधिकतम आमदनी एक हजार मासिक की कोई व्यवस्था होनी चाहिए, यह हमारी मांग है । अगर वह व्यवस्था न हो तब तक के लिए जमीन सीमा परिवर्तन भी न हो, यह हम नहीं मान सकते । हम चाहते हैं कि परिवर्तन हो और जल्दी हो और किसी स्थिति में बाग इत्यादि को मिला कर २० एकड़ से ज्यादा जमीन न दी जाय ।

अब उनकी शंका का समाधान करने के लिए विदेशों के आंकड़े पढ़ देना चाहता था, यानी कितनी खेती तक एक आदमी के पास रहने से पैदावार अच्छी होती है, कितनी खेती पर कितने आदमी रहें तब पैदावार अच्छी हो सकती है । हमें अफसोस है कि समय के अभाव से वह आंकड़े हम यहां नहीं रख सकते, क्योंकि हर समय हमें भय रहता है कि न जाने कब आप बीच में कह दें कि "आपका समय समाप्त हो गया" । इसलिए मैं बड़ा परेशान हूं । हमारे पास श्रीमन्, डिमिनिशिंग रिटर्न के आंकड़े हैं । यानी ४ आदमी एक प्लाट पर खेती किये हैं तब तो प्रति आदमी उत्पादन बढ़ा है और प्रति एकड़ भी उत्पादन बढ़ा है और अगर ४ से ज्यादा हो गये, ५,६,७,८,९,१० तो उसके मुताबिक लगातार उत्पादन घटता चला गया है प्रति आदमी पर । दुनिया का रेकार्ड इस बात को साबित करता है । बहुत से लोग कहेंगे कि क्या कोई धर्म है कि ५ आदमियों के परिवार के पास २० एकड़ से ज्यादा न हो ? मैं कहूंगा कि नहीं है, लेकिन अगर उसका मनन किया जाय तो दुनिया में कहीं भी अगर इससे ज्यादा भूमि दी गयी है तो प्रत्येक व्यक्ति औसत उत्पादन घटता चला गया । वह उसको सम्भाल नहीं पायेंगे, वह उसको खाद और अच्छे बीज नहीं दे पायेंगे और समय पर नहीं दे पायेंगे । इसलिए ह्रास होता चला जायगा । इसलिए सोशलिस्ट पार्टी ने अच्छी तरह से इसका अध्ययन करके बाग और खेती को सम्मिलित करके यह कहा कि १२ एकड़ से २० एकड़ तक इसी चक्र में चले और इससे ज्यादा नहीं देनी चाहिए बाप-बेटे सबको मिला करके ।

मौरूसी लगान के सम्बन्ध में भी अवश्य कहना चाहता हूं कि मौरूसी लगान ही शर्त नहीं होना चाहिए । मौरूसी लगान आज भिन्न प्रकार से और अन्याय मूलक ढंग से भी लगाया गया है । उसको आधार मान कर हम गलती करेंगे । इस सम्बन्ध में उत्पादन

[श्री राजनारायण]

शक्ति का भी ध्यान रखना पड़ेगा। मैं राजा वीरेना शाह की बात सुन रहा था। उन्होंने कहा कि हमारे यहां ऐसी भी जमीन है जिसकी उत्पादन शक्ति बहुत ही कम है और काफी दी जा सकती है। तो यह तो डिटेल की बात है। जो विरोधी पार्टियां हैं वह तो डिटेल में नहीं जा सकतीं क्योंकि उनके पास आंकड़े नहीं हैं। यह तो सरकारी पार्टी का काम है कि वह हमारे सुझाव, संशोधन और समालोचनाओं को लेकर आँकड़े को फिट करे। हम व्योरे में नहीं जा पायेंगे। हम इतना ही निवेदन करेंगे कि सही माने में अगर खेती के मजदूरों की स्थिति सुधारनी है, हरिजनों की, छोटे किसानों की, भूमिहीनों की स्थिति सुधारनी है तो किसी भी हालत में २० एकड़ से ज्यादा जमीन की व्यवस्था नहीं होने देना चाहिए---उसमें बाग भी सम्मिलित रहें।

रह गया मुआवजा। मैं इस सम्बन्ध में कहना चाहूंगा कि जहां तक सोशलिस्ट पार्टी का सम्बन्ध है हम मुआवजे के सिद्धांत को नहीं मानते। जमींदारी उन्मूलन के समय भी हमने कहा था कि हम मुआवजे के सिद्धान्त को नहीं मानते, रिहैबिलिटेशन ग्रांट (पुनर्वास अनुदान) को मानते हैं। लेकिन यहां पर रिहैबिलिटेशन का भी सिद्धांत नहीं उठता। इसलिए कि रिहैबिलिटेशन होने के लिए हम पहले से ही जमीन छोड़ रहे हैं। जमींदारी उन्मूलन के समय ऐसा था कि जमींदारों की आमदनी ही उनका एकमात्र सहारा थी, उनके पास जमीन नहीं थी। लेकिन अब तो उनके लिए हम खुद छोड़ रहे हैं, तो फिर मुआवजा देने की बात उनको कहा से आ गयी? अब सरकार की तरफ से एक बात आ सकती है कि कांस्टीट्यूशन के मुताबिक अगर हम जमीन लें तो मुआवजा देना ही पड़ेगा, तो यह सरकार का काम है। सूबे में भी कांग्रेस की सरकार है, केन्द्र में भी कांग्रेस की सरकार है। इस संविधान में हमने छोटी-छोटी बातों को परिवर्तित होते देखा है, मनमाने अर्थ लगते देखे हैं जहां पर भी कांग्रेस की अंगुली नीचे दबी है। तो अगर कोई अड़चन संविधान के कारण है तो उसको दूर किया जाना चाहिये और उस अड़चन को दूर करके उसके अनुरूप यहां पर नया बिधेयक लाया जाना चाहिये और तभी यहां पर जनता में नयी उमंगें और हिलोरें उठ सकेंगी वरना इस विधेयक में कोई अर्थ नहीं हैं और इस प्रकार से इसको लाकर इस सदन का समय बरबाद किया जा रहा है। इन शब्दों के साथ में आज यहीं तक सीमित रहता हूं और अगर मौका आगे मिला तो कुछ आंकड़े जो हमारे पास उपलब्ध हैं उनको इस सदन में प्रस्तुत करूंगा।

कुमारी कमलकुमारी गोईंदी (जिला इलाहाबाद)---मान्यवर, माननीय न्याय मंत्री द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का समर्थन करते हुये मैं मंत्री जी का ध्यान इस विधेयक की कुछ धाराओं की ओर दिलाना चाहती हूं जिन पर, जबकि यह बिल संयुक्त प्रवर समिति में जाय तो वहां पर उन धाराओं की ओर विशेष ध्यान दिया जाय। इस बिल के अन्दर उद्देश्यों में लिखा हुआ है कि यह बिल प्रदेश में उत्पादन की वृद्धि के लिये लाया जा रहा है।

तराई भावर में बसे हुये शरणार्थियों का case ले लीजिए। इसके सम्बन्ध में मैं सदन के सामने इस बिल का खंड २ (२) पढ़ना चाहती हूं जो कि इस प्रकार से है: "सम्पूर्ण कुमायूं मंडल (डिवीजन) सिवाय काशीपुर परगने के तथा तराई और भावर परगने के उस भाग के जहां कोई मध्यवर्ती नहीं है"। इस इलाके के सम्बन्ध में बहुत से माननीय सदस्यों ने भी यहां पर बताया है कि यह पहाड़ी इलाका है और यहां पर ८ वर्ष पहले जंगल बयाबान थे और यहां पर बसने के लिए और इस जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए शरणार्थी भाइयों से सरकार की ओर से प्रार्थना की गई। शरणार्थियों द्वारा इस भूमि को उपजाऊ बनाने और यहां पर बसने के बाद, जबकि उन भाइयों ने ८ वर्ष के निरंतर परिश्रम और मुसीबत सहने के बाद इसको खेती के लायक किया और उसमें बसे और उन्होंने वहां पर लगभग ८०० रु० फी एकड़ खर्चा किया, उनके साथ ९९ वर्ष की लीज हुई, अब थोड़े सालों के बाद उनसे इस धारा के अनुसार यह जमीन ली जा रही है। यह बहुत अनुचित है। इसलिये मैं चाहती हूं कि खंड २ (२) को निकाल कर उसके स्थान

पर "सम्पूर्ण कुमायूं मंडल" रख दिया जाय। यानी सम्पूर्ण कुमायूं मंडल में इसको अभी लागू न किया जाय ताकि वहां पर जो ३ लाख कुटुम्ब बसे हुये हैं वह अपनी भूमि उसी प्रकार से अपने पास रख सकें और उत्पादन की वृद्धि में कमी न हो। उत्पादन की वृद्धि में कमी का संशय किस तरह से उत्पन्न होता है? वहां पर उस पहाड़ी इलाके में बैलों से खेती नहीं हो सकती है और वहां पर उन लोगों ने जोतने के लिये ट्रैक्टर वगैरह रखे हैं। वहां पर उनको ट्रान्सफर राइट नहीं दिया गया है। वहां पर टुकड़े हो जाने पर बैलों से खेती नहीं हो सकती, छोटे-छोटे भूमि के लिए tractors रखना कठिन हो जायगा। दूसरी बात यह है कि आगे जो लोग लैंड रिक्लेम करने वाले हैं वह भी इस भय से कि सरकार जमीन ले लेगी, आगे कार्य नहीं करेंगे। इसलिए इस प्रकार की कोई भावना लोगों में सरकार को नहीं आने देना चाहिए। इसलिये मेरा निवेदन है कि सरकार इस खंड की ओर ध्यान दे और सरकार इस खंड में "सिवाय" से लेकर . . "कोई मध्यवर्ती नहीं है" तक हटा दे।

दूसरी बात यह है कि पिछले वर्ष पश्चिमी इलाकों में बाढ़ आई और पूर्वी इलाकों में सूखा पड़ा इस इलाके ने उत्तर प्रदेश को भुखमरी के मुंह से निकाला था। इसने काफी मदद उस समय पैदा की थी। इसलिये हम कोई भी ऐसा कदम न उठावें जिससे हमारे प्रदेश की उत्पत्ति कम हो और ये लोग अपने आप को फिर बेघर महसूस करने लगें। ये आपके आश्वासन पर वहां बसे अपने लोगों के जीवन को मलेरिया में दिया और सरकार का भी धन इसमें लगा हुआ है। कुमायूं मंडल को सारे को आप छोड़ दीजिये जिससे वे लोग जब तक कुमायूं मंडल पर जिमींदारी उन्मूलन अधिनियम (act) न लग जाय अपनी मेहनत का कुछ लाभ उठा लें या उनके लिए compensation की शर्तें अलग रखी जायं, न्याय को दृष्टि में रखते हुए।

इस बिल के खंड ४ के उपखंड (२) के भाग (ख) में लिखा है "पांच से अधिक सदस्यों वाले परिवार की दशा में अधिकतम क्षेत्र अच्छी औसत प्रकार की भूमि के ४० एकड़ और इसके अतिरिक्त परिवार के पांच के अतिरिक्त प्रत्येक सदस्य के लिये आठ एकड़ का समझा जायगा, किन्तु उक्त अतिरिक्त सदस्यों के कारण अनुमत अतिरिक्त क्षेत्र ऐसी भूमि के २४ एकड़ से अधिक न होगा"। तो ६४ एकड़ से ज्यादा किसी हालत में नहीं दिया जायगा। एक तरफ तो हम गांव में सहकारिता का नारा लगाते हैं वहां इस धारा का नतीजा यह होगा कि जहां आठ से अधिक कुटुम्ब हुआ और उन्होंने अलग-अलग किया। इस प्रकार कुटुम्ब की सहकारिता खत्म हो जायगी। तो कुटुम्ब की सहकारिता को तोड़ कर गांव की सहकारिता की भावना मेरी समझ में नहीं आती। एक कुटुम्ब में बूढ़े जवान सभी को उसकी हिम्मत के अनुसार काम दे दिया जाता है। लेकिन जब हम यह कह देते हैं कि आठ के आगे भूमि नहीं देंगे तो कुटुम्ब के टुकड़े हो जायेंगे। इस कुटुम्ब की सहकारिता को नहीं तोड़ना चाहिये। मैं आशा करती हूं कि माननीय मंत्री जी इस पर ध्यान देंगे। ८ एकड़ के स्थान पर छः एकड़ कर देना चाहिये परन्तु कुटुम्ब के सदस्यों के आधार पर २४ एकड़ की सीमा नहीं रखनी चाहिये, इसलिये इस धारा की अंतिम पंक्ति निकाल देनी चाहिए।

इसके अलावा मैं आपका ध्यान खंड १३ की तरफ दिलाना चाहती हूं। जिसमें १८ उपखंड हैं। इसमें लिखा है "अधिकतम सीमा के आरोपण से कुछ भूमि की विमुक्ति" मैं इसकी केवल उपखंड (८) और (९) की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहती हूं। "वह भूमि जो किसी दानोत्तर वक्फ, न्यास या निबंध के पास या अधीन हो, और वह भूमि जो किसी धर्मोत्तर वक्फ, न्यास या निबंध के पास या अधीन पहली मई, १९५९ के पहले से लगातार रही हो;" मुझे यह कहना है कि इसके ऊपर सीलिंग क्यों न रखी जाय? यह छूट देने से पहले गुरुद्वारे, मंदिरों और मस्जिदों की भूमि की जांच की जाय कि कितनी भूमि की आमदनी दान या वेलफेयर में खर्च होती है और कितनी की महन्तों के व्यक्तिगत फालतू खर्चों में होती है। यह छूट उसी जांच के आधार पर देनी चाहिये।

[कुमारी कमलकुमारी गोईंदी]

इसके अलावा मुझे और जनरल बातों की ओर ध्यान दिलाना है। इस विधेयक में मुझे कहीं भी यह मालूम नहीं पड़ा कि अगर किसी आदमी के दो पत्नियां हों तो उनका एक कुटुम्ब माना जायगा या दो। यह तो निश्चय है कि उनमें पहले से ही दो कुटुम्ब की भावना होती है। जब उनके आदमी की आंखें बन्द हो जाती हैं तो उनमें सिवाय लड़ाई के और क्या होगा ? अगर दो कुटुम्ब माने जावेंगे तो उसकी भूमि का बटवारा भी उसी आधार पर हो सकेगा।

इसके बाद, जो भूमि आपको मिले, इस कानून के लागू हो जाने के बाद, उसमें से हम सब को तो दे नहीं पावेंगे मगर जितनों को दें उतनों को एकदम परमानेंट ओनरशिप न दें। देते समय कुछ वर्षों का, २, ३ या ४ का समय निर्धारित कर दें कि अगर वह इतनी उत्पत्ति पर-एकड़ हमको दिखायेंगे तो उसके पास जमीन रहेगी नहीं तो किसी दूसरे को दी जायगी।

पहले जो मैंने खंड २ के बारे में बात कही थी उसमें माननीय मंत्री जी यह कह सकते हैं कि खंड २५ के भाग (२) में हमने यह बन्दोबस्त कर दिया है कि जिससे मेकैनिकल खेती करने वालों का प्रबन्ध हो सके। उसमें लिखा है कि "राज्य सरकार यह कर सकती है कि ऐसी अवधि तक जो सार्वजनिक हित में आवश्यक हो, किसी यंत्रकृत फार्म की अतिरिक्त भूमि का बन्दोबस्त न करे और उसे राजकीय फार्म के रूप में चलाये और वह उक्त प्रयोजन के लिये किसी उपर्युक्त व्यक्ति को प्रबन्धक के रूप में नियुक्त कर सकती है और यदि यंत्रकृत फार्म के धारक व्यक्ति उपयुक्त हों तो उसे अधिमान देगी तथा ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुये जो नियत की जायं, वे शर्तें तय करेगी जिन पर उक्त प्रबन्धक कार्य करेगा।" इसमें यह शंका उत्पन्न होती है कि किन शर्तों पर ये लोग उसमें आवेंगे। सरकारी फार्म वह होगा। अपना और सरकारी फार्म के चलाने में जो उत्साह होता है वह हम सभी जानते हैं। खेती बेटे से भी बढ़कर मेहनत से पाली जाती है। उसमें उसकी कितनी रुचि होगी, यह आप लोग खुद अनुमान लगा लें और इससे पता लग जायगा कि उत्पत्ति में हम वृद्धि करने में कितने सहायक होंगे। कोई भी कदम हमें ऐसा नहीं उठाना चाहिये जिससे कि प्रदेश का उत्पादन और कम हो। इसे ध्यान में रखते हुये इस बिल को देखा जाय। यही मुझे कहना है।

*आचार्य दीपंकर (जिला मेरठ)—आदरणीय उपाध्यक्ष जी, इस पूरे विधेयक को पढ़ने के बाद और जो वक्तव्य इस पर हुए हैं, उन तमाम को सुनने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि सीलिंग का सिद्धान्त जो इस विधेयक में प्रतिपादित किया गया है वह कांग्रेस पार्टी के अन्दरूनी संकट का समाधान कैसे हो सकता है, उसके हल निकालने की दर असल कोशिश की गयी है। मैं इसलिये यह बात कह रहा हूं कि सीलिंग का सिद्धान्त जो पुरानी सामन्तशाही व्यवस्था या अर्थव्यवस्था है, इससे उसकी नींव पर करारी चोट पहुंचती है और सामन्ती एकाधिकार जो भूमि पर लागू है उसको उखाड़ने की ओर यह एक बहुत ही निर्णायक कदम है। इसमें हम किसी एक व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं हैं बल्कि एक व्यवस्था से दूसरी व्यवस्था में समाज को पदार्पण करायें, इसके लिये एक आन्दोलन है। इसलिये जब तक पुरानी सामन्ती अर्थ व्यवस्था का खंडन नहीं होता तब तक नयी व्यवस्था चालू नहीं हो सकती। इसमें सीलिंग की बात को मान्यता देकर मैं समझता हूं कि एक बहुत ही प्रगतिशील कदम उठाने की तरफ सरकार ने यह प्रयास किया है अतः सिद्धान्त रूप में मैं इसका समर्थन करता हूं।

इसी प्रकार से अगर हम लगान के क्षेत्र में देखें तो सामन्ती व्यवस्था में शुद्ध लगान (एब्सोल्यूट रेवेन्यू) का सिद्धान्त था और चप्पे चप्पे भूमि पर निश्चित रूप से लगान लागू कर दिया गया था। उसके स्थान पर जब तक दूसरा सिस्टम लागू नहीं किया जायगा तब तक पुरानी सामन्ती प्रथा को हम हटा नहीं सकते। लेकिन इस विधेयक में न तो सामन्ती

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

विशुद्ध लगान के सिस्टम को ही खत्म करने का प्रयास किया गया है और न दूसरे नये सिस्टम को ही चालू करने का प्रयास किया गया है। यदि जो अलाभकर जोतें हैं अर्थात् जो उत्पादन का आधार है, उनका लगान तय करने का सिद्धान्त मान लिया जाय और उसको लागू कर दिया जाय तो मैं समझता हूं कि बहुत बड़ी संख्या में जो किसान के ऊपर भार है उससे वह मुक्त हो सकता है और इसके लिये किसान में भी प्रेरणा उत्पन्न हो सकती है।

इसी तरह से हमारे प्रदेश में सामन्ती प्रथा के विरुद्ध एक बिल्कुल नये तरीके को लागू करने के कानून इस विधान सभा में बनाये गये और दूसरे प्रदेशों में भी पुरानी अर्थ व्यवस्था के संबंधों को तोड़ कर नये आर्थिक संबंध स्थापित करने की परिपाटी देखने में आयी है। परन्तु यह काम सशंकित और गैर जरूरी तरीके पर किये बगैर जन हित में अच्छे तरीके से हो सकता था जो नहीं किया गया। यही कारण है कि जब सामन्ती अर्थ व्यवस्था के खिलाफ जब यह कानून आया तो उसके विरुद्ध आवाज उठना स्वाभाविक था। इसके साथ ही साथ योरप आदि दूसरे देशों में यह नहीं देखा गया कि सामन्ती व्यवस्था के खिलाफ जो जनतांत्रिक लड़ाइयां हुईं उनमें यह बात नहीं उठायी गयी कि सामन्तवाद को खत्म करने के बाद पूंजीवाद के जो असरात समाज के अन्दर प्रवेश कर रहे हैं, उनके ऊपर भी चोट की जाय। लेकिन आज जब सीलिंग के ऊपर बहस होती है या किसी दूसरे भी कदम पर जो सरकार की तरफ से उठाया जाता है तब आलोचना होती है। यह बात कहना बिलकुल स्वाभाविक है और विरोधी पक्ष के उन लोगों का भी जो आज तक भूतपूर्व जमींदार थे, उनकी तरफ से जब यह बात कही जाती है कि इसी तरह से शहरों के औद्योगिक पूंजीपति और दूसरे जो महाजन हैं उनकी आमदनी के ऊपर भी कुछ सीलिंग होनी चाहिये, यह कहना सर्वथा न्यायोचित और सुसंगत है और मैं समझता हूं कि समय की आवश्यकता के अनुसार है। हम उनकी यह बात सुन कर अनसुनी नहीं कर सकते और न उसे टाल सकते हैं कि यह प्रतिक्रिया के आधार पर उनकी बात हो सकती है।

अभी साथी राजनारायण जी जिस तरह की बात कह रहे थे उनकी बात बिलकुल सही थी कि आज जब कि पिछले सामन्तवादी आर्थिक ढांचे को सरकार तोड़ना नहीं चाहती, कदम-कदम पर समझौता करना चाहती है और वह समझौता करना चाहती है जनता की कीमत पर और पूंजीवादी आर्थिक व्यवस्था को उनके हित में कायम रखना चाहती है तो आम जनता की तरफ से इस आवाज का उठना बिलकुल स्वाभाविक है कि सीलिंग यदि होती है तो सामन्तवादी अर्थ-व्यवस्था सामाजिक हित में समाप्त होनी चाहिये। आपके द्वारा मैं सरकार और सदन से यह बात कहना चाहता था कि जो यह सीलिंग का सिद्धांत लागू किया गया, कुछ लोग जो कांग्रेस सत्ताधारी दल के हैं वे इसकी मुखालफत करते हैं। सिद्धान्त रूप से मुखालफत करते हैं और उस सम्बन्ध में जो कदम उठाये गये हैं उनका भी विरोध करते हैं। लोगों को जो इस बात का अन्देशा है, इस विधेयक को पढ़ने से उसकी पुष्टि होती है कि कुछ लोग जो सत्ताधारी दल के बाहर इसकी मुखालफत करते हैं वे ही ताकतें कांग्रेस के अन्दर रह कर पूरी की पूरी स्कीम को तोड़ फोड़ करती हैं। सिद्धान्त रूप से वे सीलिंग की बात तो स्वीकार करते हैं लेकिन अमली तौर पर वे उस पुरानी अर्थ व्यवस्था में थोड़ी भी तब्दीली नहीं चाहते हैं। वे तो यही सोचते हैं कि पुरानी आर्थिक सीमा ज्यों की त्यों कायम रखनी चाहिये जिससे किसी तरह भी उनके हितों को चोट न पहुंचे। कोई ऐसा कानून पास हो तो वह अमल में नहीं आ सके इसके लिये वे प्रतिक्रियावादी ताकतें कांग्रेस संगठन के अन्दर रह कर सैबोटेज करने की कोशिश करती हैं और वही ताकतें कांग्रेस के बाहर आकर उसकी मुखालफत करती हैं कि इस पर अमल नहीं हो सके।

सिद्धान्त रूप से उनकी यही मंशा होती है कि वे खत्म हो जायं। और यही वजह है कि जब यह बात कही जाती है कि सीलिंग के जरिये देहातों की आर्थिक रीढ़ को आप तोड़ना चाहते हैं ताकि आइन्दा कांग्रेस की मुखालफत करने के लिये कोई ताकत न रहे, यह आर्गूमेंट तब सही माना जा सकता है जब यह जमीन उनसे लेकर किसी दूसरे क्षेत्र में स्थानान्तर

[आचार्य दीपंकर]

होती हो। यह जमीन भी आखिरकार देहातियों के पास ही रहेगी। प्रश्न यह है कि जो लोग देहातों की नुमाइन्दगी करते हैं वे देहातों की नुमाइन्दगी के नाम पर अपने आर्थिक हितों की रक्षा की परवाह करते हैं। वे चाहते हैं कि देहातियों के नाम पर उनके यहां वही पुरानी आर्थिक व्यवस्था कायम रहे जो सैकड़ों और हजारों वर्ष से निरंकुश तरीके से उनके यहां कायम हैं। प्रश्न यह है कि सिद्धान्त रूप से चाहे जो कुछ हो लेकिन क्या वे सचमुच चाहते हैं कि यह विधेयक पास हो जिससे जो पुरानी आर्थिक व्यवस्था है वह समाप्त होकर नयी अर्थिक व्यवस्था कायम हो सकें? यदि आप मान लें कि २५ एकड़ से फालतू जिनके पास जमीन है, सन् १९५२ के आंकड़े के अनुसार, ऐसी जमीनों की तादाद हमारे प्रदेश में केवल ५३ लाख एकड़ थी और ऐसे व्यक्तियों की संख्या जिनके पास यह ५३ लाख एकड़ जमीन थी वह १ लाख १४ हजार थी। पिछले ७ साल से उनका अनवरत प्रचार सीलिंग के विधेयक का चालू है। एक राजनीतिक वातावरण के क्षितिज पर यह आवाज लगातार लगी और जो बटवारे का सिस्टम चलता रहा उस से पिछले ७ सालों में ५३ लाख एकड़ जमीन में से १५ लाख एकड़ जमीन का पुनर्विभाजन वह अपने आप कर चुके होंगे। इस को मानकर मैं चलता हूं। अगर ४० एकड़ से ६४ एकड़ के बीच का औसत ५० एकड़ मान लिया जाय तो पिछले कुछ सालों में अगर हम देखें तो १८ लाख एकड़ भूमि ऐसी है कि जो लाजमी तौर पर इस बीच में निकल जाती है यानी अगर हमने २५ एकड़ से ऊपर सीलिंग का सिद्धान्त ४० एकड़ से ६४ एकड़ का रखा है तो उस के बीच के औसत ५० एकड़ के हिसाब से इस सूबे में जमीन जिनके पास है वह भी जमीन करीब १८ लाख एकड़ के निकल जाती है। पिछले सात साल में और नागपुर प्रस्ताव के बाद जब से कि खूब ढोल पीटा गया है और कहा गया है कि बाग की जमीन छोड़ दी जायगी और स्वयं मंत्रियों ने अपने प्रचार में यह बातें कही हैं खुद कि अगर लोग अपनी जमीनों पर बाग नहीं लगायेंगे, विभाजन नहीं करायेंगे तो हम क्या कर सकते हैं उन अंधों के लिये जिन को दिन में भी नहीं दीखता, उनकी हम क्या मदद कर सकते हैं। मेरा खयाल है कि इस दौरान में कम से कम ४ लाख एकड़ जमीन बागों में आयी है।

अब अपवादों को आप देखें कि ६० हजार एकड़ भूमि तो केवल फार्मों की है जिनका रकबा ५० से १०० एकड़ तक का है। उद्योग और उत्पादन में लगी जमीन का क्षेत्र है करीब ५० हजार एकड़ या उससे कुछ अधिक है। जैसे कि कल एक माननीय सदस्य कह रहे थे कि भूतपूर्व राजा नवाबों की भूमि को इस कानून से मुक्त रखा गया है वह भी निकल जाती है। इस के अलावा ५ रुपया प्रति एकड़ से कम देय लगान की भूमि के लिये १ एकड़ के बजाय डेढ़ एकड़ माना जायगा, इसके अर्थ हुये कि ६४ के बजाय ९६ एकड़ मानी जायगी। आगे है कि ३ रुपए से कम देय लगान की भूमि एक एकड़ की जगह २ एकड़ मानी जायगी, इस तरह से ४० की जगह ८० एकड़ और ६४ एकड़ की जगह १२८ एकड़ मानी जायगी। इसलिये यह कहना कि सीलिंग ४० एकड़ से ६४ एकड़ तक रखी गई है यह सरासर बेईमानी का एलान है और यह झूठ बात है।

श्री उपाध्यक्ष---आप बेईमानी और झूठ दोनों शब्द वापस लें यह पार्लियामेंटरी नहीं हैं।

आचार्य दीपंकर---तो ठीक है बेईमानी भी खत्म और झूठ भी खत्म।

श्री उपाध्यक्ष---जी नहीं, आप उन्हें वापस लीजिये।

आचार्य दीपंकर---मैं उनको वापस लेता हूं और कहता हूं कि यह बात बिलकुल सत्य नहीं है और ईमानदारी से भरी हुई नहीं है। मैं यह कह रहा था कि सरकार ने सीलिंग वैसे तो ४० से ६४ एकड़ तक लगाई है लेकिन जो डेढ़ गुनी जमीन का और दुगुनी जमीन का हिसाब कम लगान होने पर रखा है उसके अनुसार वह सीमा ८० एकड़ और १२८ एकड़ तक पहुंच गयी है। प्रदेश के अधिकांश भागों में ३ रुपया और ५ रुपया से कम ही प्रति एकड़ सर्किल रेट है, सिवा कुछ यू० पी० के पश्चिमी जिलों के कि जहां पर सर्किल रेट १०-११ रुपया और कहीं-

कहीं १२-१३ रुपया प्रति एकड़ तक है। इसी प्रकार शहरों के क्षेत्रों को भी विमुक्त किया गया है, कुमायूं को तो पहले से ही सरकार का वरदान मिला हुआ है, बड़ा भारी कैम्पेन हुआ है और व्यक्तिगत स्वार्थों या संकोच के कारण हमारे माननीय सदस्य भी कुछ कह नहीं पाते हैं, बल्कि यहां तक खयाल है कि नैनीताल का तराई भावर का इलाका भी इसमें से विमुक्त होना चाहिये। तो सवाल यह है कि देहरादून क्षेत्र तो विमुक्त किया ही गया है और हस्तान्तरण की सीमा आपकी रखी गई है १५ अगस्त, १९५९ के बाद। इस प्रकार से नागपुर के प्रस्ताव को जिसकी कि बात करते हैं उसको देखा जाय और उसके बाद इस विधेयक को देखा जाय और जिस प्रकार से विमुक्तियां की गई हैं उनको भी देखा जाय..

श्री उपाध्यक्ष--आपके पांच मिनट और हैं।

आचार्य दीपंकर--सबसे बड़ी कमाल की बात है कि बाग की जो भूमि है वह मई, १९५९ तक विमुक्त हो गई, लेकिन औद्योगिक प्रयोगों में आने वाली १९५० तक की विमुक्त हो गई। इसमें कोई ईमानदारी की बात हो ऐसी बात नहीं है। प्रश्न यह है कि १९५० के बाद हमारे प्रदेश में गन्ना मिल नहीं लगे। १९५० के पहले-पहले ही चुके हैं। उन फार्मों के लिए भी जिस तरह का बहुत कम्प्लीकेटेड नियम लागू किया गया है वह सरकार के कारिन्दों और उनके मैनेजर में आपस में सुलझ जायेगा। सरकार ने इतना सब कुछ किया। इसके बाद भी कोई भूतपूर्व जमींदार सोया हुआ पड़ा हो और जमीन पर बाग भी न लगा पाया हो, सन्तानों में या रिश्तेदारों में तक्सीम भी न कर पाया हो, बेच भी न पाया हो और बिलकुल सारी दुनियां से अलग होकर अपने कमरे में पड़ा हो तब भी यह सरकार उसके लिये भी जरूर कुछ न कुछ करना चाहती है। कहती है कि इसके बावजूद भी जो जमीन मिलेगी उस जमीन के बारे में भी अगर कोई भूतपूर्व जमींदार--जमींदार नहीं कहूंगा बल्कि अधिक भूमि रखने वाला व्यक्ति--सरकार के पास आवे या उसके कारिंदे के पास आवे और कहे कि मैं आइंदा बाग लगा लूंगा तो उसको दो एकड़ से दस एकड़ तक छूट फिर भी दी जा सकती है। फिर भी अगर वह बाग न लगावे तो अपनी मजबूरी दिखलावे और अगर मजबूरी भी न दिखला पावे तो सरकार उस जमीन को ले लेगी। इस तरीके से जो जमीन ये सब कुछ रियायत करने के बावजूद भी अगर किसी तरह से सरकार के दरवाजे पर आकर गिर पड़े और कहे कि मुझमें न बाग लगा है, न मैं तक्सीम हुई हूं, और न मेरे मालिक ने वायदा ही किया है कि बाग लगाऊंगा, उस हालत में वह जमीन मिलेगी।

सरकार ने जो मुआवजे का सिद्धान्त लागू किया है वह ऐसा सिद्धान्त है कि जिससे आज भी हमारे प्रदेश में उस रेट पर जमीन खरीदी जा सकती है। उस रेट पर सरकार ने बहुत जगहों पर जमीन खरीदी। एक माननीय सदस्य ने कल बतलाया कि ८०० रुपया प्रति एकड़ के हिसाब से उन्होंने जमीन खरीदी है। मैं केवल यह बात कहना चाहता हूं कि सरकार जमीन खरीदे या कोई व्यक्ति खरीदे, जमीन खरीदने का रेट भी आज वही है और उससे कम यह प्रतिकर का रेट नहीं रखा गया है। इस प्रकार से मैं देखता हूं कि आज कांग्रेस के अन्दर और कांग्रेस के बाहर, सत्ताधारी दल के अन्दर और बाहर इस सिद्धान्त का विरोध करने के लिये और इस विधेयक में दी गई बातों का विरोध करने के लिये एक मत है।

अगर २५ एकड़ तक भी सीलिंग का सिद्धान्त लागू होता है तो कुछ न कुछ जमीन निकल सकती है। परन्तु अगर २५ एकड़ से ऊपर की सीलिंग का सिद्धान्त लागू होता है, यह विधेयक तो न ४० पर रुकता है न ६४ पर बल्कि १२५ और १५० तक जाता है, तो किसी भी जमीन के निकलने की सम्भावना नहीं है। जहां तक ९ करोड़ रुपया प्रतिकर देने की बात है, वह रुपया किसको देंगे और किस प्रकार देंगे यह नहीं कहा जा सकता। सरकार की तरफ से मैं चाहता हूं यह बात कही जानी चाहिये कि इस विधेयक के लागू होने के बाद प्रदेश में कितनी जमीन मिलने की आशा है। इन शब्दों के साथ मैं कहना चाहता

[आचार्य दीपंकर]

हूं कि दरअस्ल जिस सीलिंग का विरोध करने के लिये कांग्रेस के अन्दर और बाहर की शक्तियां एक मत हैं इसी प्रकार से इस सिद्धांत को अखंड रूप से चालू रखने के लिये कांग्रेस के अन्दर और बाहर की प्रगतिशील शक्तियों को एक मत होना चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक के सिद्धांतों का समर्थन करता हूं और जो नीति इसमें प्रतिपादित की गई है उसका विरोध करता हूं।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़) —मैं एक व्यवस्था चाहता हूं, मान्यवर। श्रीमन्, इतना महत्वपूर्ण बिल है इसके ऊपर इतने दिनों से वादविवाद हो रहा है और आप देख रहे हैं कि पिछले तीन दिनों से कैबिनेट का कोई मंत्री नहीं बैठता है, केवल एक उप-मंत्री मौजूद हैं और आज सभी विरोधी दल के लोग बोल रहे हैं सबके विचार आ रहे हैं। बहुत पहले भी आपने व्यवस्था दी है कि जब कोई अनुदान या महत्वपूर्ण बिल होता है तो कम से कम एक कैबिनट मंत्री जरूर बैठा रहना चाहिये। तो क्या आप फिर अपनी व्यवस्था देंगे एक कैबिनट रैंक का मंत्री, अगर वह स्वयं नहीं बैठ सकता है तो दूसरे को बैठाये, सदन में उपस्थित रहना चाहिये ताकि सदन की राय को कैबिनेट तक पहुंचाया जा सके।

श्री उपाध्यक्ष —इस सम्बन्ध में व्यवस्था हो चुकी है और डिजायरेबिलिटी के लिहाज से तो आपका कहना ठीक है, लेकिन कानूनी हैसियत से उस विभाग के उप-मंत्री मौजूद हैं तो ऐसी स्थिति में यह तो नहीं कहा जा सकता कि अनियमित कार्यवाही हो रही है, लेकिन मैं इस राय का हूं कि डिजायरेबिलिटी के लिहाज से ऐसी व्यवस्था होनी चाहिये।

श्री माताप्रसाद (जिला जौनपुर)—उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस बिल पर बोलने का अवसर दिया, जो बिल यहां आया है जैसा कि अभी पूर्व वक्ता ने बताया कि इसमें ४० एकड़ ही सीलिंग नहीं रखी गई है बल्कि जो भूमि अच्छी किस्म की होगी उसकी सीमा ४० एकड़ है, द्वितीय श्रेणी की भूमि की सीमा ६० एकड़ है और तृतीय श्रेणी की भूमि की सीमा ८० एकड़ है, ५ व्यक्तियों के परिवार पर। तो कहने को तो ४० एकड़ है लेकिन वास्तव में ५ व्यक्तियों के परिवार पर यह ८० एकड़ सीमा बहुत ज्यादा है। मैं आपकी सेवा में आंकड़े उपस्थित करना चाहता हूं। २२ राज्यों में देश की भूमि की सीलिंग का कुछ अनुमान लगाया गया था जो इस प्रकार है। आसाम में ५० एकड़, बम्बई में ३ आर्थिक जोत अर्थात् १२ से ४८ एकड़ तक। उत्तर प्रदेश में ३० एकड़, पश्चिमी बंगाल में २५ एकड़, हैदराबाद में १२ से १८० एकड़, जम्मू-कश्मीर में पौने २३ एकड़, मध्य भारत में ५० एकड़, पेप्सू में ३० प्रमाणित एकड़, और दिल्ली में ३० प्रमाणित एकड़। तो इस प्रकार से जो सीमा है इससे भी ज्यादा यह सीमा रखी गई है और मेरे खयाल से अधिक से अधिक १२ १/२ एकड़ हो, लेकिन इस तरह से ८० एकड़ भूमि की सीमा रखी जा रही है यह वास्तव में हमारे देश और प्रदेश के लिये उचित नहीं है।

इस सम्बन्ध में मैं लखनऊ विश्वविद्यालय के विशेषज्ञों की रिपोर्ट का कुछ अंश पढ़ना चाहता हूं।

"अध्ययन दल ने इस समस्या पर भी विचार किया है कि जोतों की सीमा निर्धारित करन में किन-किन चीजों को देखना चाहिये, उसकी कसौटी क्या होनी चाहिये। जोतों की सीमा निर्धारित करने में संशोधनों की अधिकतम सीमा, सभी को काम जुटाने, आर्थिक प्रगति की रफ्तार अधिक से अधिक तेज करने और गांवों की जनता को सामाजिक न्याय जुटाने के साथ-साथ उसमें कम से कम त्याग कराने तथा जोतों के संगठन और उनकी व्यवहारिक उपयोगिता का ध्यान रखना चाहिये। अध्ययन दल ने काफी जोर देकर कहा है कि जोतों की सीमा बहुत अधिक निर्धारित कर देने से न तो भूमि का समन्यायपूर्ण बटवारा हो सकेगा और न अलग-अलग परिवारों की व्यक्तिगत कृषि के मानदण्ड को ही पूरा किया जा सकेगा। जोतों

की सीमा निर्धारित करने में बहुत अधिक सावधानी रखनी चाहिये, क्योंकि वह सीमा निर्धारित होते ही उसके चारों ओर निहित स्वार्थ पैदा होने लगेंगे और वे निहित स्वार्थ फिर उस निर्धारित सीमा में कोई भी परिवर्तन न होने देने के लिये कमर कस लेंगे। अध्ययन दल ने इस सिलसिले में यूगोस्लेविया का दृष्टांत दिया है, वहां पहले कृषि योग्य भूमि की सीमा ८६ एकड़ निर्धारित की गयी थी, लेकिन फिर बाद में १९५३ में उसे २४ एकड़ तक सीमित कर देना पड़ा था। प्रत्येक राज्य में वहां की परिस्थिति के अनुसार ही जोतों की सीमा निर्धारित की जायगी। अलग-अलग राज्यों में वह अलग-अलग तो होगी, लेकिन एक मोटे तौर पर हमारे यहां १५ एकड़ तक सीमा रखी जा सकती है।" लिहाजा भूमि की जो सीमा यहां रखी जा रही है वह अधिक है। इस सम्बन्ध में लखनऊ यूनिवर्सिटी के अर्थ विशेषज्ञों की एक समिति नियुक्त की गयी, उसने एक रिपोर्ट तैयार की थी। उसका अंश मैं पढ़ रहा हूं। नवजीवन अखबार में १७ दिसम्बर, १९५८ को आराजियों की सीमा निर्धारण पर एक लेख लिखा गया है जिसका थोड़ा सा अंश मैं पढ़ देना चाहता हू।

श्री उपाध्यक्ष---समय कम है लिहाजा आप सारांश बतला दीजिये।

श्री माताप्रसाद---इसमें भी यह लिखा है कि जो देश बहुत गरीब हो उसमें बहुत अधिक भूमि की अधिकतम जोत निर्धारित करने से अधिक फायदा नहीं हो सकता। वहां पर जोत की सीमा छोटी होनी चाहिये। भारत के लिये भी उन्होंने इसी तरह से राय दी है।

मान्यवर, इलाहाबाद से "भारत" निकलता है जहां के मंत्री जी रहने वाले हैं। उसने ५ मई, १९५९ को यह टिप्पणी लिखी है:---

"राज्य सरकार ने जोतों की अधिक सीमा ४० एकड़ रखने का निर्णय किया है--- यदि परिवार में व्यक्तियों की संख्या ५ से अधिक न हो। परिवार में व्यक्तियों की संख्या ८ तक होने से जोतों की अधिकतम सीमा ८० एकड़ तक हो सकेगी। पांच व्यक्तियों के परिवार के लिये ४० एकड़ और ८ व्यक्तियों के परिवार के लिये ८० एकड़ जमीन कमाना क्या संभव होगा जब तक वह मजदूरों को उसमें न लगायें? यदि यह सही हो कि ५ व्यक्तियों का परिवार ४० एकड़ और ८ व्यक्तियों का परिवार ८० एकड़ जमीन अपने शरीरश्रम और अन्य सामान्य साधनों से नहीं कमा सकता तो जोत की अधिकतम सीमा इतनी अधिक रखने का परिणाम इसके सिवाय क्या हो सकता है कि भूमिहीन खेत मजदूरों में वितरण करने के लिये जमीन कम मिले और अधिक सीमा निर्धारित करने का जो एक बड़ा उद्देश्य है, वह व्यर्थ हो जाय।"

इसी तरह से "आज" अखबार बनारस से निकलता है जो पूर्वी जिलों का बहुत प्रसिद्ध पत्र है। उसका भी थोड़ा सा अंश पढ़ देना चाहता हूं: "यांत्रिक कृषि के लिये ४० एकड़ की सीमा सासान्य रूप से ठीक कही जा सकती है। वैसे इस पद्धति से और अधिक भूमि पर भी खेती की जा सकती है। किन्तु बैलों की सहायता से पांच सदस्यों वाले परिवार के लिये सात, आठ एकड़ से अधिक भूमि में खेती करना आसान नहीं। इससे अधिक भूमि होने पर उसका पूरा उपयोग तब तक समुचित रूप से नहीं हो सकेगा जब तक अतिरिक्त आदमी न रखे जायं। ऐसी स्थिति में जोत की अधिकतम सीमा १० अथवा १५ एकड़ से अधिक न होनी चाहिये थी।"

मेरे कहने की यह मंशा है कि जो सीमा रखी जा रही है ४० एकड़ की उससे वास्तव में कोई भी लाभ होने वाला नहीं है। मेरे विचार से साढ़े १२ एकड़ से अधिक किसी भी रूप में भूमि की सीमा नहीं होना चाहिये। सिद्धान्त यह है कि जो भूमि जोते उसे जमीन मिलना चाहिये, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है।

अभी ३--४ रोज से जो बहस हो रही है उसमें माननीय सदस्यों ने कहा कि योजना आयोग ने यह रखा है कि ३,६०० रुपये की आमदनी होना चाहिये। ३,६०० न होकर ४,८०० रखी जाय या कि ४० एकड़, ५० एकड़ सीलिंग भूमि की रखी जाय तो उस पर

[श्री माताप्रसाद]

शर्त यह लगाई जाय कि जिनके पास ज्यादा भूमि हो वे नौकरी नहीं कर सकते या दूसरा व्यापार व वकालत, नहीं कर सकते और दूसरे काम करते हैं तो उनको इतनी जमीन न दी जाय क्योंकि एक ओर उनके पास जमीन भी रहेगी और दूसरी तरफ दो-दो, तीन-तीन काम भी करेंगे। जब आज हमारे देश में इतनी ज्यादा बेकारी है तो यह कहां तक उचित है कि कुछ लोगों के पास इतनी जमीन हो कि उसका वे अच्छी तरह से इन्तजाम भी न कर सकें। इसलिये मैं चाहता हूं कि जिन लोगों के पास ज्यादा भूमि हो उन्हें कोई दूसरा काम न करने दिया जाय। जो खेत को जोते उसी के पास भूमि रहनी चाहिये, इसी आधार पर पहले सीरदारों को अधिकार दिये गये थे, लेकिन तरह-तरह के मुकदमें चला कर हर तरह से परेशान कर के भूमिहीन लोगों से ज्यादातर जमीनें छीन ली गई हैं। आज परिस्थिति यह है कि गांवों में न तो लोग अधिया पर खेत देते हैं न शिकमी पर ही देते हैं क्योंकि उनको यह डर रहता है कि कहीं खेत उनके हाथ से न निकल जाय। नतीजा यह है कि जिनके पास बहुत ज्यादा भूमि है वे न तो उसे किसी दूसरे को देते हैं और न खुद ही जोतते हैं, कुछ हिस्से में खेती करते हैं और बाकी जमीन को फंसाये रहते हैं। इसलिये हमारे राष्ट्र का जो "अधिक अन्न उपजाओ" नारा है उसकी सफलता के लिये और जो करोड़ों रुपया देश का प्रतिवर्ष अन्न खरीदने में जाता है उसको बचाने के लिये यह आवश्यक है कि भूमि की सीमा कम होनी चाहिये।

इसमें संशोधन करने वाले माननीय वीरेन्द्र शाह जी और दूसरे लोगों ने कहा था कि अगर हम भूमि की सीलिंग कर देंगे तो गावों में त्राहि-त्राहि मच जायगी और किसान बहुत परेशानी में पड़ जायगा। आपकी आज्ञा से मैं थोड़े से आंकड़े पढ़ना चाहता हूं। खेतिहर मजदूर जांच समिति के द्वारा एकत्रित आंकड़ों के अनुसार हमारे देश में ५ प्रतिशत से कम लोग कुल जोतों की एक-तिहाई सीमा के मालिक हैं। दूसरी तरफ दो-तिहाई लोगों के कब्जे में कुल जोतों का १५ प्रतिशत से कम रकबा है। इसी तरह से नेशनल सैम्पिल सर्वे के अनुसार सन् १९५६ में उत्तर प्रदेश में लगभग ९२ लाख परिवार थे और उनमें से दो-तिहाई परिवार राज्य में छोटी-छोटी खेती करते थे तथा उनके पास राज्य की कुल भूमि का लगभग एक-तिहाई भाग है। इस तरह से बहुत थोड़े लोगों पर सीलिंग से प्रभाव पड़ेगा। तो यह कहना कि इससे गांवों में परेशानी पैदा हो जायगी यह बिल्कुल गलत है। मान्यवर, इसी सिद्धान्त पर जमींदारी तोड़ी गयी थी और जिस समय जमींदारी विनाश विधेयक इस सदन के सामने था तो इसी प्रकार के तर्क दिये जाते थे।

"आजादी का दसवां वर्ष" नामक पुस्तक है जिसमें श्रीमन्नारायण अग्रवाल जी ने जो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी थे सीलिंग के सम्बन्ध में लिखा है:—

"जिस देश में भूमि की भूख हो और जहां आर्थिक शक्तियों में अत्यन्त असमानता हो, जहां के किसानों की बड़ी संख्या भूख और दिवालियापन की सीमान्त स्थिति में रहती हो वहां कुछ हाथों में भूमि के और अधिक संग्रह को रोकना अत्यन्त आवश्यक है। भूमिहीन श्रमिकों की प्रति दिन बढ़ती हुई सेनायें देश की नियमित प्रगति और स्थायित्व के लिये शायद सबसे बड़ा खतरा हैं। इस खतरे को रोकने के लिये एक सशक्त हथियार एक व्यक्ति के लिये भूमि की अधिकतम सीमा निर्धारण करने का है।"

जब हमारे बड़े-बड़े विचारक और विद्वान इस मत के हैं तो मैं आपके द्वारा मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि जो वह ४० एकड़ से लेकर ८० एकड़ तक की सीमा रखने जा रहे हैं उसमें कमी करें जिससे खेती करने वाले किसानों के पास जमीन जाय। इस विधेयक के पास होने से न तो खेतिहर मजदूरों का ही फायदा होगा और आज बड़े-बड़े जमींदार भी शोर मचाये हुये हैं और खेतिहर मजदूरों को भी जमीन नहीं मिल सकेगी। इसलिये इस विधेयक से दोनों वर्ग असंतुष्ट रहेंगे। इसलिये मंत्री जी ऐसी व्यवस्था

करें जैसे कि पहले साढ़े बारह एकड़ की थी और इस तरह से रखें जिससे जमीन निकल सके। इन शब्दों के साथ मैं अपने विचारों को रखता हूं।

*श्री अवधेशप्रतापसिंह (जिला फैजाबाद)---मान्यवर, मैं माननीय वीरेन्द्रशाह जी के संशोधन का समर्थन करने के लिये यहां पर खड़ा हुआ हूं। मैं आपकी आज्ञा से माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि जब यह विधेयक हमारे सामने प्रस्तुत किया गया है तो यह परम आवश्यक था कि हमें यह मालूम हो कि जमीन पर जो ४० एकड़ से लेकर ६४ एकड़ तक सीलिंग लगाई जा रही है तो उससे कितनी जमीन निकलेगी और कितने खेतिहर मजदूर लाभ उठा सकेंगे ? एक सरकारी विज्ञप्ति में समाचार-पत्रों में दिया था कि १५ लाख एकड़ अधिकतम क्षेत्र प्राप्त हो सकेगा और ३५ लाख ऐसे खेतिहर मजदूर हैं जिनको इससे लाभ उठाने का अवसर प्राप्त हो सकेगा। इस पर पांच दिन से वादविवाद चल रहा है। पता नहीं राजनारायण जी न जाने कहाँ से आंकड़े ढूंढ़ लाये या वह सूबे का दौरा करने के बाद इस निश्चय पर पहुंचे कि १८ लाख हैं या उनकी पार्टी रूम में ऐसे आंकड़ों का निर्माण हो गया या उन्होंने किसी स्वप्न के आधार पर ऐसा कह दिया। इतना मैं जरूर कह सकता हूं कि माननीय चरण सिंह जी जो भूतपूर्व माल मंत्री थे उनके कथनानुसार आज सिर्फ इस प्रदेश में १८ हजार ऐसी जोतें हैं जो ४० एकड़ से अधिक हैं। इनमें से ११ हजार में बहुत मामूली सरप्लस एरिया मिल सकेगा। हां, सात हजार के बारे में हो सकता है कि उसमें कुछ जमीन मिले।

श्रीमन्, मैं सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि जब लार्ज होल्डिंग्स का विधेयक प्रस्तुत किया गया था तो उसके एम्स ऐंड आब्जेक्ट्स में स्पष्ट किया गया था कि यह कानून इसलिये बन रहा है कि जिनके पास बड़ी जोतें हैं यानी ३० एकड़ से बड़ी वह कर के भार से इतना दब जायं कि वह उनको बेंच दें और सरकार उस हद तक सफलीभूत भी रही। लेकिन नागपुर के रिजोल्यूशन के आधार पर जो यह विधेयक लाया गया है, मेरे पुराने परम मित्र जो हैं, वह आज आपके साथ हैं, कल मेरे साथ थे, आचार्य दीपंकर जी, उनको सामंतशाही नजर आ रही है। इसलिए पुराने जमींदारों का भूत इसमें नजर आ रहा है। यूरोप में सामन्तशाही के विनाश के लिए जो प्रजातांत्रिक क्रान्ति हुई थी उसका स्वप्न वह देख रहे हैं। वह कौन हैं सामन्तशाह!? तीस-चालीस एकड़ जमीन रखने वाला मैं सामन्तशाह हूं ? यह सामन्तशाही की परिभाषा है। अगर ऐसा है तो मैं समझता हूं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कोई ऐसा न बचेगा जो अपने को सामन्तशाह न कह सके। जिले-जिले घूम कर मन्त्री जी ने यह कहा कि जो अंधा, बहरा और मूर्ख न हो वह अपनी जायदाद को बेच सकता है। अपनी जायदाद दे सकता है आंख रखने वाले उन जायदाद वालों में मैं भी हूं। अगर वह चाहें तो मेरे जिले में जाकर इसका मुआयना करके आयें कि आज कितना सरप्लस एरिया मेरा है। अगर वह मुझे अंधा समझते हों तो मैं भगवान् से यही कह सकता हूं कि मेरे ये दोनों नेत्र निर्दोष हैं।

न्यांय मंत्री (श्री हुकुमसिंह बिसेन)---हमने कभी नहीं कहा।

श्री अवधेशप्रतापसिंह---यह हमारे पुराने दोस्त समझते हैं। पुराने दोस्तों से ही चोट पहुंचती है,---आपको भी, मुझको भी।

श्री उपाध्यक्ष---आप चारों तरफ से घिरे हुए मालूम होते हैं।

श्री अवधेशप्रतापसिंह---हुजूर, समय भी नहीं बचा है। मैं माननीय राजनारायण के उस तर्क का क्या जवाब दूं। उनकी पार्टी का जो घोषणा-पत्र है केवल वही ठीक है। कांग्रेस और पी० एस० पी० के जितने घोषणा-पत्र हैं वह सब नाकाम हैं। वह क्या कहना चाहते हैं, डाक्टर लोहिया क्या कहना चाहते हैं वही सुनाते रहे। वह मैंने सुन लिया। अगर वह

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री अवधेशप्रतापसिंह]

यह तर्क लगाते हैं कि आज ४० एकड़ जमीन दे रहे हैं, लिहाजा रिहैबिलिटेशन देने की जरूरत नहीं, जमींदारी अबालिशन में इसलिये दी गई थी कि उनके पास से जमींदारी छीनी जा रही थी लिहाजा वह महान् कृपा कर रहे थे तो मैं क्या कहूं । अगर उन्होंने जमींदारों के पास बैल छोड़ दिये, उनके बाल-बच्चे और घर बच गया, सीर और खुदकाश्त बच रही, तो उनको रिहैबिलिटेशन ग्रांट भी देने की जरूरत नहीं थी, बावजूद इसके कि पी० एस० पी० और सोशलिस्ट पार्टी इससे सहमत थी । मुसीबत तो यह है कि मैं कहूं किससे । हो सकता है कि तानाशाह होने के कारण मेरी आवाज भी उन तक न पहुंचेगी । अभी एक मित्र अखबार पढ़ रहे थे--'नव भारत', 'नवजीवन' और न मालूम कौन-कौन । मैंने उनको इसलिये नहीं टोका कि आपको आपत्ति होती । एक यह नारा लगाया जाता है कि साढ़े बारह एकड़ की सीलिंग होनी चाहिये ।

यह भी कहा गया कि वह अपने खेत दूसरों को हस्तान्तरण कर देते हैं, अपने प्राणियों को दे देते हैं । मैं यह निवेदन करता हूं कि भारतीय संविधान के रहते हुए किसको अधिकार है कि वह रोक सके कि हम अपनी जायदाद नहीं बेच सकते । ट्रांसफर आफ प्रापर्टी ऐक्ट के रहते हुए कौन रोक सकता है ? मैं छिप के और आड़ के साथ नहीं कहना चाहता हूं । या तो यह कांस्टीट्यूशन हटाया जाय, कम्युनिस्टिक आडियालाजी हो कि कम्पेन्सेशन नहीं देंगे और अगर कांस्टीट्यूशन रहता है तो सीधे-सीधे हमको यह आजादी रहेगी कि हम अपनी जायदाद बेंच सकें और अगर हमारी जायदाद सरकार लेती है तो हम मुआवजे के हकदार हैं । इसमें कोई चोरी नहीं है । यह कहने में कि हम जब पुराने जमींदार हैं लोगों को लज्जा आती है लेकिन मुझको इसका गौरव है, मैं इससें कोई लज्जा की बात नहीं समझता क्योंकि हमने कोई बुरा काम नहीं किया है । हमारी जमींदारी गई, कोई शिकायत नहीं, आज भी जाय कोई शिकायत नहीं, लेकिन शिकायत इस बात की है कि जिन तक यह पहुंचनी चाहिए उन तक नहीं पहुंचती है ।

आज कानपुर में पद्मपत सिंहानियां पनप सकते हैं, टाटा और बिरला पनप सकते हैं । अब यह मुझे नहीं मालूम कि वह मेरे दोस्त हैं या इधर और उधर बैठने वाली पार्टियों के दोस्त हैं जो कि एलेक्शन के वक्त सब उसी जगह नजर आते हैं, मुझे उनके साथ कोई पक्षपात नहीं करना है, मुझे तो यह कहना है कि अगर रूरल आमदनी पर सीलिंग आप करते हैं तो शहर में भी होनी चाहिए वही चीज । महज प्रधान मंत्री नेहरू के यह कह देने से कि यह इनकम पर सीलिंग नहीं है मैं इसे मानने के लिए तैयार नहीं हूं । उनके प्रति हमारी श्रद्धा है । लेकिन खेत के बारे में उनका क्या ज्ञान हो सकता है ? इस पर मुझे संदेह है । अगर यह इनकम पर नहीं सीलिंग है, तो क्या पन्ना, हीरा, जवाहर, मोती उस खेत से पैदा होंगें । अगर इनकम पर यह सीलिंग नहीं की जा रही है तो और किस चीज पर की जा रही है ? घुमा के नाक यों न पकड़ के यों पकड़ना है ।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिये से सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं कि ८५ प्रतिशत लोग जो देहात में रहते हैं, यह सरकार उनको लड़ा-लड़ा कर फायदा उठाना चाहती है । मेरे बहुत से भाइयों का यह कहना था कि हर जिसका हो उसको साढ़े बारह एकड़ कीजिये, जो कि हर जोतता हो । ठाकुर और ब्राह्मण तो हर जोतते नहीं हैं । लिल्लाह, वह हमें बुलायें, हम उनका हर जोतने के लिये तैयार हैं । मैं यह तस्लीम करता हूं कि अगर मैं हर नहीं जोत सकता तो अपनी जमीन वहां नहीं रख सकता । अगर मैं देहात में नहीं रहता तो मुझे जमीन नहीं रखनी चाहिए । लेकिन साथ-साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि यह रूरल इकानामी को खराब करना नहीं है तो और क्या है ? आज इसी प्लानिंग कमीशन की रिपोर्ट है कि बड़े-बड़े फार्म्स को छोड़ देना चाहिए । मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं । मेरे दोस्त जो अभी भाषण दे चुके माननीय राजनारायण जी और माननीय दीपंकर जी, किसी ने नहीं बताया कि उसका डिमिनिशिंग

रिर्टन जो है, जबकि उससे फायदा न हो करके वह घटता जाता हो तो वह कैसे ज्यादा हो जायगा ।

कुछ लोगों को शिकायत थी कि जो शुगर केन फार्म्स के मालिक हैं उनके फार्म्स भी इसमें नहीं आ रहे हैं । लेकिन ऐसा नहीं है । उनके फार्म्स भी आ रहे हैं और उन पर भी सीलिंग लगेगी और रहा यह कि कोआपरेटिव फार्मिंग, सहकारी खेती--तो श्रीमन्, कुछ फैशन इन वोग होता है कभी-कभी चाहे वह योरुप हो चाहे एशिया हो, कुछ एक शब्दावली हुआ करती है जिसमें कि एक सुन्दरता रहती है, मनोरंजक भी होता है, हर प्रकार से वह संतोषप्रद होता है, अगर सहकारी खेती के वह माने हों तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है । लखनऊ यूनीवर्सिटी ने अपने यहां सोशल एक्सटेंशन प्रोजेक्ट इंडियन नेशनल कमीशन का एक पार्ट होकर जब एक मामूली-सा सर्वे कराया तो उनको मालूम हुआ कि ५८ लगायत ६५ फीसदी लोग सहकारी खेती के खिलाफ हैं । और यही नहीं बल्कि आधे से ज्यादा खेतिहर मजदूर, जिनकी नुमायन्दगी हर तरफ की जाती है, वे इनको नुमायन्दा मानते हों भगवान् जाने, वे भी इसके खिलाफ हैं । मैं जानना चाहता हूं प्रधान मन्त्री से लेकर माननीय माल मन्त्री से कि वह बतायें कि किस मुल्क में कोआपरेटिप फार्मिंग अपनी जगह पर सफलीभूत हुई है इजराइल को छोड़ कर और वहां भी जिस मायने में वह सफल हुई है वह पूर्ण नहीं कहा जा सकता । मैं एग्रीकल्चर मिनिस्टर से भी यह जानना चाहता हूं कि कहां पर सरकारी फार्म से उनको फायदा हो रहा है ? आज आप उस भूमि को लेकर क्यों रूरल इकानामी को खराब करना चाहते हैं जब कि थोड़ी भूमि है ।

अगर समाजवाद के यही मायने है कि निर्धन को और निर्धन बनाया जाय और इनकी संख्या बढ़ाई जाय तब तो मैं उन लोगों से बहस करना मुनासिब नहीं समझता हूं । लेकिन अगर यह मायने हैं कि हिन्दुस्तान में एक के बाद दूसरे को और दूसरे के बाद तीसरे को अन्याय की तराजू पर तोला जाय और उससे असन्तोष उत्पन्न करना चाहते हों, जोकि इस देश के लिये अहितकर अवश्य प्रतीत होगा तो उसके लिये मैं कुछ अधिक नहीं कह सकता हूं लेकिन उनके लिये, जिनके लिए, इस भारत के बारे में सोचना है और इस प्रदेश की उन्नति के सम्बन्ध में विचार करना है मेरा यह कहना है कि जब तक इसका निर्णय न हो जाय सहकारी खेती लाभप्रद है, इस पर निश्चय न किया जाय । माल मन्त्री जी इस प्रदेश के पुराने तजुर्बेकार हैं और उनको अनुभव हर क्षेत्र में है और हर जगह महारत उन्होंने हासिल कर ली है । हो सकता है कि मजबूरी के साथ किसी जगह उनको कुछ करना पड़े । लेकिन मुझे आपसे शिकायत यह है कि आप हमारी कठिनाइयों पर भी ध्यान देने की कृपा करें ।

कुछ भाइयों ने कहा कि मुआवजा नहीं देना चाहिए । हमारा निवेदन यह है कि मुआवजे का ऐसा तमाशा न किया जाय जैसा कि जमींदारी अबालिशन के मौके पर किया गया । उस वक्त जमींदारों को मजबूर किया गया कि वे जाकर पूंजीपतियों के हाथ अपने बाण्ड बेंचे । जिस समय मध्यवर्त्तियों को बांड दिये गये तब उनका भाव ५०, ५५ रुपये था लेकिन अब उनका भाव ७०, ७५ है । उस वक्त वह मजबूर थे कि वह जायं पूंजीपतियों के पास, क्योंकि सरकार से उनको रुपया नहीं मिला । वे सारे बांड उस वक्त पूंजीपतियों के हाथ में गये । अगर देना है तो नकद मुआवजा हमको मिलना चाहिए । मैं कहता हूं कि हमको मार्केट वेल्यू से दिया जाय । इस बांड देने का मतलब तो यह है कि मैं क्या कहूं --जब कत्ले आम का वक्त आता है तो यही मन्त्री जी विराजमान रहते हैं । बनाता कोई है और करता कोई है । कटु काज के लिये यहीं आ जाते हैं । अगर मुआवजा देना है तो ठीक से दीजिये । जो बांड हमको मिले वह हमारे पास नहीं रहे वह पूंजीपतियों के पास गये । हमको मुआवजा मार्केट वेल्यू से दिया जाय और वह भी कैश में ।

मैं एक चीज और कहना चाहता हूं कि एक प्रश्न मेरे भाषण के बाद यह होगा और सम्भवत: माननीय नेता विरोधी दल या झारखंडेराय जी उठायें कि आखिर आपका सुझाव

[श्री अवधेशप्रतापसिंह]

क्या है यह तो सब यहाँ पर परेशानियां बताई गईं लेकिन सुझाव क्या है। सरकार की तरफ से यह सवाल न आये लेकिन लीडर आफ अपोजीशन जरूर निहायत बारीकी से इसको उठायेंगे

श्री त्रिलोकी सिंह (जिला लखनऊ)—मैं नहीं पूछूंगा।

श्री अवधेशप्रतापसिंह—शुक्रिया, लेकिन दूसरी तरफ बैठे हुए भाई बायीं तरफ वाले जो हैं, वह जरूर पूछेंगे।

तो मैं यह कह रहा था कि अगर जमीन का प्रेशर हटाना है तो उसका एक उद्योगीकरण ही रास्ता है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में जा कर आप वहां की हालत देख सकते हैं। जमीन का कितना ही बटवारा किया जाय, लेकिन वह और ज्यादा पैदा तो की नहीं जा सकती। आदमी पैदा होता है और उसे रोका जा सकता है, लेकिन भूमि नहीं पैदा की जा सकती।

श्री हुकुमसिंह बिसेन—उसे भी कहां रोक पाते हैं।

श्री अवधेशप्रतापसिंह—कुछ बाद में जागे, नहीं तो उसे भी रोक सकते थे इसका मुझे एतबार है। सूरत यह है कि जब तक लैंड पर का प्रेशर नहीं हटेगा तब तक यह कोई साल्यूशन नहीं है। मैं जानना चाहूंगा कि ९० लाख एकड़ जमीन जो ऊसर, बंजर पड़ी है उस पर खेती क्यों नहीं हो रही है, उसको क्यों नहीं तोड़ा जा रहा है। १८ लाख का हिसाब राजनारायण जी ने बतलाया, १५ लाख सरकारी हिसाब में है, और किसी सदस्य ने अखबार पढ़ दिया, तो उस सब को देखते हुए यह ९० लाख एकड़ क्यों नहीं ली जाती। भूमि सुधार के लिये कंसालिडेशन आफ होल्डिंग ही काफी समझा गया था इस प्रदेश में। जो भूतपूर्व माल मंत्री थे उनका प्रचंड प्रकोप था लार्ज लैंड होल्डिंग टैक्स। उसके लिये भी मुझे शिकायत थी, वह कानून गला घोंटता था, लेकिन वह भी स्वीकार किया गया। ठीक है, किसी तरह से हम पैदा कर सकें तो करें।

श्री हुकुमसिंह बिसेन—उनको रिपील किये देते हैं।

श्री अवधेशप्रतापसिंह—आप मुझ से कुछ रिपीट कराना चाहते हैं। मैं सिर्फ यह कहना चाहता था कि कंसालिडेशन से समझा गया था कि इस प्रदेश में भूमि सुधार का सब काम हो जायगा। लेकिन उसके बाद लार्ज लैंड होल्डिंग टैक्स आया और यह सही है कि उसके कारण मजबूरी में हम से जमीनें बिकवा लीं। लेकिन आज क्या मजबूरी है कि जो बचा-खुचा है वह भी रहने वाला नहीं है। मैं एक लफ्ज कह कर समाप्त करना चाहता हूं। आजकल प्रतिक्रियावादी कह देना बहुत सरल है। कोई मुझे या आपको कह सकता है। उसकी परिभाषा अभी तक हुई नहीं और न कभी होगी। मैं यह जानना चाहता हूं अपने माननीय माल मंत्री जी से कि क्या यह जमीन हमारे हरिजन भाइयों तक पहुंच पायेगी? यह फिर जब सहकारी खेती होगी तो ऊपर के जो प्रभुगण बैठे हैं उन्हीं के पास रहेगी और वे बेचारे हरिजन, उनके हाथ में कठपुतली रहेंगे, जिसकी चेतावनी मैं अभी से दे देना चाहता हूं।

श्री शिवराजसिंह यादव (जिला बदायूं)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस आदरणीय सदन में इस विधेयक के पेश करने पर मैं माननीय माल मंत्री जी को हार्दिक बधाई देता हूं। मेरी नाकिस राय में प्रस्तुत बिल इस लेजिस्लेचर के सोशल वेलफेयर लेजिस्लेशन के इतिहास में सदैव एक आदर का स्थान रखेगा। इसके दो कारण हैं। इस बिल के द्वारा मिल्कियत के एक क्षेत्र में भूमि की हदबन्दी कर के भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण आर्टिकिल ३९ (बी) और ३९ (सी) को अमली जामा पहनाने की कोशिश की गयी है और दूसरे यह कि इस बिल ने रास्ता साफ कर दिया है, एक रास्ता दिखा दिया है कि जिसके द्वारा दूसरे प्रकार की संपत्तियों पर, मिल्कियतों पर, जहां व्यापक असमानता है, और वेतनों आदि में जो व्यापक असमानता है, उनका भी निराकरण किया जा सकेगा।

श्रीमन्, इस बिल का न्युक्लिअस सीलिंग साइज है । सीलिंग का निश्चय हम प्रति परिवार करने जा रहे हैं इसलिए परिवार की परिभाषा इस बिल का एक महत्वपूर्ण अंग है। परिवार की परिभाषा मेरी नाकिस राय में ऐसी साइंटिफिक होनी चाहिए जो सरकार की फंडामेंटल पालिसीज के अनुकूल हो तथा वृहत् जोत वालों के प्रति न्यायकारी हो । मौजूदा परिवार की परिभाषा के अनुसार एक बाप जिसके ४ बालिग बेटे हैं और वह मिलकर खेती करते हैं, वह केवल ४० एकड़ के हकदार होते हैं। इसके बरअक्स एक बाप जिसके ४ बालिग बेटे हैं और वह सब अलग-अलग खेती करते हैं तो वह २०० एकड़ के हकदार हो जाते हैं। उत्तर प्रदेशीय सरकार की फंडामेंटल पालिसी कोआपरेटिव फार्मिंग को प्रोत्साहन देना है,इसलिए मेरा अनुरोध है कि सरकार इस परिभाषा को जो उनकी फंडामेंटल पालिसी के अनुकूल नहीं है, बदले और लैंड रिफार्म ऐक्ट, १९५८ में जो परिभाषा परिवार की दी है उसको अपनावे ।

श्रीमन्, इस बिल में सीलिंग साइज जो ४० एकड़ दिया हुआ है, मेरी नाकिस राय में तुच्छ से तुच्छ जो कायम हो सकता था वह सरकार ने कायम किया है। उसके सम्बन्ध में मैं बड़े अदब से कुछ आर्गूमेंट्स देना चाहता हूं । श्रीमन्, इसी लेजिस्लेचर ने वृहत् जोत-कर कानून पास करते समय यह पास किया था कि ५ रुपया प्रति एकड़ लगान वाली जोत की आमदनी प्रतिवर्ष साढ़े बासठ रुपया मानी जायगी। श्रीमन्, उस समय से आज तक हालात में कोई तब्दीलियां इस तरह की प्रदेश में नहीं हुईं जिससे खेती की पैदावार या आमदनी में बढ़ोत्तरी हुई हो । मेरा आर्ग्यूमेंट है कि इस लेजिस्लेचर पर स्टापेल का प्रिंसिपिल लागू होता है। चुनांचे ४० एकड़ की आय जब हम निकालते हैं तो २,५०० रुपया आती है । सेंट्रल प्लानिंग कमीशन ने सीलिंग का मसला जब तय किया तो यह सुझाव दिया था कि इस तरह की सीलिंग कायम की जाय जिससे सीलिंग के बाद बड़ी से बड़ी जोत की आमदनी ३,६०० रुपया हो । इस प्रदेशीय सरकार ने जो बिल पेश किया है उसमें ३,६०० रुपये से घटा करके २,५०० रुपया कर दिया है ।

श्रीमन्, दूसरा आर्गूमेंट यह है कि शहरी आबादी की औसत पर कैपिटा इनकम १९५५-५६ के सरकारी आकड़ों के अनुसार ७४३·८ रुपया है । इस हिसाब से ५ व्यक्तियों के परिवार की औसत आमदनी प्रतिवर्ष ३,७१९ रुपया हो जाती है। शहरी परिवार की जो औसत आमदनी हो उससे भी कहीं कम यदि देहात के उसी साइज के परिवार की आमदनी की सीलिंग रखें तो किस प्रकार से ज्यादा कही जा सकती है, इसको मैं समझने में मजबूर हूं ।

तीसरी आर्ग्यूमेंट यह है कि किसान को हम पोलिटिकल साइंस में "डेमोक्रेटिक सावरिन" मानते हैं। State के पोलिटिकल सावरिन गवर्नर हैं, राज्यपाल हैं और दूसरी डिग्री के Political Sovereign हमारे चीफ मिनिस्टर हैं । चीफ मिनिस्टर का वेतन इत्यादि इसी लेजिस्लेचर ने प्रतिवर्ष २०,००० रुपये के लगभग स्वीकार किया है । इसी प्रकार से जो रिम्युनरेशन विधान सभा के सदस्य पाते हैं वह १५,००० रुपये प्रतिवर्ष के लगभग हैं। पोलिटिकल सावरिन के वास्तविक रिम्युनरेशन्स और डेमोक्रेटिक सावरिन के रिम्युनरेशन्स की जो सीलिंग हो, उसके अन्दर जो अनुपात होना चाहिये वह मुनासिब और बाइज्जत होना चाहिये । मेरी समझ में २,५०० रुपया इस दृष्टि से भी कोई अधिक नहीं है ।

चौथा आर्गूमेंट इस सम्बन्ध में यह है कि हमारे प्रदेश की खाद्यान्न की स्थिति तशवीशनाक है । वह इससे जाहिर है कि प्रतिवर्ष लगभग २०० लाख मन गल्ला हमें सेंटर से मंगाकर प्रदेश का काम चलाना पड़ता है । तो सोचना यह है कि जब बहुत छोटी सीलिंग करेंगे तो खेती की उपज पर क्या असर पड़ेगा ?

मेरा ऐसा विचार है कि जिस प्रकार से दूसरी इन्डस्ट्रीज में प्राइवेट सेक्टर के कैपिटल, इन्टेलिजेंशिया और नयी टेक्नोलोजी की अधिक उत्पादन के लिये जरूरत है उसी प्रकार स खेती में भी आज के इस विज्ञान के युग में जबकि आसीलेप्स तक को खेती के काम में लाया जा रहा है तो इसमें भी प्राइवेट सेक्टर के कैपिटल, उनकी बुद्धि और नयी टेक्नोलोजी

[श्री शिवराजसिंह यादव]

की जरूरत है। यदि सीलिंग इससे कम कर दी गई तो मुझे डर है कि देहात के मालदार लोग शहरों में चले जायंगे और इस प्रकार से खेती में जो प्राइवेट सेक्टर का कैपिटल लगा हुआ है वह वहां से हटकर सारा का सारा इन्डस्ट्रीज में या दूसरे व्यवसायों में लग जायगा। आज जो इंटेलिजेंशिया खेती में काम कर रही है वह दूसरी जगह चली जायगी। और विज्ञान का जो थोड़ा-बहुत इस्तेमाल खेती में हुआ है वह नष्ट हो जायगा और इस प्रकार से इन बातों का असर खेती की उपज पर जरूर खराब पड़ेगा।

जो महानुभाव इस सीलिंग को घटाने की बात करते हैं, मैं समझता हूं कि वह तीन प्रकार की गलत फहमी में मुब्तिला हैं। पहली यह हो सकती है कि वह यह समझते हों कि इस सीलिंग को कायम करने का आशय लैंडलेस ऐग्रीकल्चरल । लेबरर्स, भूमिहीन खेतिहर मजदूरों की समस्याओं को दूर करने से है लेकिन इस सीलिंग से उनकी समस्या हल नहीं की जा सकती और न यह इस बिल का आशय ही है और न हो ही सकता है। इस बिल के बहुत से आशय हैं उनमें से केवल एक आशय यह है। मेरा अन्दाजा है कि ४० एकड़ की सीलिंग कायम करके इस प्रदेश में केवल २ लाख एकड़ भूमि प्राप्त हो सकेगी। इस प्राप्त भूमि को अगर सवा ६ एकड़ प्रति परिवार के हिसाब से बाटा जाय तो ३३ हजार लैंडलेस लेबरर्स के परिवारों को यह जमीन मिल सकेगी जबकि हमारे यहां ३५ लाख लैंडलेस लेबरर्स के परिवार हैं। इस प्रकार केवल एक परसेन्ट ऐसे परिवारों की समस्या हल हो सकेगी।

कुछ दोस्तों का खयाल है कि सीलिंग के बाद जो जमीन निकलेगी उस पर इंटेंसिव कल्टीवेशन होना सम्भव हो जायगा। मेरा ऐसा विचार नहीं है। जो सरप्लस भूमि आयेगी वह ज्यादातर खराब भूमि होगी जिस पर कि रिसोर्सफुल काश्तकार अपने रिसोर्सेज को इस्तेमाल करते हुये, उस जमीन पर अनएकोनामिक खेती करते हुये भी देश के लिये कुछ अन्न पैदा करके दे देते हैं इसलिये मुझे शंका है कि रिसोर्सलेस आदमियों के हाथ में इस जमीन को दे देने से कहीं ऐसा न हो कि उस पर अभी जो अन्न पैदा किया जा रहा है वह भी न पैदा हो सके ।

दूसरी गलत फहमी यह है कि Surplus land पर Intensive Cultivation की जा सकेगी। आज प्रदेश में ६० फीसदी जोतें छोटी जोतों की शक्ल में है उनमें अगर इंटेंसिव खेती हो रही होती तो आज अन्न संकट सामने नहीं होता। और अगर बहस के लिये मान लिया जाय कि छोटी जोतों पर इंटेंसिव खेती होती है तो नतीजा यह निकलता है ५०० लाख एकड़ भूमि में ३०० लाख एकड़ भूमि पर इंटेंसिव कल्टीवेशन हो रही है और उसके साथ अगर २ लाख एकड़ भूमि पर और इंटेंसिव कल्टीवेशन होने लगे तो यह उसके साथ केवल प्वाइंट ६ परसेंट ही Intensive Cultivation area में वृद्धि करेगा और इस प्रकार से भी उपज में कोई बढ़ोत्तरी नहीं होती।

तीसरी गलत फहमी यह है कि सीलिंग की साइज छोटी करके सरप्लस भूमि निकाल करके प्रदेश में प्रास्पेरिटी ला सकते हैं । आज दुनिया में जो स्थिति है, हमारे देश, प्रदेश और जिलों में जो मुख्तलिफ स्थिति है वह इस बात का सबूत है कि जिस देश में ज्यादा प्रतिशत लोग खेती पर आश्रित हैं वह ज्यादा गरीब हैं और जहां कम प्रतिशत लोग खेती पर आश्रित हैं वह मालदार हैं। इसलिये भूमिहीन लोगों को भी खेती पर लगाकर खेती पर ज्यादा प्रेशर डालने से प्रदेश की प्रास्पेरिटी में कोई इजाफा नहीं हो सकेगा ।

इसके पश्चात् मुझे क्लाज ५ के सम्बन्ध में आपत्ति है। उसमें दिया हुआ है कि १५ अगस्त के बाद जो भूमि हस्तांतरित की जायगी या जो बटवारा किया जायगा उसकी उपेक्षा की जायगी, उसका कोई खयाल नहीं किया जायगा यह नाकाफी है क्योंकि उसमें दिया हुआ है कि केवल सरप्लस भूमि के लिए ऐसा कलेक्कुलेशन किया जायगा। अगर केवल सरप्लस भूमि

का कल्कुलेशन करने के लिये ऐसा किया गया तो कल्कुलेशन तो हम कर लेंगे। लेकिन किसी व्यक्ति ने यदि अपनी सारी भूमि ट्रान्सफर कर दी तो क्या उसको आप दिवालिया कहेंगे। उससे सरप्लस भूमि किस प्रकार से आप प्राप्त कर सकेंगे।

इसके अतिरिक्त इस में आपने जो तारीख रखी है उसके बजाय वह तारीख रखें जिस तारीख से इस बिल का नोटीफिकेशन हुआ है। यों तो इस लेजिस्लेचर के अधिकार हैं कि वह जो चाहे कानून या नियम बना सकता है लेकिन अच्छे Legislation के कुछ नियम और Convention है। कानून में सदैव Purchaser for value without notice की बड़ी Sanctity रही है। इस लिये इस बिल में वह रहनी आवश्यक है। जब से नागपुर सेशन हुआ है उस दिन से बड़े-बड़े फार्म होल्डर्स ने अपनी भूमि को छोटे-छोटे १२ १/२ एकड़ से छोटे किसानों को बेच दिया। अगर आपने वही तारीख रहने दी तो उन छोटे-छोटे काश्तकारों का नुकसान हो जायगा जिन्होंने उस जमीन को खरीदा है। और उनको आपके Ceiling के साइज की कोई नोटिस नहीं थी।

इसके बाद जो सीलिंग होने के बाद आपने Surplus Land को बांटने के लिये प्रस्ताव रखा है उससे मैं बिलकुल सहमत नहीं हूं। पहले सरकार ने कहा है कि सरकार उसको स्टेट फार्म में ले लेगी। मैं इससे सहमत नहीं हूं क्योंकि अभी तक हम देखते हैं कि सरकारी फार्म लाभदायक नहीं हैं। सरकार को उनमें नुकसान हो रहा है। इसलिये सरकार इस तजवीज को छोड़ दे।

दूसरी बात उसमें यह लिखी हुई है कि भूमिहीनों को भूमि दी जायगी। उसके लिये मेरा सुझाव यह है कि जिन लोगों के पास इस समय अन-एकौनामिक हौल्डिंग्स हैं उनको पहले जमीन दी जाय और अगर फिर भी बचे तो लैंडलैस लेबरर्स को दी जाय। क्योंकि वह एक तबका है कि जब दूसरे साधन आपके पास हो जायेंगे तो उसको उस पर लगा दें। उधर डायवर्ट कर सकते हैं। क्योंकि यदि उन लोगों को भी जमीन से बांध दिया गया तो भविष्य में प्लानिंग करने में आपको बाधा पड़ेगी।

श्री उपाध्यक्ष—(श्री गोविन्दसिंह विष्ट से) आप १०-१२ मिनट से ज्यादा न लें।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट (जिला अल्मोड़ा)—श्रीमन्, हमें कल भी बोलने को नहीं मिला। दो दिन में जनसंघ का एक भी व्यक्ति नहीं बोल पाया।

श्री उपाध्यक्ष—मैं मजबूर हूं। जब बाजार उठने लगता है तो उसमें सौदा कम ही रह जाता है। (हंसी)

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—श्रीमन्, इधर से जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है, मैं उसका समर्थन करता हूं। इसके उद्देश्य और कारणों में यह लिखा हुआ है कि इस बिल को यहां पेश करने के चार कारण बताये हैं—(१) खेतिहर मजदूरों को जमीन दिलाना, (२) साम्यपूर्ण वितरण करना, (३) सहकारिता के आधार पर खेती, और (४) भूमि के प्राप्य साधनों का संरक्षण। इन चारों बातों का जहां तक सम्बन्ध मुझसे व जन संघ पार्टी से है हम उनसे पूर्णतया सहमत हैं। लेकिन हमें देखना यह है कि इस बिल में जो धारायें दी गयी हैं वे इसकी पुष्टि करती हैं या नहीं। मुझे इसके सिलसिले में यह कहना है कि इस बिल की सीमा निर्धारण एक मुख्य विषय है। लेकिन इसके ऊपर सबसे अधिक झगड़ा शासकीय पार्टी में ही है। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यह साफ तौर पर कह दिया है कि जिनको कांग्रेस के सिद्धांतों में विश्वास न हो वह कांग्रेस को छोड़ दें। ठीक है यह सिद्धान्त की बात है कि कुछ कांग्रेसी सदस्य उनमें विश्वास नहीं रखते यह भी हो सकता है कि वह हृदय से honestly इस चीज में believe करते हों लेकिन अगर ऐसा भी है, तो उनको कांग्रेस छोड़ कर स्वतन्त्र दल में शामिल हो जाना चाहिये।

[श्री गोविन्दसिंह विष्ट]

माननीय चरणसिंह जी ने जमींदारी अबालीशन के सिलसिले में यह कहा था ६ १/४ एकड़ लाभ कर जोत होती है । और जमींदारी एबालिशन कमेटी जिसके श्री गोविन्द बल्लभ पन्त, श्री हुकुमसिंह, श्री चरण सिंह, सभी सदस्य थे, वह इस नतीजे पर पहुंची कि ज्यादा से ज्यादा लाभकर जोत १० एकड़ की होनी चाहिये । यू० पी० एग्रेरियन कमेटी जिसे कांग्रेस ने बैठाया था उसने कहा कि १५ से लेकर २० एकड़ तक लाभकर जोत हो सकती है और यदि सिंचाई की व्यवस्था हो जाय तो वह घट भी सकती है । श्री जे० सी० कुमारप्पा कमेटी की रिपोर्ट के २० वें पेज पर है कि लाभकर जोत के तीनगुना ज्यादा से ज्यादा सीमा निर्धारण होनी चाहिये । उसमें खासतौर से "Optimum Holding" शब्द आया है कि यह आप्टिमम लाभकर जोत की ज्यादा से ज्यादा तिगुनी होनी चाहिए । तो आज तक कांग्रेस पार्टी ने जो विविध कमटियां बैठायीं, जिनमें उनके बड़े-बड़ विद्वान थे जो उन्हीं के सिद्धान्तों के प्रतिपादक थे और बड़े अनुभवी लोग थे उनकी भी मंशा यही थी कि किसी तरह से भी ३० एकड़ से अधिक सीमा निर्धारित नहीं होनी चाहिए ।

आज कुछ भाइयों ने इस बात का बड़ा विरोध किया कि तराई भावर को इसमें क्यों नहीं रखा गया है और कुमायूं को इस में से क्यों निकाल दिया गया है । मैं तो इस मत का हूं कि आप अपने यहां बाद में इस कानून को लागू कीजियेगा लेकिन पहले कुमायूं में ही इस ४० एकड़ की सीमा को निर्धारित कर दीजिये । ४० के बदले में ३० एकड़ भी हो जाय तो मुझे खुशी ही होगी क्योंकि खेतिहर मजदूरों और गरीबों को वहां जमीन मिल जायगी । उन गरीबों को जमीन मिल जाय इसके लिये हमें इस जमीन के लालच को छोड़ना पड़ेगा । आज शासक दल के लोग जो कुमायूं की बात करते हैं, अगर उनमें हिम्मत है तो इस कानून को पहले पहाड़ों में लागू कर दें, मैं इसका स्वागत करूंगा । लेकिन नहीं, आप ऐसा नहीं करेंगे । कहने के लिये जो वहां के बिल का नाम जमींदारी एबालिशन नाम रख दिया है लेकिन वास्तव में वह एबालिशन नहीं है । वह तो ऐसे ही है जैसे किसी बोतल में शराब हो और उस पर बाहर अमृत का लेबिल लगा हुआ हो । इसका कारण यह है कि पुरानी जमींदारी खत्म करके वहां नयी जमींदारी कायम की गयी है और बहुत से लोग २००, ५०० और १,००० एकड़ तक के फार्म हथियाये हुए हैं जो आप ही लोगों में से हैं ।

श्री हुकुमसिंह विसेन--हम ने कितना लिया है यह भी जरा बतला दें ।

श्री गोविन्द सिंह विष्ट--मैं किसी का नाम लूं तो बुराई होगी लेकिन मैं इतना कह दूं कि आपके ही नजदीकी व्यक्ति को बगैर जोती हुई जमीन के लिये १ लाख से ज्यादा रुपया मुआवजा दिया गया है । आशा है कि आप इसे समझ गये होंगे ।

जहां तक जमीन का सम्बन्ध है इस विधेयक में कोशिश यह की गयी है कि सामूहिक खेती लोगों पर लाद दी जाय । एक तरफ कांग्रेस यह कहती है कि वह सामूहिक खेती के खिलाफ है, साझे की खेती चाहती है, लोग अपनी अपनी भूमि के मालिक रहें लेकिन खेती साथ करें । श्रीमन्, यह एक तरीके का Coercion है । धारा ४ (२) (क) में लिखा है कि "किसी एक व्यक्ति की या पांच से अधिक सदस्यों वाले किसी परिवार की दशा में अधिकतम क्षेत्र अच्छी औसत प्रकार की भूमि के चालीस एकड़ का समझा जायगा"। श्रीमन्, धारा २ में एक बड़ी चालाकी की गयी है कि व्यक्ति की परिभाषा में ज्वाइंट स्टाक कम्पनी और सहकारी समिति को जानबूझकर नहीं रखा गया है क्योंकि चीनी मिल वालों के पास बड़े-बड़े फार्म्स हैं । इस बिल के अनुसार अतिरिक्त भूमि का रिटर्न कौन देगा ? व्यक्ति न कि कोई कम्पनी या समिति ? इस धारा के मुताबिक किसके पास किस किस्म की जमीन है, उसका रिटर्न कोई व्यक्ति ही देगा जो परिवार से आयेगा । लकिन चूंकि ज्वाइंट स्टाक कम्पनी का नाम इसमें नहीं आया है इसलिये यह है, इसे

माननीय मंत्री जी ठीक करें। उन्होंने बिल में प्रविधान किया है कि अगर समिति के सदस्यों के नाम भूमि अलग-अलग दर्ज हो तो, उनके अलग-अलग हिस्सों की सीमा का योग तक ही समिति की सीमा निर्धारण होगी। अगर सब की भूमि सामूहिक तौर पर दर्ज हो तो उस पर कोई लिमिट नहीं होगी। याने जहां सामूहिक खेती होगी तो उसके लिये कोई लिमिट नहीं होगी, लाखों, करोड़ों एकड़ तक जमीन वे रख सकते हैं। एक तरफ तो कांग्रेस यह कहे कि हम सामूहिक खेती के खिलाफ हैं, हम साझे की खेती चाहते हैं और दूसरी तरफ दूसरे तरीके की बात कहें और बड़ी सफाई के साथ सहकारी और सामूहिक खेती को जनता के ऊपर लादें यह घोर अन्याय होगा। कांग्रेस का यह पुराना नारा था कि "लैंड टु दि टिलर" और एग्रेरियन रिफार्म्स कमेटी ने भी लिखा था और कुमारप्पा साहब की यह राय थी कि:—

"It should provide an opportunity for the development of the farmer's personality."

यानी व्यक्ति की और किसान की व्यक्तित्व की गरिमा के विकास में योग देना जरूरी है। इसलिये मैं कह सकता हूं कि सहकारी खेती से न तो अन्न की पैदावार बढ़ेगी और न जनता का लाभ होगा। आप सारी दुनिया के आँकड़ें देखें तो मालूम होगा कि जापान में जहां पर इन्टेसिव फार्मिंग (Intensive Farming) होती है वहां पर बिना सहकारी खेती के सब से अधिक प्रति एकड़ अनाज पैदा होता है इसलिये कोई जरूरी नहीं है कि सहकारी खेती से ही अधिक अन्न पैदा हो सकता है। दूसरे वह इसलिये चाहते हैं ताकि खेती का इम्पलीमेंटेशन और ट्रैक्टराइजेशन किया जा सके। मेरे पास आंकड़ें हैं कि कितने ट्रैक्टर्स की जरूरत होगी अगर हम अपने यहां ट्रैक्टराइजेशन करें। यू० एस० एस० आर० में १०० एकड़ पर एक ट्रैक्टर है, यू० एस० ए० में ११८ एकड़ पर, यू० के० में ८७ एकड़ पर, आस्ट्रेलिया में २१० एकड़ पर और Far East में ३३,००० एकड़ पर एक ट्रैक्टर। अगर हम अपने यहाँ ४०० एकड़ पर भी एक ट्रैक्टर रखें तो हमें अपने यहां २ १/२ लाख ट्रैक्टर्स का प्रबन्ध करना होगा। अब तक के जो हमारे पुराने आँकड़ें हैं उनके अनुसार करोड़ों रुपये के ट्रैक्टर यहां आ चुके हैं और इतने पर भी हालत यह है कि सेन्ट्रल ट्रैक्टर आर्गेनाइजेशन ने जो ट्रैक्टर के चार्जेज पहले बताये वह ५२ रुपया प्रति-एकड़ के थे लेकिन जब बाद में उन से कहा तो उन्होंने ५२ रुपया प्रति घंटा उसको दर कर दी। इस हिसाब से भी ३१२ रुपया प्रति एकड़ का हिसाब आता है। इसलिए किस तरह से हम सामूहिक खेती में सफल हो सकते हैं यह समझ में नहीं आता।

वही हिसाब है कि "साझे की खेती गधे खायं, खाते जायं, मारे न जायं।" उसमें कोई व्यक्तिगत एनथूजियाज्म नहीं होता, हर एक सोचता है कि मैं क्यों करूं और मेरा खयाल है कि इस से आगे चलकर बेरोजगारी भी बढ़ेगी। मैं आप की सेवा में अर्ज करूं कि इस से बेरोजगारी बढ़ेगी और अन्न का उत्पादन घटेगा। ६० प्रतिशत बेरोजगारी और बढ़ेगी तो आप कहां खपायेंगे लोगों को? आज जरूरत है कि किसान को अच्छी खाद व अच्छा बीज दिया जाय उनका कर्ज दूर किया जाय। आज डाक्टर अग्रवाल के अनुसार २१३ रुपया पर हेड किसानों पर कर्जा है और इसी वजह से वे आज अच्छा बीज, अच्छा खाद या अच्छे बैल नहीं रख सकते। अगर इस काम के करने से पहले जो परती जमीन करोड़ों एकड़ पड़ी है उस को तोड़ा जाता तो अधिक उपकार हो सकता था और अन्न पैदा किया जा सकता था। कुमारप्पा कमेटी ने कहा था कि यद्यपि यह चीज हमारे टर्म्स आफ रिफेन्स में नहीं है कि शहरी क्षेत्र की भी आय सीमित की जाय लेकिन हमारी राय है कि उन पर भी सीमारोपण होना चाहिये। यह बात उन के द्वारा सन् ४८ में कही गई थी लेकिन खेद है कि जमींदारी तो समाप्त की गई पर शहरों के बिड़ला, टाटा, सिंहानिया से आज इस सरकार को बड़ी मोहब्बत है, इस तरह के इनके समाजवाद के सिद्धान्त बिलकुल खोखले हैं, उनको नहीं छुआ क्योंकि कल को वह चुनाव में वोट दिलायेंगे। इस तरह की नीति इनकी है।

वन्दी[illegible]ह विष्ट]

तो इनको बिड़ला सपोर्ट करते हैं लेकिन टाटा सपोर्ट करते हैं स्वतन्त्र को। तो इनका आसन डोल रहा है। अब वह दिन दूर नहीं है जब उधर से आधे इधर आ जाएंगे। आज उनकी पार्टी में दरार है। जैसे जलजला आता है और विस्फोट होता है वही हालत उनकी है। इसलिये मेरा निवेदन है कि ऐसा काम करिये जिससे भूमिहीनों को जमीन मिल सके और अनइकोनामिक होल्डिंग्ज को दूर किया जा सके।

श्री उपाध्यक्ष--माननीय राजदेव उपाध्याय, आपके लिये भी १० मिनट हैं।

श्री टीकाराम पुजारी (जिला मथुरा)--श्रीमन्, व्यवस्था का प्रश्न है। पांच दिन से मैं देख रहा हूं यहां पर किसानों की डींग मारा करते हैं। यह बिल किसानों का है, श्रीमन्....

श्री उपाध्यक्ष--यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री टीकाराम पुजारी--मैं आपके द्वारा दरख्वास्त करता हूं कि जो किसानों की डींग हांकते हैं वह सुबह ११ बजे आते हैं.....

श्री उपाध्यक्ष--माननीय पुजारी जी, आप कृपा करके बैठिये, यह कोई व्यवस्था का प्रश्न समझ में नहीं आता। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप बैठ जायं।

श्री टीकाराम पुजारी--मैं श्रीमन्, कह रहा हूं.....

श्री उपाध्यक्ष--मैं निवेदन करूंगा कि आप कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री टीकाराम पुजारी--श्रीमन, मेरा निवेदन है.....

श्री उपाध्यक्ष--मैं आपसे कह रहा हूं कि आप नहीं बैठेंगे तो मैं मजबूर होकर आपसे सदन छोड़ने के लिये कहूंगा।

श्री टीकाराम पुजारी--[× × ×]

श्री उपाध्यक्ष--माननीय पुजारी जी, आप कृपया सदन छोड़ दें। यदि आप नहीं बैठते हैं तो सदन छोड़ दीजिये।

श्री टीकाराम पुजारी--[× × ×]

श्री उपाध्यक्ष--माननीय पुजारी जी, आप कृपया सदन छोड़ दें।

श्री टीकाराम पुजारी--जो जनता का स्तर होता है उसमें किसानों का.....

श्री उपाध्यक्ष--पुजारी जी, आपसे मैं बार-बार कह रहा हूं कि आप कृपया आज दिन भर के लिये सदन छोड़ दें।

श्री टीकाराम पुजारी--श्रीमन्, मैं बहुत अच्छी तरह जा रहा हूं, लेकिन.....

श्री उपाध्यक्ष--आप कृपया सदन से बाहर चले जायं और आज दिन भर आप नहीं आ सकेंगे।

(श्री टीकाराम पुजारी सदन से बाहर चले गये)

श्री इन्दुभूषण गुप्त (जिला आजमगढ़)--श्रीमन्, मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं। अभी जो माननीय पुजारी जी बोल रहे थे वह प्रोसीडिंग्स में नहीं आना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष--मैं उसे देखूंगा। वह जो बोलते हैं वह खुद ही समझते हैं।

नोट--[× × ×] श्री उपाध्यक्ष की आज्ञा से निकाल दिया गया।

श्री राजदेव उपाध्याय (जिला देवरिया)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह भूमि संबंधी जो विधेयक पेश है मैं आज पांच दिन से इस पर विवाद सुन रहा हूं। कोई भाई १२ एकड़ की बात करता है, कोई २० की और कोई २५ की। प्रजा समाजवादी पार्टी हमारे प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी कहलाती है। गेंदासिंह जी ने कल कहा था कि हम लोगों की इच्छा है कि कम से कम २० एकड़ रखा जाय। इसके माने यह होते हैं कि इस प्रदेश की सरकार जो है और जो हमारे माल मंत्री जी हैं वह भूमि के मामले में बहुत ही दक्ष हैं और उन्होंने मिनिमम जो ४० एकड़ रखा है वह बहुत ही ईमानदारी के साथ रखा है। मैं उन्हें इसके लिये बधाई देता हूं। एक क्लास हमारे प्रदेश में ऐसा है जिन लोगों के पास लम्बी जोतें थीं, बड़े-बड़े फार्म थे। यह भी सही है कि सरकार ने एग्रीकल्चरल टैक्स लगा कर उन पर एक बड़ा भाड़ी टैक्स का बोझ डाल दिया है। यह भी सही है कि उनकी सारी जमीन गवर्नमेंट ले रही है और ऐसे परिवारों के लिये ४० एकड़ सरकार जो दे रही है वह मेरे खयाल से कोई ज्यादा नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं कि ४,००० की जो आय आंकी गई है वह तो तब होगी जब प्रकृति साथ देगी। लेकिन जैसी परिस्थिति आज पैदा हो गई है, सूखा पड़ रहा है या बाढ़ आ जाय, ओला पड़े, पाला पड़े तो उस समय उनका क्या हाल होगा। प्रदेश में बड़ी-बड़ी तनख्वाह वाले लोग हैं, पूंजीपति हैं लेकिन समानता की स्टेज धीरे-धीरे ही लायी जा रही है। अभी एक भाई ने कहा, वह समाजवाद की बात कर रहे थे और कह रहे थे टाटा, बिड़ला हमारे साथ लगे हुए हैं। लेकिन वह हमसे नहीं लगे हुए हैं बल्कि उन्हीं के साथ लगे हुए हैं। इधर के सदस्य समाजवाद का अर्थ समझते हैं। देश में समानता लाना, भूमिहीनों की गरीबी को दूर करना, मजदूरों को रोजी-रोटी का सहारा हो और देश से असमानता, गरीबी और भुखमरी मिटे। लेकिन इसके माने यह नहीं हैं कि एक दम सारी असमानता मिटा दी जाय। रूस और चीन का उदाहरण देते हैं जब वहां भी समानता धीरे-धीरे आयी और वहां के जितने बड़े-बड़े पूंजीपति थे, जब चारों ओर औद्योगिक विकास हुआ और औद्योगीकरण अपनी चरम सीमा पर था तब सरकार ने नेशनेलाइज किया। आप जो २०, ३० एकड़ कह रहे हैं अगर सरकार ने ४० एकड़ रख दिया तो कौन-सा पाप हो गया। कोई ज्यादा अन्तर नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि खेतों को छोटे-छोटे टुकड़ों में बांट देने से खेती की पैदावार बढ़ जायगी। लेकिन मैं कहता हूं कि उससे हालत और बदतर हो जायगी। मैं कोई बहुत बड़ा काश्तकार नहीं हूं, ४० एकड़ से कम ही जमीन है लेकिन मेरा अनुभव है कि जो छोटे-छोटे खेतिहर हैं उनके पास जो अन्न होता है वह उन्हीं के खाने के लिये नहीं अटता। तो शहर की जनता को खाने के लिये कहां से मिलेगा? नतीजा यह होगा कि खेती करने वाले खेतिहर खेती करना छोड़ देंगे और गांवों को छोड़ देंगे तथा शहरों में आ कर रेडियो, पार्क, सिनेमा और थियेटरों का आनन्द लूटेंगे और प्रदेश रसातल को चला जायगा, खाद्य की समस्या भयंकर हो जायगी। इसलिये कभी-कभी तो इस सरकार के मंत्रियों के कार्यों का भी समर्थन करें। यह जो ४० एकड़ रखा गया ज्यादा नहीं है। हमारी भूमि सुधार योजना धीरे-धीरे बढ़ रही है।

यह सही है कि कुछ दल प्रदेश में ऐसे हैं जो एक ब एक क्रान्तकारी परिवर्तन लाना चाहते हैं। जैसे हमारे यादव जी को यह बिल एक नाटक-सा लगा। श्रीमन्, नाटक कहां हो रहा है, तिब्बत में, चीन में जहां ८०,००० आदमी मारे गये .....

श्री उपाध्यक्ष—माननीय सदस्य बाहर के विषयों का जिक्र न करें।

श्री राजदेव उपाध्याय—मैं यही कह रहा था कि कांग्रेस के पर्दे के पीछे नाटक नहीं हो रहा है, इस प्रकार उनको नाटक की गंध आई और कहा कि इस बिल में कुछ है नहीं और कोई फायदा होने वाला नहीं है। नाटक हुआ था केरल में जिसे सारे देश ने देखा और नाटक हुआ था चीन में जहां ८० हजार आदमी मौत के घाट उतार दिये गये, जहां पशुता और बर्बरता का नंगा नाच हो रहा है। नाटक इधर नहीं हो रहा है।

श्री उपाध्यक्ष—आपसे बार-बार कह रहा हूं कि दूसरे देशों के बारे में कुछ न कहिये।

श्री राजदेव उपाध्याय--यह जो भूमि सुधार का बिल हमारे सामने आया है यह महान क्रांतिकारी है, प्रगतिमय योजना है और इससे हमारे देश व प्रदेश का बड़ा लाभ होगा।

इस प्रदेश में ३५ लाख आदमी ऐसे हैं जिनके पास भूमि नहीं है। ४० एकड़ सीलिंग करने के बाद ६-७ लाख एकड़ भूमि बच जाती है और २० एकड़ करने से १२ लाख आयेगी। तो यह भी सच है कि खाली जमीन से हमारी समस्या हल होने वाली नहीं है जब तक कि अलग से छोटे-छोटे उद्योग धन्धों को प्रोत्साहन न दिया जाय और बेकार आदमियों को उनमें लगाया न जाय। इसके अलावा आज हमारे देश व प्रदेश की आबादी दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ रही है। हिन्दुस्तान में मरने के बाद भी ५० लाख बच्चे हर साल पैदा होते हैं और इस तरह से १० साल में ५ करोड़ आबादी बढ़ जाती है। इस तरफ हमारा ध्यान जाना चाहिये।

जो भूमि सुधार का बिल आया है उसके सम्बन्ध में प्रजा समाजवादी दल के नेता माननीय त्रिलोकी सिंह व अन्य भाइयों से मेरी अपील यह है कि बड़ा ही सुन्दर प्रस्ताव है अन्तर है तो ३५ और ४० का लेकिन योजना में कोई अन्तर नहीं है, दोनों का कार्यक्रम एक है इसलिये इसे आपका समर्थन प्राप्त होना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष--मैं १५ मिनट से अधिक समय किसी को नहीं दूंगा। श्री गरीबदास जी आप १० मिनट तक बोल सकते हैं।

श्री गरीबदास (जिला जालौन)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका बड़ा कृतज्ञ हूं कि आपने इस महत्वपूर्ण बिल पर मुझे बोलने का अवसर दिया। उद्देश्य और कारण में से मैं आखिरी लाइन न पढ़ना चाहता हूं--"अतएव समाज के दुर्बल वर्ग के आर्थिक हित की उन्नति करने तथा सार्वजनिक कल्याण के हेतु यह विधेयक पुरःस्थापित किया जा रहा है"। इस बिल के शुरू में दिया हुआ है--"सामुदायिक हित के लिये यह आवश्यक है कि अधिक उत्पादन सुनिश्चित किया जाय तथा भूमिहीन खेतिहर मजदूरों के लिये तथा अन्य सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए भूमि की इस प्रकार व्यवस्था की जाय जिससे अधिकतम लोकहित साधन हो"। तो यह जो शब्दों की पेशबन्दी है उसके लिये मैं माननीय मंत्री जी को अवश्य बधाई दूंगा लेकिन मैं विवश हूं कि इस बिल में जो वास्तविकता है उसके सम्बन्ध में मैं उनको बधाई नहीं दे सकूंगा।

इस बिल का नाम जो रखा गया है अधिकतम जोत सीमा आरोपण विधेयक यह न हो कर भूमिपति संरक्षण विधेयक हो सकता है। यह बताया गया है इस बिल में कि इससे अन्न का उत्पादन बढ़ेगा, खेतिहर मजदूरों की समस्या का हल होगा; लेकिन यह एक भी बात पूरी नहीं करता। बल्कि जो भूमिपति हैं उनको इससे संरक्षण मिल रहा है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जब से खाद्य समस्या जटिल होती जा रही है मैं देखता हूं कि कहीं खाद्य आन्दोलन चलाये जाते हैं, कहीं सरकार की तरफ से राशन की दुकानें खोली जाती हैं, कहीं भूख हड़ताल की जाती है। लेकिन क्या ऐसा करने से उत्पादन बढ़ सकता है? नहीं। हां, यह हो सकता है कि वितरण के सम्बन्ध में कोई व्यवस्था हो। उत्पादन बढ़ाने के सम्बन्ध में मेरी निश्चित राय है कि जो आदमी अपने हाथ से खेती करता है, जो उसमें दक्ष है जब तक वह जमीन का पूरा मालिक नहीं होगा तब तक किसी और प्रकार से उत्पादन बढ़ सकता है ऐसी मेरी राय नहीं है। हमारे यहां देहात में एक कहावत है कि देवी वरदान नहीं देती, कलेजा ऐंठती है। सरकार का यह बिल बिल्कुल इस कहावत को पूरा करता है।

सवाल यह उठता है कि जब यह बिल इतना खोखलापन साबित करता है तो रखा क्यों गया। जनवरी में नागपुर अधिवेशन में कांग्रेस ने यह तय किया कि भूमि की सीमा

निर्धारण हो। यह भी तय किया कि सहकारी खेती हो। मैं इसमें जाना नहीं चाहता। लेकिन सीमा निर्धारण के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं कि यह काँग्रेस का पहला एलान नहीं था बल्कि अन्य विरोधी पार्टियों ने भी और प्लानिंग कमीशन ने इसके पहले कई बार सीलिंग की मांग की थी। तो जब यह बात आयी तो प्रदेश में इस बात की शोहरत हुई कि जमीन पर सीलिंग हो जायगी और साढ़े १२ एकड़ तक भूमि की सीमा निर्धारित की जायगी। तो जिन लोगों के पास साढ़े १२ एकड़ से ज्यादा जमीन थी या जो समझते थे कि उनकी जमीन निकल सकती है उन्होंने दूसरों के नाम खाते लिखने शुरू कर दिये और उसका विभाजन कर दिया। अब अगर सरकार की मंशा यह नहीं थी कि उस तरह से जमीन का विभाजन हो तो उसे जनवरी के उस ऐलान के पेश्तर की कोई तारीख रखनी चाहिये थी कि उसके बाद के हस्तांतरण नहीं माने जायेंगे। लेकिन रखा गया इसमें १५ अगस्त, १९५९, ६-७ महीने के बाद की तारीख। इससे मौका दे दिया गया जमीन वालों को कि वे अपनी जमीन को तितर-बितर कर सकें। इसलिये मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि सरकार की यह मन्शा नहीं थी कि भूपतियों को वह संरक्षण न दे। अगर मुझे सही याद है तो जब सहकारी कृषि के सम्बन्ध में जलसा किया गया था उस समय हमारे माल मन्त्री महोदय ने यह कहा था कि जो नेहरू जी की राय के खिलाफ चलेगा वह निकाल फेंका जायगा। शब्दों में भले ही कोई फर्क हो लेकिन भाव यही था। तो दबाव के कारण यह बिल आया। अभी हमारे भूतपूर्व माल मन्त्री चौधरी चरण सिंह इतने दबाव में आ गये कि वे अपनी राय भी व्यक्त नहीं कर सके। तो मजबूरन सरकार को यह बिल लाना पड़ा।

लेकिन चूंकि यह बिल नीरस है, भूमिहीनों की समस्या को यह हल नहीं करता इसलिये इसकी कुछ धारायें आपके समक्ष रखना चाहता हूं। समय की कमी के कारण अधिक न कह सकूंगा, यदि आप उचित समझें तो थोड़ा सा समय और दे दिया जाय। सबसे पहले धारा ३ की उपधारा (ग) में परिवार की परिभाषा में (माता-पिता), पुत्र, विवाहित पुत्री के पुत्र, इन सबको अलग किया जा सकता है। इस प्रकार प्रति व्यक्ति के नाम से ४०-४० एकड़ अलग-अलग जमीन हो सकती है।

अलावा इसके ८ एकड़ प्रति व्यक्ति के हिसाब से तीन व्यक्ति तक जमीन और ली जा सकती है। इस तरह से एक परिवार के पास ६४ एकड़ तक जमीन हो सकती है। यहीं तक नहीं बल्कि दो एकड़ जमीन खलिहान के नाम से दी जा सकती है। इस तरह से ६६ एकड़ होती है। अलावा इसके श्रीमन् बाग लगाने के लिये जमीन छोड़ दी जाती है और उसके ऊपर कोई सीलिंग नहीं लगाई जायगी। इसके अलावा मुर्गा पालने के लिये दी जा सकती है और चारा तथा घास आदि के लिये जमीन दी जा सकती है। इस पर भी कोई नियंत्रण नहीं किया जायगा। इसके अलावा ट्रैक्टरों द्वारा चलाये जाने वाले जो फार्म्स होंगे उनको सरकार ले लेगी लेकिन उसका मैनेजर वही होगा जो भूतपूर्व मालिक था। इसलिये इस पर भी कोई असर नहीं पड़ता है। मुझे कहना पड़ता है कि राजाओं की जमीन पर गवर्नमेंट हस्तक्षेप नहीं करेगी और वह ज्यों की त्यों रह जायगी। समय की कमी के कारण मैं इतना ही कह सकता हूं कि इस विधेयक में जितनी धारायें हैं उनमें भूमिपतियों को ही सहूलियत दी गई है।

श्री उपाध्यक्ष---(श्री झारखंडेराय से) आपको १५ मिनट से ज्यादा समय नहीं दिया जा सकता।

श्री ब्रजनारायण तिवारी (जिला देवरिया)---श्रीमन्, व्यवस्था का प्रश्न है। एक तो आपने निर्णय दिया था कि जिन लोगों ने संशोधन दिये हैं उनको प्रस्तुत करने का मौका नहीं मिलेगा बल्कि विचार व्यक्त करने का मौका मिलेगा। इसलिये मैं चाहूंगा कि यदि यह मुमकिन न हो तो आज सदन का समय एक घंटे और बढ़ा दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष---आज तो वैसे ही आध घंटे का एक प्रश्न है और इसके अतिरिक्त कई कमेटियां हैं जिनमें माननीय सदस्यों को जाना है। इसलिए बड़ी मुश्किल है। नेता

[श्री उपाध्यक्ष]

लोग पहले तो अपनी इच्छा जाहिर नहीं करते और बाद में खड़े हो जाते हैं, तो इसमें बड़ी कठिनाई होती है।

श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)--माननीय अध्यक्ष महोदय, यह विधेयक उस सरकार द्वारा लाया गया है जिसने हदबंदी का सिद्धान्ततः विरोध किया है और पिछले सात साल में जब जब सदन में ऐसे मौके आये और इस तरह के विधेयक के पेश करने की कोशिश मेरी ओर से की गई और गैर सरकारी प्रस्ताव गेंदासिंह जी के आये तो तत्कालीन माल मंत्री जी ने सरकार के प्रवक्ता होने की हैसियत से उसका तीव्र विरोध किया है। उसी सरकार ने इस बिल को पेश किया है। नागपुर के प्रस्ताव से मजबूर होकर यह विधेयक पेश किया गया है। इसलिए इस विधेयक को पढ़कर और इसकी धाराओं को जानकर मुझे न कोई आश्चर्य हुआ और न कोई अफसोस ही हुआ।

विधेयक में जिस प्रकार की हदबंदी दी गई है उसके संबंध में मेरा अपना विचार है कि उससे कुछ हजार एकड़ जमीन बच जाय तो प्रदेश का बड़ा सौभाग्य होगा और इसी वजह से माल मंत्री जी ने तथा सरकार ने जिनके पास तमाम तरह की सूचनायें उपलब्ध रहा करती हैं, इस बात का इशारा नहीं किया कि इस विधेयक के पास होने के बाद कितनी जमीन बचेगी। एक बार मुख्य मंत्री जी ने नैनीताल में वक्तव्य दिया था कि १५ लाख एकड़ जमीन बचेगी। जिसने भी उसे पढ़ा उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। इसके कुछ दिन बाद ही उनका बयान आया कि ९ लाख एकड़ जमीन के बचने की आशा है। लेकिन वास्तविकता यह है, जैसा विधेयक है, उसी तरह से पास कर दिया गया, कांग्रेस पार्टी के भीतर भी जो आवाजें उठ रही हैं उसका और विरोधी पक्षों की आवाजों का भी असर न पड़ा तो कुछ हजार एकड़ जमीन ही मुश्किल से बचगी। सरकार की नीति अगर हदबंदी की ओर होती और खेतिहर मजदूरों को जमीन देकर बेरोजगारी और बेकारी दूर करने की ओर कोई चेष्टा होती तो लाखों एकड़ जमीन जो नैनीताल तराई में, मनुनगर और काशीपुर तराई भावर तथा गंगा खादर में तोड़ी गयी होती। उस जमीन को प्रदेश के भूमिहीन और गरीब किसानों को बांटा गया होता। यह भी नहीं किया गया। बड़े पैमाने पर सामूहिक खेती भी नहीं की गयी और आज पूरी तराई इलाके की जमीन इस विधेयक से अलग रखी गयी है। हजारों-हजारों एकड़ के फार्म बने हुए हैं। बड़े-बड़े फार्म हैं। वह सब इससे मुक्त कर दिये गये हैं। मैं नहीं समझता कि इसके पीछे सिवा इस बात के कि यह सरकार मजबूर होकर विधेयक को पेश करती है लेकिन उसकी आत्मा इस विधेयक के स्वयं विरुद्ध है और इस कानून द्वारा वह हमारे प्रदेश में एक घनी खेतिहर अर्थ व्यवस्था स्थापित करना चाहती है, इसीलिये उसने विधेयक को पेश किया है, और कुछ नहीं है।

सारे विधेयक का प्रारम्भ नागपुर कांग्रेस ने तीन चीजें दीं, हदबन्दी, सहकारी खेती और राज्य व्यापार। लेकिन धीरे-धीरे सारा देश यह महसूस कर रहा है कि इन तीनों क्षेत्रों में कांग्रेस पार्टी के कर्णधार एक के बाद एक पर घुटना टेकते चले जा रहे हैं। राज्य व्यापार के बारे में केवल इशारा करूंगा जिस प्रकार केन्द्र के नये खाद्य मंत्री श्री पाटिल जी ने मजाक उड़ाया है, योजना आयोग की सिफ़ारिशों का और राज्य व्यापार के प्रस्ताव का वह इशारा मात्र है कि हवा किधर बह रही है और आगे क्या होने की आशंका है। सहकारी खेती की चर्चा अब करीब-करीब समाप्त प्राय है। हदबन्दी के प्रस्ताव कई प्रदेशों में आये हैं। लेकिन जितनी बड़ी हद रख दी गयी है उससे कोई लाभ नहीं होगा।

डाक्टर बलजीतसिंह, जो लखनऊ यूनिवर्सिटी के अर्थशास्त्र के प्रोफेसर हैं, उन्होंने इस बात को स्पष्ट रूप से बताया है कि ४० एकड़ से ज्यादा के खेतिहर हमारे प्रदेश में २० हजार के करीब हैं अगर ४० एकड़ की हद लगायी जाय तो ५ लाख ८२ हजार एकड़ से ज्यादा जमीन नहीं निकलेगी। सरकार के हिसाब से जो २८ प्रकार की जमीनें हदबन्दी से मुक्त की

गयी हैं उसके हिसाब से डेढ़ लाख एकड़ जमीन निकलेगी। उसके बाद जो परिवार अपनी सहकारी समिति बनायें, वह भी हदबन्दी से मुक्त कर दिये जायंगे। नागपुर कांग्रेस के बाद जो ट्रांसफर हुए हैं और यांत्रिक फार्मों पर भी अपवाद लागू किया गया है। इन सब का नतीजा यह होगा कि कुछ हजार एकड़ जमीन मुश्किल से बचेगी। मैं माननीय मंत्री जी से चाहूंगा कि अपने जवाब में अब भी स्पष्ट करें कि कितनी जमीन उनके हिसाब से बचती है। इस तरह से हम देखें कि पूरा विधेयक अपने उस उद्देश्य को निगेट कर देता है। हदबन्दी के उद्देश्य मेरे विचार से दो हो सकते हैं। एक यह कि देहाती जीवन में जो आदमी आज बेकार है जिन्हें कुछ काम नहीं मिलता, दो रोटी और एक नमक का टुकड़ा भी नहीं मिलता है उनको दो रोटी और एक नमक का टुकड़ा मुहय्या किया जा सके। इसके लिये भूमि का बटवारा होना जरूरी है। दूसरे खेती का उत्पादन बढ़े। यह निश्चित बात है जिन लोगों का सम्बन्ध देहाती जीवन से है, माननीय मालमंत्री जी भी खेतिहर हैं वह भी महसूस करते हैं कि अगर एक बड़ा खेतिहर है जो कि खुद अपने हाथ से खेती नहीं कर पाते, मजदूरों से खेती कराते हैं, पूरे अपने खेत की मिल्कियत और रकबे के ऊपर अच्छे प्रकार से देखभाल नहीं कर पाते, कुछ की देखभाल करते हैं और कुछ में यो ही तोरी, सरसों, तीसी आदि छींट कर अपना कब्जा उस पर जमाये रहते हैं, वह एक राष्ट्रीय हानि करते हैं। इससे राष्ट्र के अन्न भंडार में कमी होती है, उसके लिये जरूरी है कि ऐसी जमीन उनसे लेकर के बांट दी जाय। जिनका देहातों से सम्बन्ध है, उनका अनुभव होगा, वह जानते होंगे कि दस या पांच बीघे के काश्तकार अपनी उतनी ही जमीन में जितनी पैदावार कर लेते हैं उतनी पैदावार एक पुराना जमींदार चाहे वह कितना ही मेहनती क्यों न हो नहीं कर पाता। ऐसी हालत में मैं समझता हूं कि माननीय मन्त्री जी के मौजूदा कानून में जो प्रयास किया गया है उससे समस्या का समाधान नहीं होगा जिसके समाधान के लिए उन्होंने दावा किया है कि यह विधेयक प्रस्तुत किया गया है।

४० एकड़ और ६४ एकड़ के बीच में हद लगाई गई है। लेकिन तीसरे प्रकार की जमीन की हद १२८ एकड़ तक पहुंच जाती है। २ एकड़ और बढ़ जाता है चौपायों के बांधने के लिए और खलिहान वगैरह के लिए तथा १० एकड़ बगीचों के लिए इस तरह से ४० एकड़ से १४० एकड़ तक के बीच में हद लागू हो रही है। आज यह कोई मुश्किल नहीं है, पुराने जमींदारों या जो प्रभावकारी लोग हैं उनके लिए कि वह अपनी फर्स्ट क्लास जमीन को थर्ड क्लास न करा सकें और इस तरह से १२८ एकड़ तक अपनी हद बन्दी करा लें। आज की मौजूदा नौकरशाही के युग में उसके रहते हुए पुराने तिकड़म्बाजों के लिए यह दायें, बायें हाथ का खेल है। ऐसी हालत में यह ४० एकड़ और १४० एकड़ के बीच की हद् मंत्री जी रखेंगे तो इससे कितनी जमीन हमको मिलेगी। मेरा तो ख्याल है और विश्वास है कि अगर पार्टी के बन्धन को हटा दिया जाय कोई पार्टी का व्हिप न हो और फिर इस पर वोट ले लिया जाय तो यह विधेयक इस सदन में अस्वीकृत हो जायगा क्योंकि इधर की जो आवाज उठी है उसको दबाया गया है उन आवाजों को दबा करके एक तरह से जनवाद की भी हत्या की गई है। पार्टी डेमोक्रेसी, इनर पार्टी डेमोक्रेसी उसका भी हनन किया गया है। मेरा विश्वास है और मैं चाहूंगा कि इस पर फ्री वोट हो जाय। इसको हम अविश्वास के रूप में नहीं लेंगे और न किसी को लेना चाहिए। मेरा विश्वास है कि फ्री वोटिंग के बाद यह विधेयक इस रूप में यहां से पास नहीं हो सकता। हमें ऐसा लगता है कि पूंजीवाद और सामन्तवाद का एक ऐसा एलाय, सम्मिश्रण तैयार करने की कोशिश की गई है जिसमें पूंजीवाद के साथ गठबन्धन करके सामन्तवाद अपने को उसके साथ ऐडजस्ट कर ले, इस प्रकार की व्यवस्था स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है जिसमें पूंजीवाद का अपर हैंड हो और सामन्ती तत्व दास की भांति रहें, उसी ओर यह एक कदम है।

दूसरे, जो इसमें अपवाद बताये गये हैं वह भी बड़े आश्चर्यजनक हैं और बहुत ही कन्फ्यूजन पैदा करते हैं। धार्मिक संस्थाओं को छोड़ दिया गया है। साफ नहीं किया गया है कि इसमें वह मठ वगैरह भी हैं जिनके पास बड़ी-बड़ी जमीनें हैं और जिनका कि पूरा दुरुपयोग

[श्री झारखंडेराय]

होता है। मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता। बस इतना ही इशारा काफी है। आप तो उपाध्यक्ष महोदय बहुत करीब के रहने वाले हैं अयोध्या को अच्छी तरह जानते होंगे। माननीय मुख्य मंत्री भी उसके (वाराणसी के) बहुत ही करीब के रहने वाले हैं। वह भी अच्छी तरह से जानते होंगे कि उसका कितना दुरुपयोग होता है। इसलिए उनको इससे मुक्त रखना किसी प्रकार भी उचित नहीं होगा। भूतपूर्व राजा लोग हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे आसमान से कोई गाड गिवेन किंग्स आये हुए थे कि जिनको हर मौके पर आबाद कर दिया जाता है। यह है समाजवाद, यह है जनता के साथ हमदर्दी का नमूना बड़े और छोटे का कृत्रिम भेद बराबर बनाये रखा जाय जो कदम बढ़ाया जाय उससे हमारा नाम भी हो जाय और हो भी कुछ नहीं उद्देश्य यही है। तराई तथा नवतोड़ जमीन के बारे में मैं आपके सामने कह चुका। ऐसी हालत में यह विधेयक, जो पेश किया गया है, अपने किसी भी उद्देश्य में सफल नहीं होगा, न खेतिहर मजदूरों को जमीन मिलेगी, न इससे पैदावार ही बढ़ेगी और न किसी किसान को इससे राहत मिलेगी। किसी भी उस उद्देश्य में यह सफल नहीं हो सकता है जिसकी घोषणा यहां माननीय मंत्री जी ने अपने भाषण में इस विधेयक को पेश करते हुये की है।

सदन को मालूम है कि विनोबा जी का आन्दोलन इसी बात को लेकर चला। विनोबा जी के आन्दोलन का जन्म, तैलंगाना में भूमि के आन्दोलन को लेकर हुआ था। तैलंगाना में भूमि का आन्दोलन इस तरह से हुआ कि वहां भूमि की समस्या बड़ी विकट थी, बड़ा विषम बटवारा वहां पर था। उन्होंने पंडित जवाहरलाल जी को जो रिपोर्ट दी उसमें कहा है कि इतना विषम भूमि का बटवारा शायद ही किसी दूसरी जगह हो जैसा कि तैलंगाना में है। एसी हालत में उन्होंने अपने तरीके पर एक भूमि का आन्दोलन चलाया और तमाम प्रगतिशील जमातें सदा से इसके समर्थन में अपनी आवाज उठाती रहीं। राष्ट्रीय आन्दोलन की शानदार परम्परा का तकाजा रहा कि जमीन का बटवारा किया जाय और खेतिहर मजदूरों तथा गरीब किसानों को जमीन दी जाय जो इस जमीन पर पैदावार करके अपने आप खायें और अपने बाल-बच्चों को खिलाये और देश का अन्न भंडार बढ़ायें। इस उद्देश्य में यह सफल नहीं हो रहा है।

कुछ तर्क यहां पर दिये गये। एक सज्जन ने बताया कि सीलिंग की जरूरत नहीं है बल्कि फ्लोरिंग की जरूरत है। मैं समझता हूं वह यह चाहते हैं कि जिनके पास ५, ६ एकड़ भी जमीन है वह उनसे निकल जाय और वह खा पीकर जिन्दा रह जाते हैं उससे महरूम हो जांय ताकि बेकारों की पलटन शहर की ओर चले और मिल मालिकों को सस्ते मजदूर मिल जांय और जो मजदूरी आज वे देते हैं उससे भी कम मजदूरी पर उनको आदमी मिलें और जो मजदूरों का संगठन है वह भी कमजोर और खराब हो जाय। यह पूंजीवादी व्यवस्था तथा उसके विकास की नंगी दलाली है।

कहा गया कि लैंड सीलिंग की तरह से आमदनी के ऊपर भी हदबन्दी होनी चाहिये। कौन इसका विरोध करता हूं। हम भी चाहते हैं कि जो आज बड़ी-बड़ी तनख्वाहें हैं, बड़े-बड़े पूंजीपति हैं उनको कम कर दिया जाय उनकी आय पर हदबन्दी की जाय। इसलिये मैं यह समझता हूं कि उस तर्क को इस सम्बन्ध में देकर बड़ी जोतों को बनाये रखने का जो प्रयास है, वह निन्दनीय है।

श्री उपाध्यक्ष—अब आपका समय समाप्त हो गया। श्री त्रिलोकी सिंह जी, आपको केवल २० मिनट ही दिये जा सकते हैं।

श्री त्रिलोकी सिंह—मैं १६ मिनट में ही खत्म कर दूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण विधेयक, १९५९ एक संयुक्त प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय, मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। इस विधेयक के द्वारा इस प्रदेश की सेवा होगी ऐसी मेरी धारणा है। मुझे केवल दुःख यह है कि अगर यह नेक कदम आज

से १० साल या ५ साल पहले उठाया गया होता तो जितना फायदा आज होने की उम्मीद की जाती है उससे कहीं ज्यादा फायदा उस समय गरीब जनता को हुआ होता। एक दूसरा रुख माननीय, यह है कि कदम अच्छा है और इरादा भी साफ है लेकिन मुझे इस बात का सन्देह है कि अब भी यह कदम मजबूत नहीं है। लड़खड़ाते कदम हैं और अगर यह लड़खड़ाहट कायम रही तो जो कुछ सेवा इस समय भी सम्भव है, मुझे बहुत दुःख के साथ निवेदन करना पड़ता है, कि वह भी शायद न हो सके।

मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है कि इस प्रदेश की जनता दो हिस्सों में मोटे तौर पर विभाजित है। एक वह है कि जिसके जीवन निर्वाह का साधन कृषि है और दूसरी चाहे वह गांव में रहती हो और चाहे शहर में रहती हो उनके जीवन निर्वाह का साधन कृषि के अलावा दूसरे तरीकों से है। जिन लोगों की जीविका कृषि पर निर्भर है उनकी संख्या १९५१ में ७४ फीसदी से कुछ ज्यादा थी। मोटे-तौर पर उनकी आबादी ३/४ थी। मुझे हैरत हुई, मेरी समझ में नहीं आया कि इस विधेयक के सिलसिले में शहर और गांव का प्रश्न क्यों लाया गया। क्यों अरबन और रूरल इन्कम की चर्चा की गई। कौन नहीं जानता है, और यह निर्विवाद है कि गांव के रहने वाले की आमदनी, जो खेती का रोजगार करता है, उनसे जो खेती का रोजगार नहीं करते, नौकरी करते हैं, व्यापार करते हैं या मजदूरी करते हैं, उनके मुकाबले में कम है। इन ७४ फीसदी द्वारा यदि नेशनल इन्कम के आंकड़ों पर गौर किया जाय तो पूरी आमदनी का मुश्किल से ४५ फीसदी होती है कृषि से। जंगल की आमदनी निकाल दीजिये, क्योंकि उनका जिक्र इसमें नहीं किया गया है। वह तो सब सरकार के हैं। तो ऐसी सूरत में ७४ फीसदी लोग ४५ फीसदी राष्ट्रीय धन पैदा करते हैं और २६ फीसदी लोग पैदा करते हैं ५५ फीसदी धन। खेती करने वाले की आय निश्चित रूप से कम होती है। यह भी कहा गया कि जब किसी और धन्धे में कोई हद नहीं है तो कृषि में यह हद क्यों लगायी गयी? मुझे हैरत हुई। इसी सदन द्वारा एक अधिनियम पास किया गया था हालांकि उसका स्वरूप दूसरा था।

सन् १९५० में जोत पर सीमा निश्चित हुई। दफा १५४ जमींदारी एबालिशन ऐक्ट के अन्तर्गत ३० एकड़ से ज्यादा भूमि जो नया खेतिहर बने नहीं रख सकता था। तो अगर आगे वालों पर ३० एकड़ की सीमा है तो कौन से ऐसे लाल जड़े हैं मौजूदा खेती करने वालों के कि वे हजारों एकड़ खेती रख सकते हैं? सीमा के सिद्धान्त को गत वर्ष स्वीकार हीं नहीं किया गया बल्कि उस पर अमल भी किया गया और फिर उसे हटाकर साढ़े १२ एकड़ कर दिया गया। मुझे मालूम नहीं है, और मैं मशकूर होऊंगा अगर कोई मेरी याददाश्त को ताजा कर सकें या हवाला दे सके १९५० से लेकर १९५९ तक के साढ़े नौ साल में कभी किसी ने खत लिखा हो, अखबार में कहा हो, प्रस्ताव किया गया हो कि सीमा ३० एकड़ से बढ़ाई जाय, कि यह गांव के रहने वालों के साथ अन्याय है। जहां तक ३० एकड़ का सवाल है उसे हमने आगे खेती करने वालों के लिये माना है तो फिर जो खेती करते हैं उनके लिये ऐसा न करना अन्याय की बात है। मेरी मोटी समझ में और मैं इसे नम्रतापूर्वक निवेदन कर देना चाहता हूं, दोनों में मुकाबले की कोई गुंजायश नहीं है।

मेरा आरोप है इस सरकार के खिलाफ कि जितना इसको करना चाहिये, जितने साधन हमको उपलब्ध हैं उनसे उतनी सेवा यह समाज की नहीं करती है। इस राज्य का, इस सरकार का यह लक्ष्य होना चाहिये कि प्रदेश के रहने वालों की अधिक से अधिक सेवा हो और उनको दोनों वक्त कम से कम रोटी खाने को मिले। क्या इस बात से इन्कार है कि इन ७४ फीसदी आदमियों का स्तर दूसरे धंधे करने वालों से कम नहीं है? और अगर कम है तो मैं नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि किसी भी सरकार का फर्स्ट कंसर्न है, उनकी पहली निगाह जानी चाहिये इनकी तरफ। और जब खेतिहरों की तरफ निगाह जाती है तो उनकी तरक्की के दो ही साधन हमारे पास हैं। एक तो औद्योगीकरण, इसका प्रयत्न किया गया और पिछले १० साल से किया जा रहा है लेकिन उसका कोई खास नतीजा आज तक निकल नहीं सका। यह प्रयत्न जारी है, और बिना उस प्रयत्न की सफलता के गांव के जीवन में सुधार नहीं

[श्री त्रिलोकी सिंह]

किया जा सकता। मैं भी इसे मानता हूं, लेकिन दूसरा उपाय है खेती की उपज को बढ़ाना। दुर्भाग्यवश मान्यवर, खेती की उपज बढ़ाने में सरकार के प्रयत्न अभी तक सफल नहीं हुये हैं जिसके मेरी राय में दो उसके मुख्य कारण हैं। एक तो यह है कि किसान को जमीन का मालिक नहीं बनाया गया। चाहे कांग्रेस ऐग्रेरियन रिफार्म इंक्वायरी रिपोर्ट पढ़ी जाय, चाहे कांग्रेस के पुराने ऐलान पढ़े जायं। चाहे राष्ट्रपति ने जो राय दी है वक्तन-फवक्तन उस पर गौर किया जाय, एक बात पर सब मुत्तफिक थे कि जमींदारी अबालीशन के बाद खेतिहर को जमीन का मालिक बनाना चाहिए। आज तक बदकिस्मती से सरकार उसको मालिक नहीं बना पायी। मेरी समझ में नहीं आता कि क्यों न ऐसा कानून पास करें कि जितने सीरदार हैं उन्हें हस्तान्तरण का अधिकार हो, इसमें सरकार का क्या हर्ज है? पैसे कौड़ी का खर्च नहीं, एक कलम यह किया जा सकता है। आज पैदावार क्यों नहीं बढ़ती है? क्योंकि किसानों की हैसियत, जिसे अंग्रेजी में "क्रेडिटवर्दीनेस" कहते हैं, वह नहीं है। सरकार की तकावी लेने जाते हैं तो कहते हैं कि "बचुआ को भूमिधर है तुम्हार जानने वाला उसके दस्तखत कराओ"। अगर जामिन नहीं है तो कर्ज नहीं मिलता। बीज नहीं है, बैल नहीं है, हल नहीं है, उसके पास क्रेडिटवर्दीनेस नहीं है तो कर्ज कैसे मिल सकता है। सबसे बड़ा लैंड रिफार्म यह है जिसे सरकार ने अभी तक नहीं किया और न अभी भी कोई इरादा है कि कब करेगी कि किसान को भूमि का मालिक बनाया जाय। मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि जब जमीन कम है, आदमी ज्यादा हैं, उन को गांव से हटाया नहीं जा सकता है तो उनको रोजगार दिया जा सकता है केवल उन लोगों से जमीन लेकर जिनके पास ज्यादा जमीन है। ज्यादा की हद क्या हो, उसमें मैं नहीं आता, लेकिन कौन नहीं जानता है कि ९४ फीसदी किसानों के पास उत्तर प्रदेश में १० एकड़ से कम भूमि है और ४६ फीसदी के पास एक एकड़ से कम भूमि है। कितनी बुरी दशा इस प्रदेश की है। इतने गरीब लोग हैं कि बेशुमार लैंड हंगर है और यह सभी जानते हैं कि जिसके पास जमीन है उनकी एक हैसियत है, इज्जत है, उनका समाज में एक स्थान है। तो प्रश्न यह है कि इस जमीन को लेकर जो भूमिहीन हैं या वे लोग जिनके पास कम भूमि है उनको यदि दी जाय जिससे वह अपनी गुजर-बसर कर सकें तो कितने लोगों का फायदा होगा? ४० एकड़ की सीमा यदि लगाई जाय तो मेरे खयाल में १५-१६ लाख एकड़ जमीन निकलेगी, यदि २५ एकड़ की सीमा लगाई जाय तो २३ लाख एकड़ निकलेगी और यदि २० एकड़ की लगाई जाय तो ३२ लाख एकड़ आयेगी। इन लैंडलेस लेबरर्स की और कल्टीवेटिंग नान-ओनर्स की संख्या ३६ लाख १९५१ की सेंसस रिपोर्ट के अनुसार है। उसके बाद कुछ घटे बढ़े होंगे। मैं मानता हूं कि इससे ज्यादा फायदा नहीं होगा, लेकिन कम से कम ३० लाख आदमियों को फायदा तो होगा ही उनकी हैसियत बढ़ जायगी, उनको इज्जत मिलेगी यह कोई छोटी बात नहीं होगी, इसलिये कि ३६ लाख की कुल तादाद में परिवार मुश्किल से ७-८ लाख होंगे। उन ७-८ लाख परिवारों को यदि ३२ लाख एकड़ भूमि मिल जायगी तो बहुत से जो आज भूमि वाले हैं उनसे उनकी हैसियत बढ़ जायगी। मेरी राय में काम बहुत जरूरी है और इसके जरिये ज्यादा लोगों को फायदा होगा, जितना किसी औद्योगीकरण से नहीं होने वाला है।

अब मैं यह निवेदन करूंगा कि जो ४० एकड़ की सीलिंग नियत की है वह कम होनी चाहिये। क्यों कम होनी चाहिये? अगर सरकार गौर करे तो इस प्रदेश में डेंसिटी आफ पापुलेशन ४८७ फी इस्क्वायर माइल देहात में है और पूरे प्रदेश का मान्यवर, ५५७ है। गांवों में ४८७ आदमी का औसत किसी दूसरे देश और इस देश में, केवल बंगाल और केरल के इलाके को छोड़कर किसी प्रदेश में नहीं है। यह बड़ी आबादी है, इसको क्या देंगे। जाहिर है कि औद्योगीकरण में दिक्कतें हैं, माल की खपत नहीं है, मोटे कपड़ों को पहनना इस देश की जनता पसन्द नहीं करती, फाइन क्लाथ का इस्तेमाल बढ़ रहा है। इस परिवर्तन से आप टकराव कर सकते हैं लेकिन उससे इनकार नहीं कर सकते। तो इनका बनाया हुआ मोटा माल कौन लेगा। कम से कम सीलिंग द्वारा ३५, ४० लाख आदमियों की भलाई हो सकती

है लेकिन वह कब ? अगर यह सरकार सीलिंग ४० एकड़ से २० एकड़ पर लाये । ४० एकड़ का प्रस्ताव है । इनकी कोशिश है कि बड़े-बड़े फार्म्स बनाकर खेती की पैदावार को बढ़ायेंगे और जब कभी भगवान् न करे कि सूखा का समय आये तो उसकी उपज से यहां के लोगों को अनाज पहुंचायें । मालूम नहीं कृषि का क्या अनुभव इस सरकार का है, उसके पास फार्म्स हैं लेकिन यह निर्विवाद बात है, माननीय राजस्व मंत्री जो कि कृषि मन्त्री भी रहे हैं उनको मालूम होगा कि आस्ट्रेलिया से अच्छी खेती संसार में कम स्थानों में होती है । मैं आपकी आज्ञा से रूरल रिकांस्ट्रक्शन कमीशन आफ आस्ट्रेलिया की रिपोर्ट से कुछ पढ़ना चाहता हूं:

"There have been one or two instances where states have endeavoured to run farms solely for the purpose of supplying to the ordinary market, such ventures have seldom, if ever, proved successful."

अर्थात् कोशिशें की गई हैं एक दो बार कि बड़े-बड़े सरकारी फार्म्स खोले जांय जिनकी पैदावार बाजार में बेंची जाय, लेकिन ऐसी कोशिशें असफल हुई हैं । इसी कमीशन की रिपोर्ट में यह भी लिखा है :

"In other countries those with the sole objective of maintaining supplies are seldom successful."

उन सरकारी फार्मों को, जिनका केवल यह प्रयोजन है कि बाजार में अनाज बेचें उनको कम कामियाबी हुई है । यह दूसरे देशों का अनुभव है, जिनकी पैदावार हमसे तिगुनी और चौगुनी है, जिनकी कृषि के द्वारा हमसे ज्यादा अच्छी है । मन्त्री जी अपने किसी स्टेट फार्म के आंकड़े प्रस्तुत करने की कृपा करें कि वहां कितना पैदा कर लेते हैं तो बात साफ हो जायगी ।

मैं अर्ज करना चाहता हूं कि इसमें यह है कि मेकेनाइज्ड फार्म्स की जमीनों पर सरकारी फार्म्स खुलेंगे । इसमें होना चाहिये कि एक-एक इंच भूमि केवल खेतिहर मजदूरों को दी जायगी । खेतिहर मजदूरों की क्या दशा है, मान्यवर, मैं पहले ही अर्ज कर चुका हूं । नेशनल प्लानिंग कमेटी की राय उनके बारे में यह है :

"This labour is scattered, unorganized, ill-paid, ignored and very scantly nourished, clothed and housed."

अर्थात्, खेतिहर मजदूर बिखरे हुये हैं, इनका कोई संघटन नहीं है, इनको कम मजदूरी मिलती है, बे पढ़े हैं, नासमझ है, खाना भी भरपेट नहीं मिलता है, घर भी ठीक नहीं हैं, कपड़ा भी पहिनने को नहीं है । इसलिये सबसे पहला कर्तव्य, जो सबसे पिछड़ा हुआ वर्ग हो उसकी दशा सुधारना और सिवाय इसके कि यह सीलिंग लगाई जाय और फालतू जमीन लेकर खेतिहर मजदूरों को बांटी जाय, दूसरा उपाय नहीं है । सरकार की यह तजवीज, यह कम्यूनिटी डेवलपमेंट के लिये इस्तेमाल होगी, ठीक नहीं है । मेरा निश्चित मत है कि छोटे खेतिहरों की अगर कोआपरेटिव फार्मिंग न हुई तो पैदावार नहीं बढ़ेगी । हमारे यहां ९४ फीसदी किसान ऐसे हैं जिनकी जमीन १० एकड़ से कम है । कोआपरेशन कहां सफल होता है ? वह होता है बराबर के लोगों में, छुटभइयों में, जिनमें कम फर्क है । कहीं ऐसा भी कोआपरेशन हुआ है कि एक की आमदनी तो हो २,००० रुपये और दूसरे की हो ३२ रुपये ? ऐसा नहीं हो सकता । गांव में यदि पैदावार बढ़ानी है, यह जरूरी है कि सीलिंग रखी जाय । अगर यह ४० एकड़ रखी गई तो जितना लाभ होना चाहिये उतना नहीं होगा ।

इन शब्दों के साथ जो प्रस्ताव माननीय राजस्व मंत्री ने सदन में रखा है मैं उसका समर्थन करता हूं ।

श्री हुकुमसिंह विसेन---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने दोनों तरफ के मित्रों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने अपने-अपने मत इस ५ दिन के विवाद में पूर्ण-रूप से व्यक्त करने की कोशिश की । मैं भाई त्रिलोकीसिंह जी का भी खास तौर से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जिन्होंने मेरे प्रस्ताव का समर्थन किया है । म श्री झारखंडेराय जो

[श्री हुकुम सिंह]

का भी शुक्रिया अदा करता हूं हालांकि उन्होंने न यह कहा कि इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और न विरोध ही कहा।

त्रिलोकीसिंह जी ने कहा है कि यह विधेयक १० वर्ष पहले आना चाहिये था। इसमें कोई ज्यादा मतभेद की गुंजायश नहीं है। जितनी जल्दी शुभ काम हो जाय उतना अच्छा है। लेकिन यह भी एक मिसाल है कि देर आयद दुरुस्त आयद। अगर अब भी यह अच्छा बिल आ गया तो अच्छा ही है। त्रिलोकीसिंह जी को शक है कि जो कदम इस सरकार ने उठाया है वह मजबूत नहीं है। मैं उनसे कहता हूं कि वह अपने कदम के मुताबिक न गिनें। सरकार का कदम मजबूत है।

इस विधेयक के संबंध में कुछ गलतफहमी लोगों में है वरना इतना विवाद और इतना इख्तिलाफे राय न होता। शायद लोग यह समझते हैं कि यही एक विधेयक पूरे मर्ज की दवा है और इसके जरिये लैंडलेस की सभी समस्यायें सरकार हल करना चाहती है। ऐसा खयाल अगर मेरे दोस्तों में है तो सही नहीं है। इसकी पुष्टि के लिये मुझे और किसी सबूत की जरूरत नहीं है। अगर इसके उद्देश्य और कारणों को पढ़ा जाय और प्रस्तावना को पढ़ा जाय तो उससे भी पूरे तौर से साबित होता है कि जिस हद तक हम इस विधेयक से उस मसले को हल कर सकते हैं करने की चेष्टा कर रहे हैं। यह कभी नहीं कहा कि सारे मसले इससे हल हो जायेंगे। तो यह प्रश्न नहीं उठता है कि उतनी जमीन इस कानून से नहीं मिलेगी जो सभी लैंडलेस को मिल सके।

इस विधेयक का एक उद्देश्य और यह है कि विषमता कम की जाय। इस समय बहुत से व्यक्ति ऐसे हैं जिनके पास हजार-हजार एकड़ के फार्म हैं और कुछ हमारे भाई ऐसे हैं जिनके पास छोटी होल्डिंग्स हैं। काफी तादाद ऐसे लोगों की है जिनके पास एक बिस्वा भी जमीन नहीं है। कांग्रेस सरकार ने अपनी नीति बनाई कि हम प्रजातंत्र के सिद्धान्तों के अनुसार धीरे-धीरे सोशलिस्टिक पैटर्न आफ सोसायटी लाना चाहते हैं। इस सिद्धान्त को पूरा करने के लिये हमारा एक प्रोग्राम भी है। उसके अनुसार हमने पहला कदम जमींदारी उन्मूलन का उठाया। मैं अपने को बड़ा भाग्यशाली समझता हूं कि उस विधेयक को भी लाने का सौभाग्य मुझे ही प्राप्त हुआ। हमारे भाई अवधेशप्रतापसिंह जी ने जरा दुख: जाहिर किया कि जब ऐसे मसले आते हैं तो यही राजस्व मंत्री होते हैं। लेकिन मैं क्या करूं? मुझे अवधेशप्रतापसिंह जी की आज की तकरीर में और जमींदारी उन्मूलन के समय की तकरीरों में कोई अन्तर नहीं मालूम हुआ। मेरे कान बिलकुल आदी हैं और मैं आज उनकी तकरीर से परेशान भी नहीं हुआ। लेकिन मैं उनका बड़ा मशकूर हूं कि उन्होंने मेरे ऊपर ज्यादा हमला नहीं किया, मेरे भाई राजनारायण जी पर पूरा कोप उन्होंने उतारा।

(इस समय ४ बज कर १६ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

खैर, उस संबंध में मुझे कुछ नहीं कहना है। इस कानून से हमने किसानों को बड़े बड़े हकूक दिये, उनको सिक्योरिटी आफ टैन्योर मिला, अपनी जमीन के मालिक हुये, सीरदारों को भी भूमिधर होने की पूरी सहूलियत मौजूद है और अगर वे किसी वजह से उससे फायदा उठाना नहीं चाहते हैं तो भी हम ठीक मौके से ठीक विधेयक के बारे में उस पर विचार कर सकते हैं। लेकिन जहां तक इस बिल का ताल्लुक है, वह इसकी परिधि के बाहर की बात है। इसलिये इस सिलसिले में मेरे लिये कुछ कहना अनुचित होगा। उसके साथ-साथ हमारे किसानों को बेगार, हरी देने से और नजराना देने से और मुर्गा बनने से भी छुट्टी मिली। अब उनको सीना उठा कर चलने का मौका है। कोई फर्क हुआ है या नहीं हुआ है। उग्रसेन जी के हिसाब से फर्क नहीं होगा लेकिन जनता महसूस करती है और उसको पूरा अहसास है कि तब से अब बहुत अन्तर हो गया है। जिन्होंने उन लोगों से सम्पर्क स्थापित किया है वे समझते हैं कि जो बात मैं कहता हूं वह सत्य है।

यह सीलिंग का जो बिल है वह हमार प्रोग्राम का दूसरा स्टेप है । जमींदारी अबालीशन के बाद अपने मकसद को पूरा करन के लिये इस सीलिंग के बिल को लाने की जरूरत थी । अगर किसी पोलीटिकल पार्टी के भाई इससे ऐसा समझते हैं कि उनके स्लोगन्स की वजह से ऐसा बिल आया है और अगर उससे उनको खुशी होती है तो मैं उनकी खुशी में बाधा डालना नहीं चाहता । वह हंस लें लेकिन यह हमारे प्रोग्राम का दूसरा स्टेप है ।

सिद्धान्त की बहुत-सी बातें कही गयीं । मैं सब बातों को पेशेंस के साथ सुनता रहा और मैं चाहता हूं कि माननीय सदस्य मुझको अपनी बात कहने का मौका देंगे । सोशलिज्म की बात कही गयी । लेकिन सोशलिज्म के यह माने तो नहीं हैं कि एक शख्स को तो गरीब कर दीजिये, नंगा कर दीजिये, जैसी कि झारखंडेराय जी और यादव जी की राय हो सकती है, क्योंकि उनका तो गेम ही इसी में है, और दूसरे शख्स को ऊपर न उठाइये तो इससे क्या लाभ । ऐसा तो वे ही कह सकते हैं । हमारे दोस्त कम्युनिस्टों को तो इसी में प्रसन्नता होगी कि जितनी गरीबी और डिसकंटेंट इस सूबे में फैल जाय उतना ही उनके लिये अच्छा है । लेकिन अब जनता उनको खूब समझ गयी है । अभी हाल में उनके जो वाकयात जनता ने देख हैं वे उनके दिमाग में ताजा है । अगर आप पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स को पढ़ें तो आपको इसका आभास मिल सकता है । अनपढ़ लोग भी अब इससे खूब वाकिफ हो गये ह । अब उनके जाल में आने वाले नहीं हैं । इसलिये मैं उस सोशलिज्म के बहुत खिलाफ हूं कि जो अच्छा है उसको गरीब कर दें । मैं कहता हूं कि आप अपनी विषमता को मिटाइये, लोगों को एक दूसरे के नजदीक लाइये । यह कहां की अक्लमंदी है कि भाई त्रिलोकीसिंह जो सफेदपोश हैं उनको आप नंगा कर दें और नंगे को आप पोशाक न दे सकें मैं इसमें विश्वास नहीं करता । अगर किसी को धक्का लगता है तो सबसे ज्यादा फायदा उन लोगों को होना चाहिये जो गरीब हैं, हीन हैं और परेशान हैं । केवल एक बात तो यह मालूम होती है और अगर इसके अलावा जो बात कही जाती है तो मेरी समझ में नहीं आया, और लोग समझें हों तो समझें ।

एक दिक्कत हमारे सामने और रही । मैंने बड़े व्याख्यान सुने और आपके अमेंडमेंट्स और रेज्योल्यूशन भी देखे जो पेश किये गये । कोई कहता है कि इसे प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय, हमारे दोस्त राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे जो जनसंघ के नेता हैं और भारतीय जनसंघ के सिद्धान्तों में यकीन करने वाले हैं, उन्होंने कहा कि इसे प्रवर समिति में भेज दिया जाय ताकि वक्त की किफायत होगी । मेरी समझ में तो यह बात आयी नहीं कि एक मर्तबा प्रवर समिति यहां की हो और बिल आये, रिपोर्ट यहां सदन में पेश हो, तब हम लकर जायं कौंसिल में और फिर वहां प्रवर समिति में तरमीमात हों और फिर उसे लेकर हम यहां आवें, तो इससे वक्त में किफायत होगी, यह आर्गूमेंट मेरी समझ में आया नहीं । अगर श्री त्रिलोकी सिंह की समझ में आया हो तो वे मुझे बाद में बतला देंगे । तो इससे मैं यही नतीजा निकालता हूं कि इन सबका मंशा यही है कि इसमें डिले करें । एक जगह एक अमेंडमेंट की नोटिस है कि इसे प्रवर समिति में भेज दिया जाय जो १५ दिन में रिपोर्ट पेश करे । उसमें श्री राघवेन्द्रप्रतापसिंह जी के दस्तखत हैं । एक अमेंडमेंट आगे है कि उसे ६ महीने के लिये सरक्यूलेट कर दिया जाय । तो इस तरह से इख्तलाफ राय है तो मैं किस राय को मानूं ?

श्री चन्द्रजीत यादव की एक तरमीम है कि इस बिल को हर एक गांव के किसान संगठन में घुमाया जाय और उसकी रिपोर्ट आवे । कब आयेगी, कब नहीं, यह तो एक टैक्टिस है कि इधर कहते हैं कि हम चाहते हैं कि लैंडलेस को जमीन मिले और उधर डिले भी करना चाहते हैं । यह बात मेरी समझ में आयी नहीं कि आखिर लोगों की मंशा है क्या ? कोई कहता है साढ़े १२ एकड़ हो, कोई कहता है साढ़े १२ एकड़ से २० एकड़ तक हो, कोई कहता है कि २० से २५ एकड़ तक हो, कोई कहता है ३० एकड़ तक हो । श्रीपाल सिंह और श्री अवधेशप्रतापसिंह ने कहा कि सीलिंग की कोई आवश्यकता ही नहीं

[श्री हुकुमसिंह विसेन]

है। जब आपस में ही इतफाक नहीं है तो फिर ऐसी हालत में तो मैं अपनी ही बात मानूंगा। "दे आर नाट एबिल टु मेक देयर माइंड" तो फिर मैं किसकी बात मानूंगा। तो यह जो सीलिंग ४० एकड़ तक रखने की बात है उसके लिये कहा जाता है कि इससे कोई रकबा नहीं मिलेगा। वाकई में जो फीगर्स मुझे मिले हैं उससे मालूम हुआ है कि इस बीच में काफी ट्रान्सफर हुए हैं और उनसे यह पता चलता है कि ६ लाख एकड़ मिलने का जो हमारा पहले अनुमान था अब ट्रांसफर हो जाने के बाद उनका शुमार करना मुश्किल है।

एक सदस्य—आपने पहले से रोका क्यों नहीं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—मालूम होता है कि माननीय सदस्य ने कांस्टीट्यूशन को पढ़ा नहीं है, अगर वे उसे पढ़ लें तो उनको मालूम हो जाय कि इस तरह से किसी को कोई रोक नहीं सकता है। श्री भुवनेशभूषण जी के लिये मैं और क्या कहूं सिवा इसके कि उन्होंने इस बिल को ध्यान से पढ़ा नहीं तो मैं अर्ज कर दूं कि ४ लाख ३७ हजार एकड़ के लगभग जमीन हमको अब भी मिल सकती है, ऐसा मेरा अपना अनुमान है। इसमें कुछ कमी भी हो सकती है, कुछ इजाफा भी हो सकता है। ट्रान्सफर के बाद हमारा यह अनुमान है कि श्री बलदेवसिंह वगैरह ने जो ट्रान्सफर करा लिये हैं उसके बाद भी हमें इतमिनान है कि इतनी जमीन हमें मिलेगी। मैंने बलदेवसिंह की जबानी बात कही, मुझे जाती इल्म नहीं है।

श्री बलदेवसिंह (जिला गोंडा)—अध्यक्ष महोदय, मेरा नाम आ गया है तो मैं सफाई दे दूं कि मने कौन से ट्रान्सफर करा दिये हैं वह जरा बता दें ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—उनके लड़कों ने दावा करके डिग्री कराई और बटवारा करा लिया।

इसके अलावा मेरा कहना यह है कि हमारे पास गांव समाज की जमीन है, ५० प्रतिशत अनकल्चरेबिल वेस्ट को निकाल कर २४,३८,९५८ एकड़ है और ९० लाख एकड़ के करीब वह है जो गांव में वेस्ट हुई, उसमें से कुछ रिजर्व कर ली डेवलपमेंट परपजेज के लिये और बाकी ८३ लाख एकड़ कुछ आदमियों को एलाट की गई है। ५३ हजार एकड़ के करीब लैण्डलेस को जमीन दी गई, इस तरह से हमारे पास २४,३८,९५८ एकड़ जमीन आ जायगी। इसके अलावा भूदान की कमेटी को ३ लाख एकड़ जमीन मिली, उसमें से कुछ का अलाटमेंट हुआ है और उसके बाद २ लाख एकड़ के करीब जमीन बाकी है लेकिन उसमें से ५० प्रतिशत मुतनाजा और नदी वगैरह की है जो बड़ी उदारता से लोगों ने दे डाली थी, उसको निकाल कर ९७ हजार एकड़ के करीब यह जमीन हमारे पास रह जाती है। इस तरह से २९,६२,९६७ एकड़ जमीन हमारे पास है तो इस जमीन से लैंडलेस भाइयों की सेवा की जायगी। यह कहना कि सीलिंग से कोई लाभ नहीं है, उधर से श्री भीखालाल जी ने कहा कि यह बिल एक फार्स है और उसमें कोई तत्व नहीं है।

एक सदस्य—यह जमीन बांटेंगे लैंडलेस को ?

श्री अध्यक्ष—जब तक वह बैठे नहीं आप न बोलें।

श्री हुकुमसिंह विसेन—वह सुन लें तो कोई शक न रह जायगा और अगर नहीं सुनेंगे तो उनके शक बने रहेंगे और वकीलों को कन्सल्ट करना होगा और पैसा देना होगा। तो मैं भीखालाल जी से कहूंगा जिन्होंने कहा कि फार्स है, कि वनसोज दि रिफ्लेक्शन आफ हिज ओन हार्ट। उनको तो ऐसा ही नजर आयेगा। मैं अपना वक्त खराब नहीं करता, वक्त कम है। यहां ५ दिन तक बहस हुई और ५० मेम्बर से अधिक बोले, मैं हर एक की खबर ले लूं, यह कैसे ले सकता हूं। अब मैं सामूहिक ढंग से कुछ प्वाइंट्स का जवाब दूंगा। जहां तक सीलिंग का सम्बन्ध है जैसा कि मैंने बताया कि ४० एकड़ के हिसाब से इतनी जमीन बच जाती है लिहाजा कोई परेशानी या हैरानी की बात नहीं है।

एक बात और कही गई, कुछ माननीय सदस्यों ने कहा और हमारे दोस्त भाई झारखंडे राय जी ने कहा ....

श्री सुरथबहादुरशाह (जिला खीरी)---अध्यक्ष महोदय, मैं एक प्रश्न कर सकता हूं....

श्री हुकुमसिंह विसेन---इस वक्त नहीं, सवाल ११ से १२ बजे तक पूछे जाते हैं।

श्री अध्यक्ष---वह बैठ नहीं रहे हैं, आप ही बैठें।

श्री त्रिलोकीसिंह---अध्यक्ष महोदय, आपका मैं बड़ा मशकूर होऊंगा अगर वह जरा सी सफाई कर दें, जैसा कि उन्होंने कहा कि मुझे अपने ढंग से साफ करने दीजिये। यह २४ लाख एकड़ ....

श्री हुकुमसिंह विसेन---हमारे कुछ मित्रों ने कहा है कि गांव में क्यों सीलिंग लगाई गई और इंडस्ट्रियलिस्ट्स पर क्यों नहीं लगाई गई। १३ अगस्त, सन् १९४६ को एक प्रस्ताव इसी सदन में हमारे मुख्य मंत्री ने रखा था और सदन ने पास किया था कि:---

"This Assembly is of opinion that liquidation of capitalism in all its forms is essential to the well-being of society and trusts that necessary steps to bring about the socialization of the principal means of production, exchange and distribution will be taken as soon as possible."

मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि पहले ही सरकार के दिमाग में यह बात है। श्री नवलकिशोर जी ने कहा कि बड़े-बड़े अफसरों की तनख्वाह क्यों नहीं कम कर दी जाती है? डाक्टर की और वकील की इन्कम पर सीलिंग क्यों नहीं की जाती? एक एम्पलायमेन्ट टैक्स ऐक्ट सन् १९३८ या १९३९ में पास हुआ था कि सबकी सैलेरीज पर टैक्स लगाया जाय। बड़ा एजीटेशन हुआ, बारादरी में बड़ी-बड़ी मीटिंगें हुईं। त्रिलोकीसिंह जी उस जमाने में यहां थे। बहुत से मेम्बर नये हैं वह उस वक्त नहीं थे और उन्होंने पढ़ने की भी तकलीफ नहीं की इसलिये उन्हें मालूम नहीं है। उस पर गवर्नर जनरल ने कंसेंट नहीं दी। तो यह कहना कि इस सरकार ने कोशिश नहीं की, ठीक नहीं है। हम तो पहले से ही कोशिश करते आए हैं। यह कोई नई बात नहीं बताई गई है इतना हमारा अख्तियार होता है कि हम रिकमेन्ड करें लेकिन अगर मन्जूर न हो तो कसूरवार यह सरकार नहीं कही जा सकती।

ट्रांसफर के बारे में हमारे मित्रों ने कहा और बड़ा जोर दिया। संविधान पढ़ लें। आर्टिकिल १९, सब क्लाज (एफ) मौजूद है। हम उसमें रीजनेबिल रेस्ट्रिक्शन कर सकते हैं और रीजनेबिल रेस्ट्रिक्शन के अलावा हम और कोई रोक-थाम नहीं कर सकते नहीं तो आर्टिकल १९ के खिलाफ पड़ जायगा और अल्ट्रा वायरस हो जायगा। रीजनेबिल रेस्ट्रिक्शन हमने जमींदारी अबालीशन में किया। धारा २३ में रख दिया था कि १ जुलाई, १९४८ के बाद ट्रांसफर या पार्टीशन वगैरह करके रीहैबिलिटेशन ग्रान्ट अगर लोग बढ़ाना चाहेंगे तो रिकग्नाइज़ नहीं होगा और यह समझा जायगा जैसे कोई पार्टीशन नहीं हुआ। धारा ७७ जमींदारी अबालीशन ऐक्ट में रखा था, ८ अगस्त, १९४६ को एक प्रस्ताव पास हुआ था इसी सदन में कि जमींदारी उन्मूलन के सिद्धान्त को मंजूर किया जाय, तो उसी तारीख से लोगों को नोटिस हो गया कि अब जमींदारी उन्मूलन होगा लिहाजा उसके बाद लोगों में यह बात पैदा हुई किसी तरह से ट्रस्ट कर दे, ट्रांसफर कर दें तो उस पर भी यह रुकावट लगा दी गई थी कि उस तारीख से न करें। यहां भी हमने रेस्ट्रिक्शन रखा है ताकि हाई कोर्ट में रीजनेबिल समझा जाय क्योंकि हमारे मित्र जिन्होंने यह एतराज किया है उनको अधिकार नहीं है रीजनेबिल और अनरीजनेबिल तय करने का। हाई कोर्ट का अधिकार है केवल और हम लोगों के बस की बात नहीं है। लिहाजा हमारा प्रयास है कि कोई ऐसी बात विधेयक में न लायें जिससे

[श्री हुकुमसिंह विसेन]

हमारा बिल अल्ट्रा वायरस करार दिया जाय और हमारी और आपकी बदनामी हो । क्योंकि बिल पास हो जाने के बाद हाउस की जिम्मेदारी हो जाती है । यह कहने की गुंजायश न रहे ऐसा हमने प्रयास किया है ।

(व्यवधान)

देखिये जो इधर-उधर की बेसूद बातें होती हैं मैं उनको नहीं सुनता । जिससे कुछ मतलब निकले और प्रदेश का भला हो उन्हीं बातों को सुनने के लिये तैयार हूं ।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)---आपको छेड़-छाड़ करके लोग लुत्फ लेते हैं ।

श्री हुकुमसिंह विसेन---बहुत अच्छा तो हमारी कोठी पर आइये और छेड़ छाड़ वहां सुनिये यहां क्यों वक्त खराब करते हैं । हमारे भाई मदन मोहन जी ने कहा था कि साढ़े बारह एकड़ की सीलिंग हो और यह भी उसी सिलसिले में कहा था कि ऐग्रीकल्चर इंडस्ट्री बड़ी प्रीकेरियस है । वाकई है । मौसम पर मुनहसिर है सब कुछ । तो मैंने पूछा था कि जरा इस बात को समझा दीजिये कि जब इतनी प्रीकेरियस है तो साढ़े बारह एकड़ में कैसे काम चलेगा ? उन्होंने समझाने की कोशिश की लेकिन मेरी समझ में नहीं आयी । और गालिबन वह भी साफ तौर से नहीं समझा सके ।

दूसरी बात यह कि हमारे महीलाल जी ने एक बात कही थी कि जो छोटी-छोटी जोतें हैं वही ज्यादा प्रोडक्शन कर सकती हैं क्योंकि कम्पटीशन में हमेशा उन्हीं को इनाम मिला । यह बात सही नहीं है । हमने जो पता लगाया तो मालूम हुआ गन्ने में १९५५-५६ में जगमोहन सिंह, हरदोई जिले के हैं, इन्होंने १,७८६ मन फी एकड़ गन्ना पैदा किया और १९५७-५८ में काशीपुर में सर ऐसकोर्ट साहब को मिला उन्होंने २,४२४ मन फी एकड़ पैदा किया और यह बहुत बड़े जमींदार हैं । तो यह सिद्धान्त कि इनवैरिएबिली छोटी काश्त वालों को ही इनाम मिला ठीक नहीं है ।

अब गेहूं के सम्बन्ध में यह बतलाना चाहता हूं कि १९५४-५५ में लज्जा राम बहुत बड़े फार्मर हैं उन्होंने ४८ मन ६ सेर पर एकड़ पैदा किया । १९५५-५६ में शान्ति जैन ने ४४ मन ३३ सेर फी एकड़ और १९५७-५८ में रंधीर सिंह ने ४२ मन ३८ सेर फी एकड़ पैदा किया । लिहाजा यह सिद्धान्त ले डाउन कर देना कि छोटे एरिया में ही हमेशा ज्यादा प्रोडक्शन होता है यह ठीक नहीं हो सकता । कुछ केसेज में ठीक हो सकता है ।

एक बात मेरे भाई महीलाल जी ने कही थी । कोई हरिजन अखबार है उसमें महात्मा गांधी जी की बात को कोट की कि छोटी होल्डिंग्स में ज्यादा पैदावार होती है । बिलकुल ठीक है । वह जुमला याद आ गया लेकिन उसमें यह कहीं नहीं है कि इतना एरिया स्माल होल्डिंग में होगा, लिहाजा मैं कहता हूं कि ४० एकड़ स्माल होल्डिंग है । उससे भी इस तरह से कोई अन्तर नहीं पड़ता है ।

श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)---स्टेट फार्म्स में पर एकड़ क्या पैदावार है यह जरा बतला दीजिये ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---इसके लिये सवाल जब कीजियेगा तब नोटिस मान कर उत्तर दे दूंगा । आपके पास केवल स्टेट फार्म है लेकिन मेरे पास रेवेन्यू डिपार्टमेंट, रिहैबिलिटेशन और न्याय विभाग है और इन सबका बोझ मेरे ऊपर है । यह उम्मीद करना कि मैं जबानी सब बातें याद रखूं यह मेरे लिये सम्भव नहीं है । आपके लिये केवल स्टेट फार्म है । बहुत से स्टेट फार्म्स हैं जिनमें मुनाफा भी है और बहुत से ऐसे हैं जिनमें घाटा है । जो डिमांस्ट्रेशन वाले फार्म्स हैं, जिनका काम अच्छा सीड पैदा करना है उनमें मुनाफा नहीं हो सकता । सरकारी फार्म्स में कतई मुनाफा नहीं होता यह कहना गलत है । त्रिलोकीसिंह जी ने कहा कि

बाजार में बेच नहीं सकते। हम बेचते कब हैं? हम तो रिजर्व करते हैं और आफत नागहानी में काम आये इस लिहाज से स्टोर करते हैं, बाजार ले जाने का कतई हमारा मंशा नहीं होता।

श्री त्रिलोकीसिंह--छः-छः वर्ष तक गेहूं रखना होगा।

श्री हुकुमसिंह विसेन--ज्यादा दाम बढ़ें तो सबसिडी देकर जनता की सेवा कर सकते हैं। कास्ट आफ प्रोडक्शन ज्यादा बढ़ जाय तो सबसिडी दे सकते हैं। जनता का धन है, उसका माल है, हम आप कौन होते हैं, हम उसकी सेवा इस तरह से भी कर सकते हैं।

श्री उग्रसेन--कम्पेनसेशन का सिद्धान्त तो बतलाइये।

श्री हुकुमसिंह विसेन--हमने बहुत दरियादिली से काम किया, हमने शिड्यूल में दे दिया है। माननीय उग्रसेन जी ने पढ़ा होगा। दोहरा कर सदन का वक्त नहीं लेना चाहता। अगर नहीं पढ़ा होगा तो फिर पढ़ लेंगे।

एक बात और कह देना चाहता हूं। हमारे मित्र अवधेशप्रतापसिंह को उससे इतमीनान नहीं है और आप मुआवजे के विरुद्ध हैं लेकिन कांस्टीट्यूशन में आर्टिकिल ३१ रखा हुआ है उसे भी पढ़ लीजिये। आप पढ़ते-लिखते तो हैं नहीं और ऐतराज कर देते हैं। हम कहां तक सिखायें और फिर मोतीलाल जी आपके पड़ोस में हैं तब भी आप पढ़ते नहीं। बड़ी मुश्किल बात है। आर्टिकिल ३१ में यह दिया हुआ है कि किसी की प्रापरटी जनहित में भी बिना कम्पेन्सेशन के नहीं ली जा सकती है और वह जस्टिसेबिल भी नहीं है। जमींदारी अबालीशन के समय हमारे बुजुर्ग नेता भी माफिक थे कि मुआवजा दिया जाय और उनकी स्पीचेज भी रिकार्ड में हैं। पुराने लोग ज्यादा समझदार होते थे वह ऐसी बात नहीं कहते थे जो बेकायदा हो। यह तो देवरिया से ही फिजा आई है जो आप सब कुछ कह सकते हैं तो कम्पेनसेशन देना लाजमी है और उसी के मुताबिक शिड्यूल में रेट भी रखा है। हमारे कुछ मित्रों ने . . . .

श्री राजनारायण--श्रीमन्, मेरा वैधानिक प्रश्न यह है कि जो व्यक्ति दुनिया में नहीं है उनके नाम को संकेत करके सत्य बात कहें और उसको सफाई का मौका भी नहीं रहेगा तो क्या यह उचित है?

श्री अध्यक्ष--उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया।

श्री राजनारायण--श्रीमन्, आचार्य नरेन्द्रदेव जी के लिये कह रहे हैं और गलत बात कह रहे हैं।

श्री हुकुमसिंह विसेन--मैं तो सही बात कह रहा हूं। आप असत्य कह रहे हैं। हमारे मित्रों ने कुछ दफात के बारे में एतराज किये हैं उसके लिये काफी मौका है, इसलिये उसकी तफसील में जाना नहीं चाहता हूं। यह ज्वाइंट सिलेक्ट कमेटी में जायगा वहां इस पर विचार हो सकता है और कुछ त्रुटियां बाकी रह जायंगी तो सदन के सामने आयेगा और उस पर यहां विवाद होगा। हर माननीय सदस्य का अधिकार होगा कि जो मुनासिब संशोधन समझे उसे पेश करे और सदन यदि उसको मुनासिब समझेगा तो मंजूर करेगा। लिहाजा डिटेल में जवाबदेही करना न तो मुनासिब ही है और न समय ही है। लिहाजा मैं अर्ज करूंगा कि सदन मेरे इस प्रस्ताव को स्वीकार करे।

श्री अध्यक्ष--अब मैं संशोधन पहले लिये लेता हूं। पहला संशोधन राजा यादवेन्द्रदत्त जी दुबे का है, जो इस प्रकार है कि--

"उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण विधेयक, १९५९ इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय, जो १५ दिन के भीतर अपनी रिपोर्ट सदन के सम्मुख प्रस्तुत करे।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष---दूसरा संशोधन राजा वीरेन्द्रशाह जी का है कि--

"उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण विधेयक, १९५९ को जनमत संग्रह के हेतु वितरित कर दिया जाय। यह संग्रह आगामी ६ मास में प्राप्त करके उस पर आधारित प्रतिवेदन सहित विधेयक प्रस्तुत किया जाय।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण विधेयक, १९५९ को एक संयुक्त प्रवर समिति को निर्दिष्ट कर दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश सार्वजनिक भूमि (बेदखली और लगान तथा हानिपूर्ति की वसूली) विधेयक, १९५९

श्री अध्यक्ष---अब मैं समझता हूं कि यू० पी० पब्लिक लैंड (एविक्शन ऐण्ड रिकवरी आफ रेंट ऐण्ड डैमेजस बिल) इसके ऊपर विचार प्रारम्भ कर दिया जाय या दूसरा काम ले लिया जाय। (कुछ देर रुककर) आज विधेयक लेने का शायद इरादा नहीं है। इसलिये जो आध घंटे का विवाद है वह प्रारम्भ होगा।

२७ अगस्त, १९५९ के तारांकित प्रश्न २७-२९ से सम्बद्ध शाहजहांपुर में स्प्रिट से बनाई गयी शराब के व्यापार के विषय में नियम ५० (१) के अन्तर्गत विवाद

श्री अध्यक्ष---शाहजहांपुर नगर में स्प्रिट से बनाई गई शराब के व्यापार से संबंधित श्री देवनारायण भारतीय के २७-८-५९ के तारांकित प्रश्न संख्या २७-२९ पर माननीय सदस्य द्वारा उठाये गये प्रश्न के विषय में नियम ५० (१) के अन्तर्गत विवाद प्रारम्भ होता।

श्री देवनारायण भारतीय (जिला शाहजहांपुर)---माननीय अध्यक्ष महोदय, २७ अगस्त, १९५९ को मेरे कुछ प्रश्नों का उत्तर माननीय आबकारी मंत्री की ओर से दिया गया। मेरे प्रश्नों की संख्या २७-२९ थी। उनके उत्तर में माननीय मंत्री जी ने कुछ ऐसी बातें कहीं जिनसे मुझे यह वाद-विवाद मांगना पड़ा। पूरक प्रश्नों के उत्तर में माननीय मंत्री जी ने यह कहा कि जब यह तलाशी हुई और यह शराब बरामद हुई उस समय आबकारी विभाग के कर्मचारी भी उपस्थित थे जबकि वास्तविकता इसके विपरीत है--घटना इस प्रकार है। शाहजहांपुर में एक मन्नी लाल गंगाराम नाम की फर्म है। वह वहां एक बड़े धनी व्यक्ति हैं। उनकी कई एक फर्म्स हैं जो राधे लाल, श्री लाल, गंगाराम मन्नी लाल, गंगाराम राधेलाल भिन्न-भिन्न नाम से हैं। मन्नी लाल जी शराब, अफीम, गांजा के प्रान्त भर में प्रसिद्ध ठेकेदार भी हैं और तस्कर व्यापारी भी हैं। प्रायः ३०-४० जिलों में शराब, अफीम और गांजा का ठेका लेते हैं और बहुत बड़े पैमाने पर तस्कर व्यापार भी करते हैं। मुझे आबकारी कमेटी का एक सदस्य होने का सौभाग्य १९५८-५९ में प्राप्त हुआ। जब-जब कमेटी की बैठकें हुईं मैंने चूंकि मेरे जिले का मामला था और मेरी जानकारी में था, बराबर इस विषय को उठाया और माननीय आबकारी कमिश्नर और आबकारी मंत्री का ध्यान इस ओर आकर्षित किया कि इस तस्कर व्यापार को रोका जाय। परन्तु पिछले तो दीन वर्षों में बराबर याद दिलाने पर भी इस ओर कोई कार्यवाही आबकारी विभाग से नहीं की गयी।

मैं एक बात और कह देना चाहता हूं। स्थानीय पुलिस अधिकारियों ने कई बार इस बात का प्रयत्न किया कि आबकारी विभाग के कर्मचारियों के सहयोग से मन्नी लाल के यहां

कोई अनुचित चीज बरामद की जा सके, लेकिन हर बार वे अपने इस प्रयत्न में निष्फल रहे। इस बार २३ जुलाई, १९५९ को स्थानीय पुलिस ने फिर प्रयत्न किया और स्थानीय आबकारी कर्मचारियों को कोई सूचना नहीं दी क्योंकि उनको सूचना देने से संबंधित व्यक्ति के पास सूचना पहुंच जाती थी। उन्होंने तलाशी ली और कई हजार बोतलें स्प्रिट की और स्प्रिट से बनी हुई शराब और वह सब सामग्री जिसको वे प्रयोग करते थे शराब बनाने में और एक ऐसे जहर की बोतल भी बरामद हुई जिसको मिला कर वह स्प्रिट को असली शराब से भी तेज नशीली चीज बना दिया करते थे। ये सारी चीजें बरामद हुईं। इस बात को सामने लाने के लिये कि जनता जान जाय कि आबकारी विभाग के कर्मचारियों ने अपने कर्त्तव्य का ठीक पालन नहीं किया और यह बात सदन के सामने आ जाय कि इस मर्तबा आबकारी विभाग के कर्मचारियों के सहयोग न लेने पर ही स्थानीय पुलिस उस तस्कर व्यापारी को रंगे हाथों पकड़ने में सफल हो सकी। मैंने यह प्रश्न सदन के सामने किये थे।

मैं इस सम्बन्ध में श्रीमन्, एक बात और कह देना चाहता हूं कि ये मन्नीलाल जी एक बहुत बड़े लखपती और धनी होने के साथ-साथ कांग्रेसी भी समझे जाते हैं और उनके साझीदार के लड़के श्री राममूर्ति अंचल सन् ५७ के आम चुनाव में कांग्रेसी उम्मीदवार इस विधान सभा के भी थे और उनके कांग्रेसी होने के नाते स्थानीय अधिकारी उनके खिलाफ कदम उठाने में हिचकिचाते रहते हैं। आबकारी विभाग के कर्मचारी उनके खिलाफ कभी कोई बात नहीं करना चाहते क्योंकि उनसे इतना ज्यादा रुपया वहां के स्थानीय आबकारी विभाग के कर्मचारियों को दिया जाता है कि जिसके कारण वे चुप रहते हैं और जब कभी भी इस बात का प्रयत्न किया जाता है कि वे पकड़े जायं तो आबकारी विभाग के कर्मचारियों के सहयोग से ही वे बच जाते हैं। इन सब बातों के होते हुये भी मुझे बहुत दुख हुआ उस दिन जब माननीय आबकारी मंत्री की ओर से यह कहा गया कि जब तलाशी हुई तो आबकारी विभाग के कर्मचारी भी तलाशी के समय और बरामदगी के समय उपस्थित थे। मैं श्रीमन्, आपके द्वारा माननीय आबकारी मंत्री से यह निवेदन करना चाहता हूं कि मेरी व्यक्तिगत जानकारी है इस बारे में कि इस मर्तबे स्थानीय पुलिस ने केवल अपनी जिम्मेदारी पर बगैर आबकारी विभाग को किसी प्रकार की सूचना दिये हुये मन्नी लाल जी के मकान की तलाशी ली थी और तभी वह अपने प्रयत्न में सफल हुये और इतनी बड़ी बरामदगी कर सके। ऐसी सूरत में माननीय मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है उससे मैं समझता हूं कि जो वस्तुस्थिति है उस पर परदा पड़ता है और मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी इसका स्पष्टीकरण करेंगे।

परिवहन मंत्री (डाक्टर सीताराम)––माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय भारतीय जी एक्साइज स्टैंडिंग कमेटी के एक सदस्य हैं। जुलाई, सन् १९५८ में स्टैंडिंग कमेटी के सामने यह आपत्ति उन्होंने की थी कि शाहजहांपुर जिले में तस्कर रूप में अफीम का व्यापार किया जाता है और साथ ही साथ उन्होंने श्री मन्नीलाल जी के बारे में भी कहा था। इस सम्बन्ध में जिलाधीश के द्वारा जांच कराई गई और जांच के पश्चात् सारे अधिकारी इस नतीजे पर पहुंचे कि जो माननीय भारतीय जी का आक्षेप था वह ठीक नहीं था। साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा है कि मन्नीलाल जो तस्कर व्यापार करते थे। एक स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग, जो जुलाई, सन् १९५९ में हुई है उसमें माननीय भारतीय जी से कहा गया कि अगर वह लिखित रूप में इस तरह की कोई शिकायत करें तो उस पर कार्यवाही की जायगी। माननीय भारतीय जी ने स्टैंडिंग कमेटी में यहां तक कहा था कि उनको डर है जान से मार डाले जाने का। स्टैंडिंग कमेटी की प्रोसीडिंग है। अगर आपकी आज्ञा होगी तो पढ़ दिया जायगा। लेकिन कहने का यह मतलब था कि इसके पश्चात् कार्यवाही होती रही। कार्यवाही के पश्चात् यह कहना कि एक्साइज के इंस्पेक्टर्स या अधिकारी पुलिस का साथ नहीं दिये यह बिलकुल निराधार बात है क्योंकि २३ जुलाई के २ बजे रात यानी २४ को, २३–२४ की रात को २ बजे जो रेड हुआ है उसमें पुलिस के अधिकारियों के साथ एक्साइज

[डाक्टर सीताराम]

के इंस्पेक्टर भी थे सर्किल नम्बर २ के क्योंकि जो सामान बरामद हुये हैं उसमें बिलकुल टेक्निकल सामान हैं और मैं आपके समक्ष आपकी आज्ञा से निहायत अदब के साथ कहना चाहता हूं कि यह एक्साइज इंसपेक्टर का ही काम है कि उन सब चीजों की सही-सही रिपोर्ट जिलाधीश के सामने प्रस्तुत की और जिलाधीश ने भी जो शासन के समक्ष या एक्साइज कमिश्नर के पास रिपोर्ट भेजी है उसमें लिखा है कि पुलिस के अधिकारियों ने और एक्साइज के इंस्पेक्टर ने मिलकर के रेड किया था। जहां तक सरकार को इत्तला है वह इत्तला यह है। यह मैंने आपकी आज्ञा से माननीय भारतीय जी के प्रश्न के उत्तर के सम्बन्ध में बताने का प्रयास किया है। माननीय भारतीय जी ने यह भी कहा कि जब तक उनके खिलाफ यह शिकायत नहीं की गई तब तक एक्साइज इन्सपेक्टर ने इसमें कोई कार्यवाही नहीं की। यह बात नहीं है क्योंकि शराब की दूकानों का आक्शन ३१ मार्च के पहले हो जाता है। ३१ मार्च, सन् १९५९ के पहले मन्नीलाल के पास ६ दूकानें थीं। शाहजहांपुर में उनके नाम और उनके आदमियों के नाम पर ६ दूकानें थीं, लेकिन इसी शिकायत को देखकर उनकी मोनोपली को तोड़ने के लिये, जैसा कि भारतीय जी ने कहा कि प्रान्त में उनके पास कई जगह दूकाने हैं, इसलिये उनकी मोनोपली को तोड़ने के लिये मन्नीलाल या उनके लोगों को इस नये आक्शन में कोई दूकान नहीं मिली। इस तरह से उनकी मोनोपोली खत्म हुई। इसी तरह से बहादुरगंज की दूकान, जिसके बारे में इस सदन में प्रश्न किया गया, उस पर भी रेड की गई। अध्यक्ष महोदय, यह मामला सबजुडिस है और अभी तक जांच चल रही है और लोगों को बेल पर छोड़ा गया है, इसलिये इससे अधिक इस सम्बन्ध में कहना उचित नहीं होगा। इसलिये मैं आपसे भी अनुरोध करता हूं कि इस पर जो प्रश्न हों वह ऐसे हों जिससे वहां का कोर्ट प्रिजुडिस न हो।

श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)--क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि शाहजहांपुर में जो मन्नीलाल की ६ दूकानें थीं वह किसकी सिफारिश पर उनको दी गई थीं ?

डाक्टर सीताराम--किसी की सिफारिश पर शराब की दूकान नहीं दी जाती है बल्कि इसका आक्शन होता है और आक्शन में एक्साइज मैनुअल और ऐक्ट के मुताबिक जो हायर बिडर होता है उसको दूकान मिलती है।

श्री प्रतापसिंह--क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जैसा अभी उन्होंने कहा कि मन्नीलाल को भारतीय जी की शिकायत के बाद आक्शन में दूकान नहीं दी गई तो मैं यह जानना चाहता हूं कि जो खुला आक्शन होता है उसमें हरएक को हिस्सा लेने का अधिकार है तो उनको किस प्रकार रोका गया कि वह आक्शन में हिस्सा न ले सकें ?

डाक्टर सीताराम--उनको आक्शन मे हिस्सा लेने का अधिकार तो था, लेकिन इस साल सरकारी अधिकारियों ने इतना अच्छा काम किया कि उस आक्शन में उनक आदमियों का जो बिड था कम रहा। इसलिये उनको दूकान नहीं मिली।

श्री प्रतापसिंह--माननीय मंत्री जी ने जो यह अभी कहा कि पहले उनके पास ६ दूकानें थीं और इस साल उनको आक्शन में बिलकुल दूकान नहीं दी गई। तो क्या वह इसको और स्पष्ट करेंगे कि उनको दूकान किस प्रकार नहीं दी गई ? उन्होंने आक्शन में हिस्सा नहीं लिया या वह नहीं आये ?

डाक्टर सीताराम--हो सकता है वे आक्शन में आये हों, लेकिन बिड उनका औरों के मुकाबले में कम रहा।

श्री देवनारायण भारतीय--माननीय मंत्री जी ने यह कहा कि पुलिस के कर्मचारियों के साथ रात के दो बजे आबकारी विभाग के कर्मचारी भी गये थे। मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि पुलिस न रात को दो बजे तलाशी ली और सुबह ८ बजे तक आबकारी विभाग के कर्मचारियों

को कोई सूचना नहीं दी गई। सुबह ८ बजे डिस्ट्रिक्ट मैजिस्टेट, सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस, सिटी मैजिस्ट्रेट मौके पर आये। उसके बाद आबकारी इंस्पेक्टर को इसलिये बुलाया गया कि वह बरामद वस्तुओं की जांच करके बताये कि किस दफा में कौन चीज लाई जा सकती है। तब आबकारी इंस्पेक्टर को सूचना हुई और तब वह आये। तो मैं यह जानना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी ने यह किस आधार पर कहा है कि आबकारी इंस्पेक्टर दो बजे रात को तलाशी के समय उपस्थित थे ?

डाक्टर सीताराम––सरकार के पास निश्चित सूचना है कि पुलिस इंस्पेक्टर के साथ रेड करने गये थे।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)––क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि २३ जुलाई को जो रेड हुई उसके फलस्वरूप कितना तस्करी माल पकड़ा गया ?

डाक्टर सीताराम––क्या इसके डिटेल देना ठीक होगा, अध्यक्ष महोदय ?

श्री अध्यक्ष––यह तो प्रकाशित चीज होगी। आप बहुत ब्योरे में मत जाइये। इकट्ठे माल की बरामदगी बताइये।

डाक्टर सीताराम––१,०५७ बोतलें पकड़ी गयीं, ५६ कैपसूल्स पकड़े गये वलर्ड ग्रीन, ८ बोतलें ऐसी मिली हैं कि जिनमें शराब स्प्रिट के साथ मिलायी जा रही थी। क्लोरो-हाइड्रोट मिला है जो एक खास चीज थी जिसके डाल देने से स्प्रिट की डेंसिटी ३४·५ हो जाती है। शराब की डेंसिटी ३५ रहती है। पांववीं चीज थी एक बोतल फुल आफ ग्लीसरीन . . . . .

श्री अध्यक्ष––आप ज्यादा ब्योरेमें न जायं।

श्री मोतीलाल अवस्थी––क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि यह जो माल पकड़ा गया है उसका एक्साइज ऐक्ट के अन्तर्गत किन-किन सेक्शन्स में चालान हुआ है ?

श्री अध्यक्ष––ऐसा न हो कि आप के सवाल से जो पकड़ा गया है उसी को मदद मिल जाय।

श्री मोतीलाल अवस्थी––मैं सेक्शंस पूछ रहा हूं।

श्री अध्यक्ष––इसका क्या मतलब यह है कि आप आरोप करना चाहते हैं कि उन्होंने बिना सेक्शंस लगाये ही पकड़ लिया ?

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)––क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि माननीय भारतीय जी की लिखित शिकायत पर कि वहां के एक्साइज इंस्पेक्टर मन्नीलाल जी से मिले हुये हैं, क्या मंत्री जी ने कोई जांच करवाई ?

डाक्टर सीताराम––माननीय भारतीय जी ने कोई लिखित शिकायत नहीं की।

श्री उग्रसेन––मौखिक शिकायत पर ?

डाक्टर सीताराम––मौखिक शिकायत तो कोई भी कर सकता है। लेकिन जब तक लिखित शिकायत न हो, उसका कोई महत्व नहीं होता। किसी अधिकारी या किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति पर कोई इस तरह का चार्ज लगाया जाय तो लिखित शिकायत होनी चाहिये। हमने स्टैंडिंग कमेटी में उनसे लिखित मांगा था, लेकिन उन्होंने उसे देने का प्रयास नहीं किया।

श्री हरदयालसिंह (जिला शाहजहांपुर)––क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि क्या यह सही है कि मन्नीलाल जी की जमानत की दरख्वास्त सेशन जज के पास शाम को ६ बजे पहुंची थी ?

डाक्टर सीताराम--इसके लिये नोटिस की आवश्यकता होगी।

श्री प्रतापसिंह--क्या यह सही है कि एक्साइज इंस्पेक्टर को कुछ सिपाही मिले होते हैं और वे ही पकड़-धकड़ करते हैं ? यदि हां, तो पुलिस को उनको साथ जाने की क्या वजह थी ?

डाक्टर सीताराम---अभी-अभी माननीय भारतीय जी ने बतलाया कि लखपती आदमी हैं तो उनके खिलाफ बहुत दिनों से शिकायत थी और इसलिये यह सामूहिक रेड किया गया ताकि उनके यहां की तलाशी आदि अच्छी तरह से ली जा सके।

श्री हरदयालसिंह--क्या यह सही है कि पेशकार और अहलमद को सेशन जज के बंगले पर बुलाया गया था ?

श्री अध्यक्ष--मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगा। आप स्वयं इसका कानून जानते नहीं हैं। कोई बात जज कानून के हिसाब से अगर करते हैं तो उन पर इस तरह की शंकायें आप उठायें इसकी मैं इजाजत नहीं देता ।

श्री देवनारायण भारतीय--क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि मन्नी लाल जी की जमानत हो जाने के बाद वह जेल से तब निकाले गये जबकि जेल को बंद हुये दो घंटे हो चुके थे और जिलाधीश की विशेष आज्ञा ली गयी, जेल दुबारा खोला गया और तब वह निकल पाये ?

डाक्टर सीताराम--इसके लिये भी शासन को कोई इत्तला नहीं है।

श्री रूमसिंह (जिला शाहजहांपुर)--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंग कि आबकारी अधिकारियों ने भी इनके तस्कर व्यापार की पहले शिकायत की थी ?

डाक्टर सीताराम--पुलिस के अधिकारी तो जैसी शिकायत होती है उसकी जांच करते ही रहते हैं और अपने उच्च अधिकारियों से कहते ही रहते हैं।

श्री उग्रसेन--क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि मन्नीलाल के विरुद्ध तस्कर व्यापार की कई बार शिकायतें आयी ? यदि आयीं, तो कौन-सी कार्यवाही उसके विरुद्ध की गयी ?

डाक्टर सीताराम--लिखित शिकायत किसी की कभी नहीं आयी।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)--माननीय मंत्री जी को इस बात की जानकारी है कि भारतीय जी विधान सभा के सदस्य हैं और आबकारी विभाग की स्टैंडिंग कमेटी के एक माननीय सदस्य हैं तो उनकी मौखिक शिकायत का भी महत्व है, फिर भारतीय जी से मौखिक शिकायत के होने पर लिखित शिकायत के लिये क्यों जोर दिया जा रहा है ?

डाक्टर सीताराम--ऐसी बात जिसमें जांच करनी हो, ऐक्शन लेना हो, जिसमें एक्साइज ऐक्ट और पुलिस ऐक्ट इनवाल्व्ड हो ऐसी सूरत में बिना लिखित शिकायत के कदम उठाना उचित प्रतीत नहीं होता।

श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)--क्या माननीय मंत्री जी ने, जब भारतीय जी ने मौखिक शिकायत की तो उनसे कहा कि यह मसला इतना गम्भीर है कि लिखित शिकायत दें ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डाक्टर सीताराम--उन्होंने जब स्टैंडिंग कमेटी में शिकायत की तो यह कहा गया था कि इस पर सरकारी अधिकारियों से कहा जायगा कि ठीक से कार्यवाही करें, साथ ही साथ भारतीय जी से कहा गया था उसी स्टैंडिंग कमेटी में कि चूंकि मामला गम्भीर है इसलिये आइटमनाइज लिख कर दें ।

श्री देवनारायण भारतीय––क्या माननीय मंत्री जी यह स्पष्ट करेंगे कि मैंने सन् १९५८ के शुरू से आबकारी कमेटी में बराबर इसका उल्लेख किया और मैंने जो १४ अप्रैल, १९५९ को मीटिंग हुई आबकारी कमेटी की उसमें यह कहा कि मुझको जान से मार डालने की धमकी मन्नीलाल की ओर से दी जा रही है, क्योंकि मैं बराबर २ वर्ष से उनकी शिकायत कर रहा हूं, इसलिये मैं लिखकर देने में असमर्थ हूं ?

डाक्टर सीताराम––जी हां, उन्होंने कही थी इस तरह की बात।

श्री राजनारायण––स्टैंडिंग कमेटी की कार्यवाही की सूक्ष्म रिपोर्ट होती है और सम्मानित सदस्य जो वहां कहते हैं वह बाकायदा रेकार्ड होता है। जब भारतीय जी ने स्टैंडिंग कमेटी में ये बातें कहीं तो रेकार्ड हुआ होगा, फिर लिखित कार्यवाही से बढ़ कर और क्या चीज होगी ? फिर सरकार ने उस पर कोई कार्यवाही क्यों नहीं की ?

डाक्टर सीताराम––रेकार्ड हुई, लेकिन वह वेग चार्जेज हैं और वेग चार्जेज पर कोई एक्शन नहीं लिया जा सकता। डेफिनिट कोई बात होती है तो कार्यवाही होती है।

श्री अध्यक्ष––समझने की बात है। दो बातें हैं। एक तो यह है कि आपके एक्साइज विभाग के खिलाफ जो शिकायत है उसके लिये क्या आप लिखित शिकायत की आवश्यकता समझते हैं ? दूसरे श्री मन्नीलाल के बारे में है। वह तस्कर व्यापार करता है या कुछ गड़बड़ करता है, उसकी इंक्वायरी के लिये तो आपका मंशा यह नहीं है कि उसके बारे में लिखित शिकायत आप को देना चाहिये था ?

डाक्टर सीताराम––जी हां।

श्री अध्यक्ष––अगर आपको मालूम हो जाय स्टैंडिंग कमेटी की बैठक में कि तस्कर व्यापार वह करता है तो जब तक लिखकर कोई सदस्य नहीं देंगे तो आप इंक्वायरी नहीं करेंगे ?

डाक्टर सीताराम––इस सम्बन्ध में १९५८ में जो आपत्ति की थी अफीम के बारे में उसमें जिलाधीश के द्वारा मौखिक बात कहने पर जांच करायी गयी और वह कम्पलेंट निराधार पायी गयी।

श्री अध्यक्ष––तो आप यह क्यों नहीं कहते हैं कि जांच करायी गयी थी ?

श्री राजनारायण––जब माननीय भारतीय जी की मौखिक शिकायत पर जिलाधीश द्वारा जांच करायी गयी तो क्या जांच करायी गयी और किस बात की करायी गयी ?

डाक्टर सीताराम––सन् १९५८ की जुलाई में माननीय भारतीय जी ने कहा था कि शाहजहांपुर में शराब नाजायज बनती है और मन्नीलाल के बारे में जैसा कि आपने कहा, वह शराब बेचते हैं। साथ ही यह भी कहा कि अफीम की स्मगलिंग भी करते हैं। स्मगलिंग के सम्बन्ध में जिलाधीश द्वारा जांच कराई गई और वह चार्ज निराधार साबित हुआ। जहां तक नाजायज शराब की बात है इसके बारे में यह कह देना कि शराब बनाई जाती है इसके सम्बन्ध में सरकारी अधिकारी कार्य करते रहते हैं और जिनको पकड़ पाते हैं उनके खिलाफ ऐक्ट के मुताबिक कार्यवाही की जाती है।

श्री राजनारायण––जब कि भारतीय जी ने इस बात की भी शिकायत की कि शराब नाजायज तरीके से बनाई जाती है और उसके बाद यह साबित हो गया जब कि १,०५६ बोतलें शराब की निकलीं तो फिर यह सरकार इस नतीजे पर पहुंचती है कि डी० एम० की रिपोर्ट गलत थी ?

डाक्टर सीताराम---यह बोतलें शराब की निकलीं। अफीम के बारे में कलेक्टर की रिपोर्ट थी कि वह चार्ज निराधार है।

श्री देवनारायण भारतीय---अन्त में श्रीमन्, मैं फिर कहना चाहता हूं कि जिला सुपरिंटेंडेन्ट पुलिस जिनकी निगरानी में वह तलाशी ली गई उनसे श्रीमन्, पूछ लें और अगर वह इस बात को कहें कि आबकारी विभाग के कर्मचारी पुलिस कर्मचारियों के साथ रात के दो बजे तलाशी में थे तो मैं सदस्यता से त्याग-पत्र देने के लिये तैयार हूं और अगर मंत्री जी की बात गलत साबित हो तो वह कम से कम सदन में अफसोस जाहिर करें।

डाक्टर सीताराम---अध्यक्ष महोदय, मेरे पास जो सरकारी रिपोर्ट आई उसके अनुसार एक्साइज इन्सपेक्टर पुलिस इन्सपेक्टर के साथ-साथ गये, अब भारतीय जी को क्या जानकारी है, उनकी कुछ भी जानकारी हो, उसको मैं नहीं जानता। सरकारी रिकार्ड के आधार पर मैं यही कह सकता हूं कि एक्साइज के इन्सपेक्टर पुलिस के इन्सपेक्टर के साथ-साथ गये।

श्री राजनारायण---श्रीमन्, जानकारी के लिये सिर्फ एक प्रश्न पूछना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष---जी नहीं, अब आप कोई प्रश्न नहीं पूछ सकते।

अब यह विवाद समाप्त होता है।

(इसके बाद सदन ५ बजकर २० मिनट पर अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

देवकीनन्दन मित्थल
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ :
३ सितम्बर, १९५९।

(देखिये तारांकित प्रश्न २५ का उत्तर पीछे पृष्ठ २७४ पर)

नत्थी 'क'

LIST OF MACHINES IN GOVERNMENT PILOT PROJECT (FOOTWEAR) AT AGRA

Serial no.	Name of machine	Quantity	Amount	Country of origin
1	2	3	4	5
	I. Clicking Section		Rs. a. p.	
1	Strap cutting machine	1	914 8 0	Germany.
	II. Pattern Cutting Section			
1	Pattern shaping machine ..	1	609 12 0	Do.
2	Combined pattern binder and Corner cutting machine.	1	681 0 0	Do.
3	Pentograph	1	900 0 0	Do.
4	Grinding machine	1	36 0 0	Do.
	III. Upper Closing Section			
1	Singer sewing machine	1	971 2 0	United Kingdom.
2	Ditto	1		Do.
3	Ditto	1	650 0 0	Do.
4	Ditto	1	650 0 0	Do.
5	Ditto	1	2,184 9 0	U. S. A.
6	Ditto	1	2,371 10 0	Do.
7	Ditto	1	2,785 4 0	Do.
8	Ditto	1	1,712 6 0	Do.
9	Ditto	1	1,072 0 0	Do.
10	Puff sewing machine ..	1	832 0 0	Germany.
11	Alfor upper edge Burnishing machine	1	4,825 0 0	Do.
12	Pinking and Gimping machine ..	1	351 15 0	Do.
13	Strap folding machine ..	1	694 4 0	Do.
14	Hand Eyelitting machine ..	1	115 4 0	Do.
15	High Speed skiving machine ..	1	1,199 0 0	Do.
	IV. Bottom Section			
1	Channaling machine	1	195 0 0	Germany.
2	Gining machine (Hand press for cemented shoes).	1	365 0 0	Do.

Serial no.	Name of machine	Quan ity	Amount	Country of origin
1	2	3	4	5
			Rs. a. p.	
3	Traddle pressing machine ..	1	1,460 0 0	Germany.
4	Sole sewing machine	1	6,382 0 0	Do.
5	Outsole stitching machine ..	1	9,496 0 0	Do.
6	Skiving machine	1	1,578 0 0	Do.
7	Combined finishing machine ..	1	2,995 8 0	Denmark.
8	Heel scouring machine	1	2,350 0 0	Germany.
9	Sole Screwing machine	1	13,250 0 0	Do.
10	Heel compressing machine ..	1	13,742 12 0	Do.
11	Heel trimming machine	1	4,802 0 0	Do.
12	Heel attaching machine	1	6,578 0 0	Do.
13	Automatic Eyeleting machine ..	1	4,956 10 0	Do.
14	Clicking press (complete) ..	1	6,350 6 6	Do.
15	Auto Solar machine (speed Master De-lux Special).	1	4,946 0 0	Do.
16	Leather Splitting machine ..	1	2,380 0 0	Do.
17	Cut Tack Machine	1	15,472 10 6	Do.
18	Ditto	1	19,129 13 0	Do.
19	Leather measuring machine (Hand operate).	1	954 8 0	Do.
20	Leather surface measuring machine ..	1	17,560 0 0	Do.
21	Last copying machine	1	2,071 11 0	Do.
	Total		1,60,571 9 0	

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न २७ का उत्तर पीछे पृष्ठ २७५ पर)

श्री उमाशंकर शुक्ल द्वारा पूछे गये विधान सभा के तारांकित प्रश्न संख्या २७ से सम्बन्धित सूची ।

वित्तीय वर्ष १९५७–५८ व १९५८–५९ में कानपुर में मुख्यतः निम्नलिखित उद्योगों को चलाने हेतु आर्थिक सहायता की प्रार्थना की गई

क्रम-संख्या	उद्योगों का नाम	क्रम-संख्या	उद्योगों का नाम
१	इंजीनियरिंग उद्योग	२७	बिजली का सामान
२	ढलाई का कार्य	२८	प्रिन्टिंग प्रेस
३	चर्म उद्योग (चमड़े की वस्तुएं बनाना)	२९	दफ्ती का सामान
४	कंड्यूट पाइप	३०	एसेन्शल आयल
५	साइकिल के पुर्जे	३१	बिस्कुट बनाना
६	साबुन उद्योग	३२	आइस व कोल्ड स्टोरेज
७	टेक्सटाइल उद्योग	३३	रेडियो असेम्बलिंग
८	टाइप फाउन्ड्री	३४	होजरी
९	अल्मूनियम के बर्तन	३५	इत्र व सुगन्धित तेल
१०	चर्मशोधन	३६	आयुर्वेदिक औषधि निर्माण
११	लकड़ी का फर्नीचर	३७	कृषि यन्त्र
१२	प्लास्टिक की वस्तुएं	३८	फाउन्टेनपेन
१३	पीतल व अन्य धातु के बर्तन	३९	ब्रुश बनाना
१४	गुड़ एवं खन्डसारी उद्योग	४०	फिनाइल व बूट पालिश
१५	ऊनी कंबल	४१	चर्खा, अम्बर चर्खा व पावरलूम
१६	धान व रूई मशीन	४२	जूता उद्योग
१७	इलेक्ट्रोप्लेटिंग	४३	जाली व टाइल उद्योग
१८	ट्रैक्टर के भाग	४४	बैटरी बनाना
१९	फोटोग्राफी का सामान	४५	लकड़ी व प्लास्टिक के खिलौने
२०	रासायनिक वस्तुओं का निर्माण	४६	धागा उद्योग
२१	आप्टिकल इंस्ट्रूमेन्ट्स	४७	हड्डी की खाद
२२	बिजली का मोटर		
२३	सिलाई उद्योग		
२४	शीशे की गोलियां		
२५	लोहे की अलमारी		
२६	रबड़ की वस्तुएं		

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न २९ का उत्तर पीछे पृष्ठ २७५ पर)

प्रश्न संख्या २९ के उत्तर में उल्लिखित सूची

क्रम-संख्या	व्यक्ति या संस्था का नाम	वित्तीय वर्ष	ऋण	अनुदान
			रु०	रु०
१	श्री अष्ठभुज प्रसाद वर्मा	१९५६–५७	१२,५००	..
२	सर्वश्री मुरारी लाल एन्ड ब्रदर्स प्राइवेट लिमिटेड।	१९५७–५८ १९५८–५९	४०,०००	..
३	मेसर्स प्रताप सिंह राजेन्द्र सिंह।	१९५७–५८	४०,०००	..
४	मेसर्स गृह उद्योग चर्म शोधन सहकारी समिति लिमिटेड।	१९५७–५८	..	१५,०००
५	डिस्ट्रिक्ट वीवर्स कोआपरेटिव यूनियन लिमिटेड।	१९५६–५७	१८,३६७.६३	..
६	डिस्ट्रिक्ट वीवर्स कोआपरेटिव यूनियन लिमिटेड।	१९५७–५८	..	३२,०९७.१९
७	डिस्ट्रिक्ट वीवर्स कोआपरेटिव यूनियन लिमिटेड।	१९५८–५९	..	१६,३६२.५६
८	इन्डस्ट्रियल करघी कोआपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, पुराना गोरखपुर।	१९५८–५९	..	३३,५८७.९२
९	वीवर्स इन्डस्ट्रियल कोआपरेटिव स्टोर्स लिमिटेड।	१९५७–५८	..	१४,२७३.३५
१०	वीवर्स इन्डस्ट्रियल कोआपरेटिव स्टोर्स लिमिटेड।	१९५८–५९	..	१९,१९०.२८
११	कर्घा कोआपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, मुहल्ला मखवार।	१९५७–५८	..	१५,०३९.३०
१२	कर्घा कोआपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, मुहल्ला मखवार।	१९५८–५९	..	७१,९७९.७४
१३	गृह उद्योग सहकारी समिति लिमिटेड, रसूलपुर।	१९५८–५९	..	२१,९९३.०९
१४	गृह उद्योग सहकारी समिति लिमिटेड मिर्जापुर।	१९५८–५९	..	१९,५६२.२५
१५	काष्ट उद्योग सहकारी समिति लिमिटेड, रघवली बाजार।	१९५८–५९	..	२७,५८६.८७

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ३० का उत्तर पीछे पृष्ठ २७५ पर)

सूची 'अ'

१--इटावा डिस्ट्रिक्ट वीवर्स कोआपरेटिव स्टोर लिमिटेड, इटावा ।

२--बुनकर सहकारी समिति लिमिटेड करनपुरा, इटावा ।

३--बुनकर सहकारी समिति लिमिटेड, रामगंज, इटावा ।

४--मिसरकी चपेठी वीवर्स कोआपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, इटावा ।

५--मगरवी चपेठी वीवर्स कोआपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, इटावा ।

६--मशरकी छावनी वार्ड कोआपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, इटावा ।

७--मगरबी छावनी वार्ड कोआपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, इटावा ।

८--जसवन्तनगर देहात हैन्डलूम वीवर्स कोआपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, जसवन्तनगर ।

९--सिरौजी बाजार कोआपरेटिव हैन्डलूम वीवर्स कोआपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, जसवन्तनगर ।

१०--महलइ टोला हैन्डलूम वीवर्स कोआपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, जसवन्तनगर ।

११--बुनकर सहकारी समिति लिमिटेड, लालपुरा, इटावा ।

१२--वीवर्स कोआपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, इटावा ।

१३--वीवर्स कोआपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, जसवन्तनगर ।

१४--बुनकर सहकारी समिति लिमिटेड, फफून्द, इटावा ।

१५--बुनकर सहकारी समिति लिमिटेड, शेखग्राम इटावा ।

१६--बुनकर सहकारी समिति लिमिटेड, खूबचन्द, जसवन्तनगर ।

सत्यमेव जयते

पी० एस० ए० पी०-ए० पी०--१५७ एल० ए०--१९५९--८४५ ।